राजभाषा भारती

वर्ष : 39 अंक : 147 अप्रैल–जून 2016

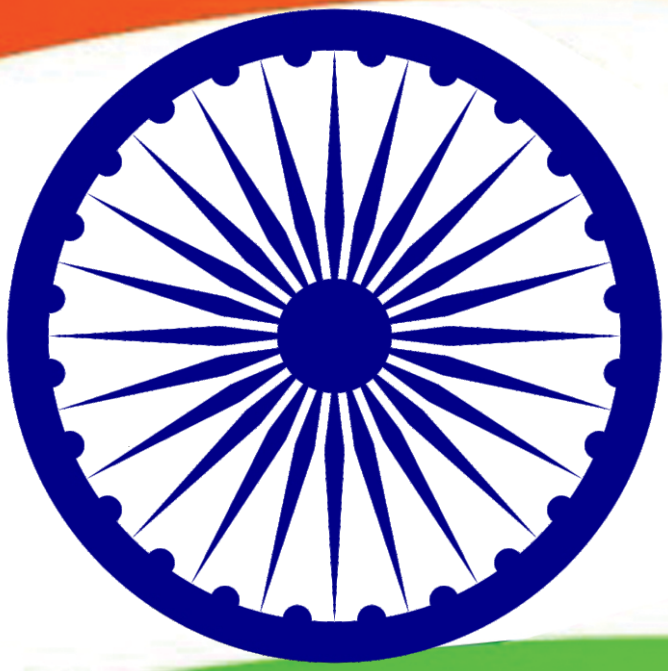

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

जन जन की भाषा है हिंदी

नराकास गुवाहाटी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में मंचासीन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू,
संयुक्त सचिव (राजभाषा) डॉ॰ बिपिन बिहारी एवं अन्य अतिथिगण

बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं की संगोष्ठी/बैठक को संबोधित करते हुए
सचिव (राजभाषा) श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे

—निराला

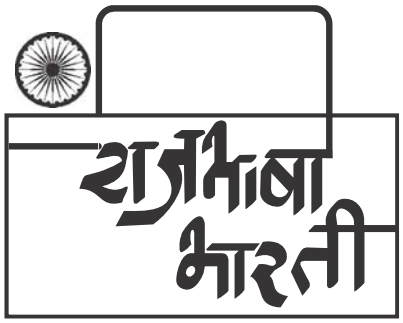

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 39

अंक : 147

(अप्रैल-जून, 2016)

⇨ **संरक्षक**

अनूप कुमार श्रीवास्तव भा॰ प्र॰ से॰
सचिव, राजभाषा विभाग

⇨ **परामर्शदाता**

डॉ॰ बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

⇨ **संपादक**

डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)
दूरभाष-011-23438250

⇨ **उप संपादक**

डॉ॰ धनेश द्विवेदी
दूरभाष-011-23438137

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र व्यवहार का पता:

संपादक,
राजभाषा विभाग
एन डी सी सी भवन -II,
चौथा तल, बी विंग
नई दिल्ली-110 001
ईमेल-patrika-ol@nic.in

नि:शुल्क वितरण के लिए

विषय सूची **पृष्ठ**

- **संपादकीय**
- **चिंतन**
  1. राजभाषा हिंदी की आवश्यकता – शमशाद बेगम आर॰ 1
  2. राजभाषा हिंदी—अतीत की ऐतिहासिक पहल – नरेश शर्मा 4
- **वैश्विक परिदृश्य**
  3. हिंदी का वैश्वीकरण – त्रिवेनी प्रसाद दूबे 'मनीष' 8
- **पुरानी यादें—नये परिप्रेक्ष्य**
  4. डॉ॰ लक्ष्मीनारायण सुधांशु की हिंदी निष्ठा – डॉ॰ वरुण कुमार तिवारी 12
- **साहित्यिक/सामाजिक**
  5. भारतीय रेल में राजभाषा गतिविधियां – के॰पी॰ सत्यानंदन 21
  6. समाज और साहित्यिक उपयोगिता – सीताराम पाण्डेय 24
- **सांस्कृतिक**
  7. पूर्वोत्तर भारत का भाषाई परिदृश्य और हिन्दी की स्थिति – डॉ॰ वी॰के॰ सिंह 29
- **बैंकिंग**
  8. बैंकिंग उत्पादों की मार्केटिंग में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की उपादेयता – गुलाब चंद्र यादव 32
  9. मुद्रा योजना—एम एस एम ई के विकास के लिए कितनी कारगर – मंजुला बाधवा 38
- **विशेष**
  10. भारत का प्रगति सूत्र—कौशल विकास – सुशील कुमार सूद 41
  11. कृषि हेतु जल के सतत् प्रबंधन की आवश्यकता – ओम प्रकाश वर्मा 46
  12. बढ़ते प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव – डॉ॰ दीपक कोहली 49

विविध गतिविधियां

कार्यशालायें

भाकृअनुप–राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता; प्रसार भारती, आकाशवाणी, जगदल पुर छत्तीसगढ़; प्रसार भारती गुवाहाटी; आकाशवाणी हैदराबाद; प्रसार भारती, विजयवाड़ा, प्रसार भारती चेन्नै; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तिरुवनंतपुरम; राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद; भारतीय विमानपत्तन प्रधिकरण, उदयपुर; यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना।

नराकास

नराकास (बैंक) बेंगलूर; नराकास सिलचर; नराकास त्रिवेन्द्रम; नराकास ईटानगर; नराकास हैदराबाद, नराकास कोषगूडेम; नराकास अमृतसर; नराकास पंचकुला; नराकास रांची, नराकास चंडीगढ़; नराकास जोधपुर; नराकास नोएडा; नराकास हाजीपुर;

बैठक/संगोष्ठी/प्रशिक्षण

केनरा बैंक बेंगलूर मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन; प्रसार भारती कटक; प्रसार भारती विजयवाड़ा; केनरा बैंक मेरठ; बैंक ऑफ बड़ौदा नई दिल्ली; प्रसार भारती भोपाल; सी एस आई आर उत्तराखण्ड; प्रसार भारती जयपुर; सिंडिकेट बैंक मणिपाल; कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता

संपादकीय

देश के संविधान में हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है किंतु केवल संवैधानिक दिशा–निर्देशों से राजभाषा हिंदी का पूरा विकास नहीं हो सकता है। हम सभी को राजभाषा हिंदी के साथ मानसिक एवं आत्मीय रूप से जुड़ना होगा तथा हिंदी की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाते हुए उसकी समय–समय पर समीक्षा करनी होगी। अत: सभी कार्यपालकों को अपनी कार्यशैली के जरूरी अंग के रूप में राजभाषा हिंदी के कार्य की समीक्षा करके नई पहल करनी चाहिए ताकि राजभाषा कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो सके और एक स्वाभिमानी राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम दुनिया को दिखा सकें कि हमारी संपर्क भाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है और लोगों के दिलों की भाषा भी हिंदी है।

प्रस्तुत अंक में शामिल लेख 'राजभाषा हिंदी की आवश्यकता' में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति का वर्णन किया गया है। एक अन्य लेख 'हिंदी का वैश्वीकरण' में हिंदी के बढ़ते वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा की गई है। पुरानी यादें–नये परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत 'डॉ॰ लक्ष्मीनारायण सुधांशु की हिंदी निष्ठा' जैसे लेख के माध्यम से हिंदी के क्षेत्र में विद्वानों के योगदान को याद करने का प्रयास किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ता हिंदी का प्रभाव 'पूर्वोत्तर भारत का भाषाई परिदृश्य और हिंदी की स्थिति' के माध्यम से जाना जा सकता है। बैंकों में प्रतिदिन

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका पर भी विभिन्न लेखों के माध्यम से चर्चा की गई है। इसके साथ-साथ आज के समय की आवश्यकता 'जल के सतत् प्रबंधन की आवश्यकता' और 'भारत का प्रगति सूत्र कौशल विकास' जैसे लेख पाठकों को नई जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 'बढ़ते प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव' लेख के माध्यम से पाठकों को सजग करने का भी प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं।

आशा है कि इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे। प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती आ रही है, इस अंक की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

राजभाषा हिंदी की आवश्यकता

— शमशाद बेगम आर॰

भारत में हिंदी को देशव्यापी बनाने का प्रमुख श्रेय सांस्कृतिक, सामाजिक, एवं धार्मिक परिस्थितियों को है। संतों का कोई देश नहीं होता। वे क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठकर संपूर्ण देश के लिए संदेश देते हैं। काशी के कबीर, महाराष्ट्र के नामदेव, बंगाल के केशवसेन, पंजाब के नानक आदि ने अपने विचारों को केवल हिंदी के माध्यम से संपूर्ण देश में फैलाया क्योंकि दूसरी कोई भाषा इसके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी। भारत के धार्मिक जीवन के चारों धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी के बीच संपर्क प्रारंभ से ही केवल हिंदी के माध्यम से होता रहा है। हिन्दुओं के प्राय: सभी अवतारों ने भी हिंदी भाषी प्रदेश में जन्म लिया है। हिन्दुओं के अधिकांश तीर्थस्थान इसी क्षेत्र में हैं इसलिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों का काशी या मथुरा में आकर पूजापाठ करना और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों का इन क्षेत्रों में स्थित तीर्थों की यात्रा करना हिंदी के माध्यम से ही संभव है। अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण व्यापार की भाषा भी हिंदी ही है। इन्हीं तथ्यों को सामने रखकर गांधीजी ने 40 वर्ष तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का अभियान चलाया था। उनके इस संबंध में प्रकट किये गये प्रमुख विचार यहां प्रस्तुत हैं।

''रूस ने अपनी सारी वैज्ञानिक प्रगति अंग्रेज़ी के बिना की है। यह हमारी दिमागी गुलामी है जो हम कहते हैं कि अंग्रेज़ी के बिना काम नहीं चल सकता''।[1] मैं यह पराजयवादी मत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह मानता रहा हूं कि हम किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते हैं। मेरा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक संबंध के लिए हम हिंदी सीखें। ऐसा कहने से हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात प्रकट नहीं होता। राष्ट्रभाषा वही बन सकती है जिसे अधिसंख्यक लोग जानते बोलते हैं और जो सीखने में सुगम हो ऐसी भाषा हिंदी ही है''।[2] हिन्दी बोलने वालों की संख्या सदा ही करोड़ों में रहेगी, किन्तु अंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या कुछ लाख से आगे कभी नहीं बढ़ेगी। इस अंग्रेजी के लिए प्रयत्न करना भी जनता के साथ अन्याय करना है।[3] हम उनकी भाषा को छाती से चिपकाए हुए हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया।[4] मातृभाषा मनुष्य के लिए इतनी ही स्वाभाविक है जैसे बच्चे के शरीर के विकास के लिए मां का दूध। मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पर मां की भाषा को छोड़कर दूसरी कोई भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूं।[5] मैं विदेशी माध्यम से दी जानेवाली शिक्षा को राष्ट्रीय संकट मानता हूं।[6]

गांधीजी ने बल पूर्वक इस बात को स्पष्ट किया कि कोई भी जाति नक्कालों की कौम पैदा करके बड़ी नहीं हो सकती।[7] उनका कहना था कि अगर हमारे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए अपने लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं और उसके शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूं या उन्हें बरखास्त करवा दूं। मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तज़ार नहीं करूंगा। वे

तो माध्यम के पीछे-पीछे चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरन्त इलाज होना चाहिए।[8] जब तक हम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं देते तब तक स्वराज्य की बातें निरर्थक हैं।[9]

वास्तव में गांधीजी ने बहुत पहले 29 अगस्त, 1806 को सी॰टी॰ मेटकॉफ ने अपने भाषा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को पत्र लिखते समय इस तथ्य को स्वीकार किया था कि भारत के जिस भाग में मुझे काम करना पड़ा है, मुझे हर जगह ऐसे लोग मिले हैं जो हिंदुस्तानी बोल सकते हैं।[10] हिंदुस्तानी एक ऐसी जबान है जो आम तौर से उपयोगी साबित होती है और मेरी समझ में संसार की किसी भी भाषा से इसका व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है।

गांधीजी ने राष्ट्रीय भाषा, जिससे उनका अभिप्राय वस्तुतः राजभाषा से था, के निम्नलिखित लक्षण बनाये—

1. अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।

2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए।

3. यह ज़रूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।

4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।

5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर ज़ोर नहीं देना चाहिए।

जहां तक बोलने वालों की संख्या का प्रश्न है 1958 में प्रकाशित 'लैंग्वेज फोर एवरीबडी' के लेखक मारिओ पेड ने विभिन्न भाषा-भाषियों की संख्या निम्न प्रकार दी है।

चीनी 50 करोड़, अंग्रेज़ी 25 करोड़, हिंदी 16 करोड़, रूसी 15 करोड़, स्पेनिश 12 करोड़, जर्मन 10 करोड़। इस सूची में बिहारी को हिंदी से अलग दिखाया गया है जबकि भारत में बिहारी जैसी कोई भाषा नहीं है। बिहार में भोजपुरी, मगधी, मैथिली आदि समृद्ध बोलियां हैं और वहां की जातीय भाषा हिंदी है। जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी है उनकी संख्या केवल भारत में 1971 की जनगणना के अनुसार 20.85 करोड़ है।

हिंदी भाषियों के अतिरिक्त इस देश में 2.46 करोड़ उर्दू भाषी हैं। जब तक हिंदी या उर्दू को लिपिबद्ध न किया जाये तब तक यह निश्चित करना कठिन है कि कोई भाषा हिंदी है अथवा उर्दू? इस दृष्टि से उर्दू भाषियों को हिंदी के साथ जोड़ने पर हिंदी भाषियों की कुल संख्या 23.21 करोड़ है जो देश की संपूर्ण आबादी अर्थात् 54.81 करोड़ के लगभग आधे के बराबर है। यह संख्या केवल मातृभाषा के आधार पर दी गई है। हिंदी बोलने-समझने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है।[11]

हिंदी में आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों से समृद्ध गूढ़तम विचारों की अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक की जा सकती है। यह भाषा सरलता से सीखी जा सकती है तथा पढ़ा-लिखा हिंदीतर भाषी छह महीने में सरलता से हिंदी सीख सकता है। यह कारण है कि 1951 से 1955 तक भारत में 35 मिलीमीटर वाली निर्मित कुल 2833 फिल्मों में से 1597 फिल्में हिंदी में बनीं और 1238 फिल्में शेष भारतीय भाषाओं में। 16 मिलीमीटर वाली फिल्में इस अवधि में कुल 236 बनीं जिनमें से 129 केवल हिंदी की थीं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि संपूर्ण फिल्म उद्योग हिंदी भाषी क्षेत्रों के बाहर स्थित है और व्यापारिक मजबूरी है कि वे लाभ उठाने के लिए हिंदी में फिल्में बनाने के लिए बाध्य हैं। जितने नये मन्दिर या कारखाने बने हैं, वहां विभिन्न प्रदेशों के मजदूर और इंजीनियर एकत्र हो गये हैं और वे जन

आपस में बात करते हैं तो उनकी भाषा हिंदी ही होती है।

जनतंत्र में वही भाषा राज-भाषा होती है जो अधिकांश लोगों की भाषा और संपूर्ण देश की संपर्क भाषा हो। यह आवश्यकताएं केवल हिंदी पूरी करती है, अतः हिंदी को ही इस देश में सम्पर्क भाषा और राजभाषा का पद प्रदान किया जा सकता है।

सहायक ग्रन्थ

1. डॉ॰ बलराज सिंह सिरोही, संघीय राष्ट्रभाषा के संदर्भ में पारिश्रमिक वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण की समस्याएं पृ॰58-67, वाणी प्रकाशन, प्र॰सं॰ 1987
2. गांधीजी, नवजीवन राजून, 1931
3. गांधीजी, इंदौर, 20 अप्रैल, 1935
4. गांधीजी, इंदौर, 19 अप्रैल, 1935
5. गांधीजी, बनारस विश्वविद्यालय, 1942
6. हरिजन संकेत, 18 मार्च 1952
7. हरिजन संकेत, 21 सितम्बर, 1947
8. यंग इंडिया 27 अप्रैल 1921
9. हिन्दी नवजीवन, 2 सितम्बर, 1921
10. हिन्दी नवजीवन 1918
11. भारत की जनगणना 1971

असिस्टेंट प्रोफेसर
श्रीशङ्कराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय
प्रादेशिक केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम

हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।

–सुमित्रानंदन पंत

राजभाषा हिंदी : अतीत की एक ऐतिहासिक पहल

— नरेश शर्मा

हिंदी भाषा से हमारा लगाव–प्रेम सामान्य पहलू है और होना भी चाहिए। अक्सर हम हिंदी प्रेमियों के अनेक उदाहरण पढ़ते–सुनते हैं किन्तु मैं यहां एक ऐतिहासिक उद्धरण रखना चाहता हूं जो सम्पूर्ण भारत के लिए एक अनूठा–निराला उदाहरण बना था। 20वीं सदी का प्रारम्भिक दशक, जब देश दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व चरम पर था। राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता आन्दोलन निरन्तर संघर्ष की ओर अग्रसर होकर आजादी के सपने देख रहा था। उस जमाने में भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रभाषा–राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने वाले विद्वानों, महापुरुषों में अलवर महाराज सवाई जयसिंह भी प्रमुख थे। यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए उन्होंने आजादी से पूर्व ही वह कार्य कर दिखाया जिसके सपने हम आज भी देख रहे हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केवल दो रियासतें थीं जिन्होंने हिंदी के प्रोत्साहन और राजभाषा को सम्मान देने का प्रयास किया उनमें बड़ौदा व अलवर रियासत का नाम इतिहास में दर्ज है। अलवर में इस शुभकार्य का श्रेय सवाई जयसिंह जी को जाता है। पहले हम उस युग की स्थिति को समझ लें ताकि उनके द्वारा किये गये कार्यों के महत्व को समझाया जा सके। प्राय: राजा–महाराजाओं से उनकी सामंती सोच से ऊपर उठकर दूरदर्शी, राष्ट्रवादी सोच की अपेक्षा करना उस युग में कोई सहज बात नहीं थी। अंग्रेजों का प्रभुत्व तो चरम पर था ही साथ ही देशी रियासतें अंग्रेजों की सहायक संधियों के जाल में फंसकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठी थी। अत: ऐसे नाजुक दौर में यदि कोई शासक हिंदी भाषा के लिए दृढ़प्रतिज्ञ होकर अभिनव–नूतन प्रयोग करे तो यह ऐतिहासिक पहल तो कहलाएगी ही। कहते हैं कि यदि संकल्प, जुनून बन जाए तो इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं, ऐसा ही कुछ इस उदाहरण में मिलता है। निज भाषा के मूल मर्म के प्रति महाराजा जय सिंह की सोच भारतेंदु हरिश्चन्द्र के सुप्रसिद्ध उद्धरण के अनुकूल थी—''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञाान के मिटे न हिय की सूल।'' जैसे भारतेन्दु ने निज भाषा को यथार्थ उन्नति का मूल मंत्र माना था, ठीक उसी प्रकार सवाई जयसिंह भी हिंदी को राजभाषा का सम्मान प्रदान कर आत्म गौरव, राष्ट्रप्रेम को यथार्थ में परिणत करना चाहते थे। राजा जयसिंह के भाषा संबंधी विचारों का ज्ञान उनके इस कथन से भी होता है—''नीति और धर्म का पालन तथा उसका अभ्यास उन्नति का कारण है किन्तु जो मातृभाषा नहीं जानता, वह अपने यहां की नीति और धर्म को क्या मानेगा? पूरी दुनिया में कोई अंग्रेज, तुर्क अथवा जर्मन ढूंढने पर ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने देश की भाषा अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन को न जानकर हिंदी भाषा जानता हो, पर ऐसे हजारों भारत सपूत मिलेंगे जो अंग्रेजी आदि भाषाओं के तो पूर्ण पण्डित होंगे पर मातृभाषा हिंदी का शुद्ध शब्द भी नहीं जानते होंगे। क्या इसी का नाम देशोन्नति है? और इससे अधिक लज्जा की बात क्या हो सकती है।

राजभाषा हिंदी से संबंधित यह अनोखा प्रसंग राजपूताना की अलवर रियासत के महान शासक सवाई

जयसिंह से जुड़ा है। ज्ञातव्य है कि यह वो जमाना था जब शासन-प्रशासन में सिर्फ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का दबदबा होता था। अन्य किसी भाषा को राजकीय कार्यों में प्रयुक्त करने का विचार-सोचना भी असंभव लगता था। महाराज सवाई जयसिंह मेयो कॉलेज, अजमेर से उच्च शिक्षा प्राप्त कर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं पर दक्षता, निपुणता प्राप्त कर चुके थे। बहुभाषी और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद किसी महाराजा के लिए हिंदी के जुनून अख्तियार कर लेना नि:सन्देह एक विचित्र बात थी। महाराजा जयसिंह का स्वप्न था कि सभी भाषाओं को आदर देते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना नितान्त आवश्यक है। इसका कारण यह था कि आम जनता केवल हिंदी ही समझती थी। फारसी, उर्दू अथवा अंग्रेजी विद्वानों तक सीमित होने के कारण आमजन के शोषण का कारण बन रही थी। अनभिज्ञ जनता प्रशासनिक तंत्र के समक्ष लाचार थी। इस स्थिति को सवाई जयसिंह जी के कथन से समझा जा सकता है —**'हिंदी के ज्ञान से नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यदि हम लोगों को मातृभाषा सिखायेंगे तो उनका भौतिक व आध्यात्मिक विकास एक साथ सम्भव होगा.....मातृभाषा सीखने में आसान होती है.....।'' इस दुरावस्था के निराकरण हेतु सवाई जयसिंह ने सन् 1908 में एक राज्यादेश पारित कर हिंदी को अलवर राज्य में राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया।**

राजकीय आदेश से स्थिति बदलना इतना सहज-सरल भी नहीं था। अथक प्रयासों के बाद भी हिंदी को अंग्रेजी-उर्दू-फारसी के प्रभुत्व से ऊपर नहीं लाया जा सका। महाराजा सोच में पड़ गए कि इस विचित्र स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। असल में इस असफलता के मूल में दो विशेष कारण थे। पहला अंग्रेजों का असहयोग और उनकी दंभपूर्ण नीति जो किसी भी कीमत पर हिंदी को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे सैकड़ों सालों से उर्दू, फारसी में अभ्यस्त हो चुका नौकरशाह समूह यकायक हिंदी में राजकाज करने को कतई तैयार नहीं था। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विरोध-असहयोग से महाराजा जयसिंह का सब्र विचलित होने लगा। कहते हैं कि यदि असफलताओं से शुभ संकल्प कमजोर पड़े तो नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगते ही हैं। इसलिए महाराज ने इस विकट स्थिति से मुक्ति पाने के लिए एक अनोखा क्रांतिकारी कदम उठाया।

उन्होंने सोचा की क्यों न कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ आमजन और नौकरशाही की सोच व संस्कारों को सकारात्मक रूप से बदल दिया जाए। शाही जिन्दगी, महलों के राजशाही जीवन को हिंदी के साथ इस तरह से आत्मसात कर दिया जाये कि लोग स्वत: विवश हो जाएं और हिंदी में बोलने, कार्य करने को राजी हो जाएं। इस विचार को अमल में लाने के लिए उन्होंने एक दूसरी योजना बनाई। उनकी यही क्रांतिकारी योजना इतिहास में उन्हें अमर बनाती है। राजभाषा हिंदी को लेकर उनकी यह पहल भारत के लिए एक ऐसा उदाहरण बनी जो हमें आज भी संदेश देती है कि यदि हम चाहें तो हिंदी भाषा को उसका वांछित मान-सम्मान दिला सकते हैं। वह भी कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त लोगों की सोच, व्यवहार और वातावरण को मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तित किये बिना, बिना किसी दबाव के स्वत: स्फूर्त ढंग से संभव है।

सन् 1914 (सम्वत् 1972) में महाराजा सवाई जयसिंह ने एक कठोर राज्यादेश पारित करते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करते हुए पुन: एक नवीन पहल प्रारम्भ की। उन्होंने कठोर घोषणा की कि जो भी कर्मचारी हिंदी नहीं जानता हो उसे यथाशीघ्र राज्य सेवा से मुक्त कर दिया जाए। 1914-15 के राजशासन दरबार में महाराज जयसिंह ने आदेश दिया कि राजकाज

में सरकारी भाषा-पदावली हेतु केवल देवनागरी हिंदी का ही प्रयोग किया जाएं। अदालतों का कामकाज भी हिंदी भाषा में ही होने लगा। प्रशासनिक कठोरता के अतिरिक्त सवाई जयसिंह ने अलवर रियासत के वातावरण को हिंदी मय बनाने का पुरजोर प्रयास किया ताकि लोग सहजता से हिंदी के साथ आत्मसात कर सकें। सम्पूर्ण भारत में देशी रियासतों के शासकों के लिए अलवर नरेश की यह पहल नि:सन्देह अनोखा उदाहरण बनी। उन्होंने अलवर राज्य के समस्त कार्यालयों, उच्च अधिकारियों, राज्य के वाहन, सड़क-मार्गों, महल में कार्यरत सेवकों, दास-दासियों के नाम हिंदी में रख दिए।

प्राईम मिनिस्टर (दीवान) को समुन्त महोदय, होम मिनिस्टर को मंत्रपाल, गद्रपाल, सैन्य मंत्री को जयन्त महोदय (महल के अन्त:पुर की देखरेख भी इन्ही के अधिकार में थी), हाकिम को अधीक्षक, महकमा-ए-माल सदर (रेवेन्यू) का नाम परिवर्तित करके 'कर विभाग' मंत्रालय, रेवेन्यू ऑफिसर को 'सिद्धार्थ महोदय', ज्यूडिशियल मिनिस्टर को 'धर्मराज महोदय' नाम दिया गया और इन्हीं नामों को उच्चरित करने के लिए कठोरता से पाबन्द किया गया। रनिवास के दास दासियों को रमा, उर्वशी, तिलोत्मा, मेनका, रूपसी इत्यादि नाम दिये गये। इसका उद्देश्य यह था कि महल के अन्दर का वातावरण पूर्णत: भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के सामान्य परिवेश के अनुकूल स्थापित हो सके। महाराजा सवाई जय सिंह इस तथ्य को अच्छे से जानते थे कि केवल कानून के सहारे किसी भी समस्या का स्थाई समाधान संभव नहीं होता। लोगों के मन की सोच को बदलने से नवीन परिवर्तन सहजता से लाये जा सकते हैं। अलवर शहर के विभिन्न मार्गों का अब नये ढंग से नामकरण किया गया। रघु मार्ग, मनुमार्ग, कुश मार्ग, प्रताप मार्ग, विनय मार्ग, शिवदान मार्ग, मंगल मार्ग, जयसिंह मार्ग, लव मार्ग इत्यादि। ज्ञातव्य है ये समस्त नाम ऋषि-मुनियों, अलवर के पूर्व नरेशों से जुड़े थे। यहां तक कि सरकारी बंगलों के नाम भी हिंदी में रखे गये। उदाहरण के तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस को भक्त निकेतन (वर्तमान कलैक्टर निवास), रणजीत भवन, प्रेम कुंज, स्वरूप विलास इत्यादि।

इसी प्रसंग में एक रोचक तथ्य और जुड़ा है। राजकीय वाहनों अर्थात् मोटर गाड़ी, रथ इत्यादि के नाम अब हंसासन, गरूड़ासन, मयूरासन, पुष्पक विमान, इन्द्र विमान कर दिये गए। यहां तक की जंगल और महलों के नाम भी विशुद्ध हिंदी में रखे गये। हिंदी से उनके लगाव का एक उदाहरण यह भी था कि जब भी वह किसी को पत्र लिखते थे तो उसकी शुरूआत हिंदी से ही करते थे, पत्र चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना लिखा जाए। इस तरह के उदाहरण सवाई जयसिंह के हिंदी के प्रबल समर्थक होने के सशक्त प्रमाण हैं।

जयसिंह जी का हिंदी प्रेम केवल सैद्धान्तिक नहीं था अपितु पूर्णतया: व्यावहारिक व स्वत: स्फूर्त था। अलवर रियासत के राजकवि के शब्दों में इस तथ्य को भली भांति समझा जा सकता है।

''जहि लिपि निसस्न्देह खलन को चलन सकत छल।
संस्कृत हू में गम्य लहत नर सहज जासु बल।।
कर्म, धर्म को मर्म सर्व को करत उजागर।
बाचन में अति सरल देश भाषा, गुण आगर।।
संवत् कल्मब रस भक्ति भुवि (वि.स. 1965)
विजयदशमि ओ नागरिय।
अलवरेन्द्र जयसिंह प्रभु धन्य-धन्य जिन आदरिय।।

सवाई जयसिंह जी ने अलवर राज्य में हिंदी के प्रोत्साहन हेतु तहसील स्तर पर हिंदी समितियों का गठन किया। देश से हिंदी के प्रख्यात विद्वानों जैसे मुंशी प्रेमचन्द, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को अलवर आमंत्रित किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल सन् 1915-20

के मध्य अलवर पधारें। उन्होंने हिंदी–अंग्रेजी–फारसी में एक 'त्रिवल्लभ कोश' तैयार करवाया।

सन् 1927 में दिये एक भाषण में उनके कथन पर गौर कीजिए – 'देवनागरी, हिंदी जो इस देश की भाषा है, एक देशी राज्य में वास्तविक भाषा की भांति फले–फूले। हिंदी भाषा से अनभिज्ञ कोई भी कर्मचारी राज्य में नौकर न रखा जाये....।' महाराज के अथक प्रयासों का सुपरिणाम था कि अलवर राज्य में राजकाज में हिंदी का प्रचलन स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला गया। कर्मचारी, अधिकारी धीरे–धीरे हिंदी सीखने लगे। हिंदी के प्रति उनका रूझान निरन्तर बढ़ता गया। रोचक तथ्य यह है कि उर्दू,फारसी के विद्वानों ने भी महाराजा जय सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा को स्वीकार कर हिंदी भाषा को व्यवहार में अपना लिया जो सबकी मातृभाषा थी और अंग्रेजी उूर्द की अपेक्षा ज्यादा सरल व सहज थी।

सवाई जयसिंह के हिंदी प्रेम को उनके द्वारा लिखे गये विभिन्न पत्रों के द्वारा भी जाना जा सकता है जो देश–विदेश से अलवर की जनता को हिंदी में लिखे गये हैं। उदाहरण के लिए इस आलेख के साथ उनके एक पत्र की छाया प्रति संलग्न है। महाराज स्वयं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। हिंदी कविता में महाराज 'जयराज' उपनाम प्रयुक्त करते थे जबकि उर्दू में 'वहशी'।

महाराज सवाई जयसिंह का जीवनकाल 14 जून, 1882 से 19 मई 1937 का रहा। शासक के रूप में अलवर राजगद्दी पर उनका कार्यकाल 10 दिसम्बर 1903 से 19 मई 1937 का था। राजनीतिक षडयंत्र और अंग्रेजों से उनकी अनबन का बिन्दु छोड़ दें तो उनका समस्त कार्यकाल अलवर रियासत के लिए महान उपलब्धियों का माना जाता है। वे दो बार चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष रहे इतिहास प्रसिद्ध गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने 1930–1931 में लंदन जाकर देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। 'उलवर' से अलवर नाम परिवर्तन उन्हीं की देन है। वास्तुकला, प्राकृतिक संरक्षण, खेलकूद, भाषा–साहित्य और भारतीय संस्कृतिक के क्षेत्र में उनका विलक्षण योगदान है। राजर्षि की उपाधि उनकी विद्वता का यथार्थ प्रमाण है।

लेक्चरर
बी–111, अशोक विहार
कर्मचारी कॉलोनी,
अलवर (राज) मो॰ 09829730611

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना
देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।

–महात्मा गाँधी

हिंदी का वैश्वीकरण

— त्रिवेनी प्रसाद दूबे 'मनीष'

किसी भी तत्व अथवा कृत्य के वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, तो अनेक समर्पित एवं सगज साहित्यिक विचारधारा धारित लोगों के हृदय असंयत हो जाते हैं। प्रकरण जब किसी भाषा का हो और वो भी संस्कृत के मूल स्वरूप से उत्पन्न देवनागरी लिपि से जनति 'हिंदी' का, तब मानव भाव, हर्ष मिश्रित संशय अथवा संशय मिश्रित हर्ष की स्थिति को प्राप्त करने लगते हैं। पर वास्तविकता यह है कि गत दशकों में हिंदी के वैश्वीकरण ने हिंदी के अनेक समर्थकों को आनंदित एवं अन्य भाषाओं के प्रचारकों को अचंभित किया है। तीस करोड़ से भी अधिक लोगों के अंधेरों और कंठों की यह अनन्य भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने के कगार पर पहुंच चुकी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिंदी के वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अनेक विशिष्ट तथ्यों से संधारित हैं। पारंपरिक एवं धार्मिक हिंदी ग्रंथों एवं कथाओं के अनुवादों ने इसकी सबल एवं सार्थक नींव तैयार की। इससे संत कबीर एवं गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथों एवं कृतियों के विश्व स्तरीय अनुवादों ने विशेष भूमिका निभायी। रामायण, राम चरित मानस, महाभारत एवं गीता के अनुवाद इनके विशिष्ट उदाहरण हैं।

भारतवर्ष की अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति के उपरान्त, इन क्रियाओं एवं प्रयासों का पर्याप्त त्वरण हुआ। वर्ष उन्नीस सौ सैंतालीस में, पंडित जवाहर लाल नेहरू के सार्थक एवं सक्रिय प्रयास से, दिल्ली में एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें एशिया महाद्वीप के सभी देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस विशिष्ट विश्व स्तरीय सम्मेलन में, पंडित नेहरू तथा लार्ड माउंटबैटन के विशेष आग्रह पर महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा में विश्व प्रतिनिधियों को बिना क्षमा मांगे हुये संबोधित किया था। उस सरल, सहज, निष्पक्ष तथा निर्भीक सम्बोधन एवं उद्‌बोधन ने हिंदी को विश्व स्तरीय विशिष्ट तथा विस्तृत आयाम प्रदान किया। उससे हिंदी के विकास को एक नवीनीकृत स्वरूप मिला।

एक अन्य महत्वपूर्ण अवसर तब सृजित हुआ, जब भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में अपना वक्तव्य देकर सम्पूर्ण विश्व को चकित कर दिया था। उस स्तरीय तथा प्रभावशील उद्‌बोधन की सरस लयात्मक शैली ने हिंदी के प्रति, अनेक नवीन हृदयों में लगाव में वृद्धि उत्पन्न की थी।

एक और विशेष परिस्थिति तब उत्पन्न हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने चार अक्टूबर उन्नीस सौ अठहत्तर को, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, हिंदी में अपना व्याख्यान दिया। इससे उन्होंने राजभाषा अधिनियम के निर्देशों का पालन करने के साथ ही अपनी अस्मिता के सबल अस्तित्व तथा भारत की सांस्कृतिक महानता एवं महिमा को प्रबल स्वर प्रदान किया था।

इन सब विशिष्ट अवसरों से बहुत पूर्व, भारत की स्वतंत्रता के प्रथम आन्दोलन एवं भारत की स्वतंत्रता के मध्य, विशेषकर उस अवधि में, जब भारत की आजादी का आन्दोलन अपने चरम पर था, हिंदी के अनुयायियों के, नवीन अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं से संपर्क ने, विशेष परिवर्तन किये, जिससे हिंदी को

विदेशी दुलार और विस्तृत लाड़-प्यार मिलना प्रारंभ हुआ।

प्रमुख कारण एवं उनके प्रभाव

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उदारीकरण

प्रत्येक परिवर्तन के विशिष्ट कारक होते हैं। हिंदी के वैश्वीकरण के भी अनेक कारक विद्यमान हैं। विश्व स्तर पर प्रसारित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उदारीकरण की नीति के उल्लेख से प्रारंभ करना उचित होगा। इससे वैश्वीकरण हेतु उपयुक्त परिवेश जनित हुआ। हिंदी भाषी गैर प्रवासी भारतीयों के प्रयासों एवं आवश्यकताओं ने, उस परिवेश को उन्नत करने में, अभूतपूर्व भूमिका निभायी। इसके फलस्वरूप अनेक स्तरीय पत्र-पत्रिकायें, विश्व स्तर पर स्थापित और प्रचलित हुई। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सम्मेलनों ने उनके प्रयासों के प्रभाव को त्वरित किया। इन तीनों के सम्मिलित तथा समेकित प्रभाव ने, हिंदी के भाषाई और साहित्यिक स्वरूप में, अभूतपूर्व संशोधन सृजित किया, जो विश्व समुदाय को अधिक ग्राह्य लगा।

अनुवाद

स्तरीय हिंदी साहित्य के, विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद ने, हिंदी भाषा और साहित्य का संपर्क, विश्व के अनेक भागों और समुदायों से करवाया। मुंशी प्रेमचन्द, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नदंन पंत, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र कुमार जैन, यशपाल, अज्ञेय, अमृत लाल नागर, अमरकांत और श्री लाल शुक्ल की कृतियां उनमें प्रमुख हैं। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के स्तरीय साहित्य का हिंदी में अनुवाद को प्रदत्त पोषण तथा संरक्षण ने भी गहन प्रभाव उत्पन्न किये। इस सम्बन्ध में, कुछ अनन्य तथा अनमोल कृतियों के अनूदन के उदाहरण ध्यान योग्य हैं, नामत: प्राचीन यूनानी दार्शनिक, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की अनमोल पुस्तकें, विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नाड शॉ की समस्तर रचनाएं, फ्रांसीसी लेखक मोपासा की कहानियां, रूसी लेखक टॉलस्टॉय की कथाएं और उपन्यास, रूसी लेखक चेकोव की कहानियां, इंग्लैंड के चार्लस डिकेन्स और थॉमस हार्डी के समस्य उपन्यास, सॉमरसेट मौम के व्यंगात्मक लेख और कथाएं, ओ. हेनरी की कथाएं तथा विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, शेली और रोबर्ट फ्रास्ट की काव्य कृतियां। इन सब कृतियों के हिंदी में अनुवादित स्वरूप ने हिन्दी भाषा और साहित्य को विस्तृत आयाम और नवीन पंख दिये, जिनके बल पर उसका दूर-दूर तक प्रचार और प्रसार हुआ तथा हिंदी ने नये प्राकृतवासों में प्रवेश किया। शेक्सपियर के शास्त्रीय नाटकों 'मैकबेथ', 'हैमलेट', 'ऑथेलो' और 'जूलियस सीज़र' के अनुवाद तथा जॉर्ज बर्नाड शॉ के 'पिगमेलियन' के अनूदित रूप तो, आज भी हिंदी के अनन्य क्षितिज को अभिनव भाव प्रदान करते हैं। टॉलस्टाय की कथा का अनूदित स्वरूप 'दो गज ज़मीन', मोपासा की अविस्मरणीय कहानी का सार्थक अनुवाद 'नौलखा हार', मोपासा की कहानी का अनुवाद 'कब्र का शिलालेख', और चेकोव की अनूदित कहानियां (विशेषकर 'एक क्लर्क की मौत' और 'गिरगिट') ने भाव, प्रवाह और कथानक को नये स्वरूप दिये, जिसने हिन्दी को नवीनीकृत संपर्क सौंपे।

वाह्य प्रभाव

आधुनिक पाश्चात्य साहित्य का हिंदी पर प्रभाव भी विशेष उल्लेखनीय है। इसने हिंदी भाषा एवं साहित्य में, नवीन प्रयोगों को जन्म दिया है। इन प्रभावों में सबसे प्रमुख प्रभाव तो यह है कि कहानियों तथा उपन्यासों में उद्देश्य की स्पष्टता एवं प्रस्तुति की सरलता और सहजता तथा काव्य रचनाओं में भावों की प्रबलता और छंदों कें बंधन से मुक्ति प्रदान कर उसकी ग्राह्यता

व्यापक बनाकर उसको अभिनव परिवेश प्रदान किये हैं। अगीत आन्दोलन उसके सुफल के रूप में उभर कर आया है, जिसने हिंदी के पाठकों और समर्थकों की संख्या में भारी बढ़त की है। एक अन्य विशेष परिवर्तन यह हुआ है कि, हिंदी की अनेक ई-पत्रिकाओं एवं सांध्य समाचार दैनिकों, साप्ताहिकों एवं पाक्षिकों का प्रकाशन सम्भव हुआ है।

आविष्कार

चलभाषीय क्रांति, कंप्यूटर तथा इन्टरनेट के आविष्कार और उसके फलस्वरूप उत्पन्न ब्लॉग, ब्लॉगर एवं ई-मेल ने, हिंदी को ऐसी सरल विधियां प्रदान कीं, जो अनेक देशों में प्रचार का माध्यम बन गयीं। 'वाट्सअप' इसकी आधुनिकतम उत्पत्ति है। इसके अतिरिक्त विश्व प्रचार तंत्र में प्रयोग का विकसित स्वरूप भी इसका अद्वितीय उदाहरण है।

नारे एवं संदेश

आधुनिकीकरण के प्रवाह में प्रवाहित नारों तथा संदशों ने भी, हिंदी को ऐसे सहज सरल रूप सौंपे, जिन्होंने उसके विकास और विस्तार को सुगम बनाया। 'मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा' एक ऐसा नारा और सन्देश था जिसका भाव लगभग सभी देशों में प्रसारित और स्थापित हुआ। उससे अनेक वर्ष पूर्व, हिन्दी के राजनैतिक नारे 'गरीबी हटाओं' ने सारी दुनिया में धूम मचाते हुए, अनेक राष्ट्रों में अपना स्थान स्थापित करते हुए, हिंदी की लोकप्रियता में अपार वृद्धि की थी। कुछ ऐसे विशिष्ट सन्देश भरे नारे हैं, जो कालजयी हैं। उदाहरण स्वरूप 'वन्दे मातरम' और 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' जन मानस के समक्ष विद्यमान हैं। भारत के स्वतंत्रता सग्राम में जनित और प्रयुक्त ये सन्देश, विभिन्न धुनों और लयों में प्रवाहित होकर, विश्व के अधिकांश कोणों में प्रसारित हो चुके हैं।

प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान

तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक साहित्य का हिंदी में लेखन एवं प्रकाशन, एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें गत दशकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे हिंदी का प्रभाव क्षेत्र, विस्तारित एवं उन्नत हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसके कारण, हिन्दी भाषा के शब्द भंडार को नवीन शब्द और नये भाव मिले हैं। 'द्रव्यमान', 'लोलक', 'चलभाष', 'अधिकोष', 'सपोषित', 'आनन-पोथी', पुकार-घंटी', 'अभियांत्रिकी', 'छाया-प्रति' एवं 'समय-सूचक' इसके चन्द उदाहरण हैं।

टीकायें एवं टिप्पणियां

एक समय वह था, जब हिंदी में टीका-टिप्पणी अथवा खेल-कूद या अन्य विशेष आयोजनों के रेडियो पर हिंदी में प्रसारण ने, हिंदी को समग्र विश्व में लोकप्रिय बनाया। यह वह समय था जब समाज में टेलीविजन का पदार्पण नहीं हुआ था। उस दौर के रेडियो टीकाकारों के योगदान अविस्मरणीय हैं। विशेषकर जसदेव सिंह, देवकी नंदन पाण्डेय, अशोक बाजपेयी और सुशील दोषी द्वारा प्रस्तुत टीकाओं के प्रभाव, हिंदी के वैश्वीकरण की दिशा में व्यापक तथा गहन थे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के प्रसिद्ध प्रस्तुतकर्ता श्री रत्नाकर भारतीय की सार्थक टीकाओं का भी विशेष योगदान रहा। टेलीविजन के आते ही टेलीविजन चैनलों का सामाजिक समावेश हुआ जिसमें कुछ हिंदी प्रसारणों ने हिंदी के उत्थान में क्रांति जनित कर दी। श्री विनोद दुआ का 'चलते चलते' और श्री अनु कपूर द्वारा 'मेरी आवाज सुनो' कार्यक्रम का संचालन आज भी विश्व के अनेक राष्ट्रों में स्मरण किया जाता है। वर्तमान में इण्डिया टेलीविजन के कार्यक्रम (जो गत 21 वर्षों से चल रहा है) 'आप की अदालत' में श्री रजत शर्मा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ने उत्तरदायित्व संभाल रखा है।

रंगमंच एवं चलचित्र

हिंदी के विकास, विस्तार एवं वैश्वीकरण में हिंदी रंगमंच, हिंदी चलचित्रों, हिंदी वीडियो एवं हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों का अथाह योगदान रहा है। 'राम-कथा', 'कृष्ण-लीला', 'प्रसाद साहित्य' पर आधारित नाटक, मदर इंडिया, जिस देश में गंगा बहती है, दो आंखें-बारह-हाथ 'नवरंग', 'जागते रहो, 'गंगा जमुना', 'हम आपके हैं कौन' और 'लगान' जैसे चलचित्रों और 'रामायण', 'महाभारत' 'हम लोग', 'बुनियाद', 'कक्का जी कहिन' और 'राग दरबारी' जैसे टेलीविजन धारावाहिकों ने सृजनात्मक प्रभाव उत्पन्न किये। आज भी 'जोधा अकबर', 'महाराणा प्रताप' और 'नीली छतरी वाले' जैसे धारावाहिकों तथा मस्ती चैनल पर देर रात्रि प्रसारित पुराने गीतों की अनु कपूर द्वारा संयोजित प्रस्तुति, हिंदी के लोकप्रियता के विकास एवं विस्तार की दिशा को अर्पित और समर्पित हैं।

हिंदी का वैश्वीकरण वर्तमान में एक गतिज यथार्थ है। निरंतर प्रवाहमय परिवर्तन, अभिनय मानव प्रयोग और नवीन आवश्यकताओं से जनित प्रयास इसके चिर पोषक हैं। इन्टरनेट का समावेश, टंकण के नये फॉन्ट और फेसबुक का अनन्त विश्व, इसको अनन्य आयाम प्रदान कर चुका है। हिंदी भाषा के शास्त्रीय साहित्यिक स्वरूपों के समर्थकों एवं अनुयायिओं के लिये यह एक भीषण चुनौती का नाद है। दोनों के सम्भावित अनुनाद पर हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा घोषित होने के कगार पर विद्यमान है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुछ माह पूर्व मैडीसिन स्क्वैर उद्यान में दिये गये हिंदी उद्बोधन में श्रोताओं की अपार भीड़ और उसके टेलीविजन पर प्रसारण के असंख्य दर्शकों द्वारा की गयी प्रशंसा, हिंदी के भावी विस्तार और उत्थान के प्रबल संकेतक हैं।

भारतीय वन सेवा
वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक
उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धनता
उन्मूलन परियोजना
आवास-3/98, विपुल खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष सं॰-9452242469
ई-मेल: trivenidb@gmail.com

डॉ॰ लक्ष्मीनारायण सुधांशु की हिंदी निष्ठा

— डॉ॰ वरुण कुमार तिवारी

हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने वाली वृहत्त्रयी में से एक महापुरुष थे– डॉ॰ लक्ष्मीनारायण सुधांशु। शेष दो महापुरुष थे– राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन (उत्तर प्रदेश) एवं डॉ॰ गोविंद दास (मध्य प्रदेश)। भारतीय संविधान लागू होने के बाद सुधांशु जी के राजनीतिक एवं साहित्यिक प्रभाव के कारण ही बिहार में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित किया गया। उनके प्रयास से श्रीकृष्ण सिंह मंत्रिमंडल ने राजभाषा अधिनियम पारित कर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को ही राज्य की राजभाषा घोषित कर दिया। उन्होंने विधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित कराकर 'बिहार राष्ट्रभाषा–परिषद' की स्थापना कराई। उनके इस महान योगदान को रेखांकित करते हुए मोहनलाल 'वियोगी' ने लिखा था कि, सुधांशु जी के प्रभाव ने अपना काम किया। सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि यहां एक प्रयाग की हिंदुस्तानी अकादमी जैसी कोई संस्था हो और वह बिहार–राष्ट्रभाषा परिषद् के रूप में हमारे सामने है। (नई धारा, जून 1965)

बिहार के पूर्णिया जिलान्तर्गत रूपसपुर (चन्दवा) में ठाकुर धनपत सिंह जमींदर के यहां 15 दिसंबर 1906 ई॰ को जन्मे श्री सुधांशु जी का बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के अतिरिक्त बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पूर्णिया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, कला भवना (पूर्णिया) इत्यादि संस्थाओं की स्थापना एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान था लेकिन उनका आलोचक रूप सब पर भारी था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जब वे अध्ययन कर रहे थे तो वहां डॉ॰ श्यामसुंदर दास हिंदी विभागाध्यक्ष थे और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अध्यापक। उन्हें इन विद्धानों का शिष्य होने का गौरव मिला। आचार्य शुक्ल तब तक अपना मुख्य लेखन कर चुके थे। आचार्य शुक्ल का 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' शीर्षक निबंध एक तरफ आधुनिक आलोचना को क्रोचे के प्रभाव से अलग रखने का प्रयास है तो दूसरी ओर भारतीय रीतिवाद से भी हिंदी–आलोचना को जोड़ने का महान कार्य। डॉ॰ सुधांशु जी ने अपने प्रयास से आलोचना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध किया।

डॉ॰ सुधांशु के 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' (1936) तथा 'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त' (1942) नामक आलोचनात्मक पुस्तकों के अध्ययन से उक्त विषय पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि, गंभीर विवेचन एवं भाषा के प्रांजल प्रयोग का पता चलता है। यह एक वास्तविकता है कि इन दो कृतियों की संदर्भ चर्चा के बिना हिंदी साहित्य की आलोचना अधूरी रह जाती है। हिंदी आलोचना–विधि के विकास के अध्ययन के लिए उनकी ये दोनों कृतियां आज भी प्रासंगिक हैं। 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' के वैशिष्ट्य का उल्लेख करते हुए प्रो॰ सिद्धेश्वर प्रसाद ने लिखा है, 'हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन (1935) में साहित्य परिषद् के अध्यक्ष पद से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था उसमें क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की जो चर्चा की थी उसके बाद उस विषय पर लेखनी उठाना अपने आप में साहस की बात थी और उस कार्य को ऐसी कुशलता से संपन्न करना ऐसी उल्लेखनीय सफलता थी जिसने सुधांशु जी को न केवल एक

सफल बल्कि आचार्य शुक्ल के सुयोग्य उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया।''

हंसकुमार तिवारी का अभिमत है कि 'इन्होंने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्तिवाद– दोनों का विचार विश्लेषण किया है, परंतु निष्पक्ष और तटस्थ रहकर और, जो भी विचार किया है, विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से किया है। डॉ॰ भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता का कहना है कि, ''शुक्ल जी ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत का खंडन मुख्यत: इस धारणा के आधार पर किया है कि वह कलाकृति (फार्म) को ही सब कुछ मानता है, भाव या वस्तु को बिल्कुल महत्व नहीं देता। सुधांशु जी ने यह प्रमाणित करके कि काव्य में विचार और सहज अनुभूति मिले रहते हैं, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्व का कार्य किया। उन्होंने प्रमाणित किया कि यद्यपि क्रोचे ने फार्म (रूपाकार) को सर्वाधिक महत्व दिया है, पर साथ ही यह भी माना है कि बिना वस्तु के सहजानुभूमिजन्य बिंबों या रूपाकारों का निर्माण हो ही नहीं सकता। इस प्रकार सुधांशु जी ने निष्पक्ष और तटस्थ भाव से अभिव्यंजनावाद की व्याख्या की है और उसका पर्याप्त समर्थन भी किया है। साथ ही कहीं–कहीं शुक्ल जी के स्वर में स्वर मिलाकर आलोचना भी की है।'

समाहार रूप में कहा जा सकता है कि सुधांशु जी का लक्ष्य इटली के बेनेडेट्टो क्रोचे के सौन्दर्य शास्त्रीय सिद्धांतों अथवा अंग्रेजी की प्रभाववादी आलोचना की व्याख्या करना नहीं, प्रस्तुत अभिव्यंजना संबंधी भारतीय सिद्धांतों में जो बातें भारतीयता के निकट प्रतीत हुई उन पर मैंने अधिक ध्यान रखने की कोशिश की है; किंतु अपनी भाषा तथा विचार की सांस्कृतिक विभिन्नता के सिद्धांत की चर्चा करने की जहां गुंजाइश न थी वहां मैंने उसे छोड़ दिया है। स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में काव्य में अभिव्यंजना के स्वरूप की भारतीय और पाष्चात्य अभिव्यंजनावादी दोनों दृष्टियों से व्याख्या की गई है।

उनकी दूसरी आलोचनात्मक कृति 'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत' में उनके परिपक्व आलोचनात्मक व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। इसके नौ अध्यायों में जीवन के शाश्वत तत्वों और साहित्य के मूल सिद्धांतों के परस्पर संबंध एवं विश्लेषण हैं। ग्रंथ के आठवें अध्याय में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम–गीतों में मिलता है, उतना परवर्ती कला–गीतों में नहीं। तत्वत: ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। उनकी दृष्टि में 'जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है।' ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, राधा, यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। जैसे—पति के लिए राम या कृष्ण, पत्नी के लिए सीता, सावित्री या दमयन्ती, शवसुर के लिए दशरथ, सास के लिए कौशल्या या यशोदा, देवर के लिए लक्ष्मण आदि सर्वमान्य माने गए हैं।

इस ग्रंथ के अंतिम अध्याय का शीर्षक है— 'अंतदर्शन'। इसमें लेखक ने हिंदी के आधुनिक काल के नौ प्रमुख कवियों—मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, निराला, जर्नादन प्रसाद झा 'द्विज', सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय 'बच्चन', का संक्षिप्त मूल्यांकन किया है। गुप्त जी के बारे में उन्होंने लिखा है, ''मैथिलीशरण गुप्त हरिऔध की भांति ने पूर्वाभिमुख हैं, न पंत की तरह पश्चिाभिमुखा। वे हिंदी काव्य की अनेक प्रवृतियों के मध्य की समन्वयमूर्ति तथा हिंदी पाठकों के

सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं।'' माखनलाल चतुर्वेदी की देश-निष्ठा की उन्होंने प्रशंसा की है लेकिन यह भी लिखा है, ''भारतीय आत्मा की राष्ट्रीय कविताएं इतनी गंभीर तथा जटिल हैं कि उनकी प्रतीति तो दूर रही, बोध भी एक समस्या है।'' जयशंकर प्रसाद की कृति 'कामायनी' के मानवीकरण सामर्थ्य की प्रशंसा की है। श्रद्धा और इड़ा के सौन्दर्य चित्रों की भी सराहना की है। बावजूद उनका कहना है कि, ''इड़ा के योग से जो कर्मविधान दिखाया, यदि वह श्रद्धा के सहयोग से भी दिखाया जाता तो जीवन का सौंदर्य अधिक उद्घाटित हो जाता।''

निराला के काव्य के संबंध में सुधांशु जी की धारणा उनकी पूर्ववर्ती कविता के आधार पर ही बनी थी जो कि एकांगी दृष्टि है क्योंकि उस समय तक उनकी 'तुलसीदास' (1938) और 'कुकुरमत्ता' (1942) इत्यादि काव्य-कृतियां प्रकाशित हो चुकी थीं। यह एक वास्तविकता है कि निराला ने छंदों के बंधन को तोड़ा तो हिंदी में सबसे कठिन छंदों का सृजन भी किया 'द्विज' जी सुधांशु जी के मित्रों में थे। उनके प्रति उनका सहज झुकाव था। सुधांशु जी ने ही उन्हें सच्चिदानंद सिंह कॉलेज, औरंगाबाद से लाकर पूर्णिया कालेज में प्राचार्य के पद पर स्थापित किया था। बावजूद उन्होंने आलोचक के रूप में द्विज जी की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, ''द्विज के विषाद में वैयक्तिकता का अधिक समन्वय रहने के कारण सूफियों की मार्मिकता तो आ गई है, परंतु एकनिष्ठता का निर्वाह करते हुए जीवन की विविध रसात्मक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई।''

'पंत के बारे में उनका कथन है— पंत आधुनिक युग के हिंदी कवियों में प्रकृति की रमणीयता पर मुग्ध होने वाले सबसे अधिक भावुक कवि हैं।' यह कहते हुए वे पंत के प्रकृति -काव्य के महत्व का प्रतिपादन तो करते हैं। लेकिन अन्यत्र पंत में नारी रूप के प्रति सहज आकर्षण का भी उल्लेख करते हैं-''कविता के समग्र रूप को नारी की अभिव्यक्ति के रूप में उपस्थित करना और वह भी पुरुष रचयिता होकर, उनकी कवि-प्रकृति की स्रैणता ही प्रमाणित करता है। पंत ने कोमलता के आग्रह से ही ऐसा किया है।'' दिनकर के काव्य के बारे में उन्होंने लिखा है कि, 'हिमालय दिनकर की काव्य-साधना का मेरूदंड है।' इसी तरह महादेवी वर्मा के काव्य प्रसंग पर उन्होंने लिखा है, ''महादेवी वर्मा को वेदना प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता के लिए उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं जो स्पष्ट हो। व्यक्ति का जीवन ऐसे ही रहस्यमय तत्वों से निर्मित होता है, जिन्हें हम समूल अभिव्यक्त नहीं कर सकते। महादेवी ने अपनी वेदना की प्रियता के संबंध में जिन कारणों का उल्लेख किया है, वे पर्याप्त तो क्या युक्तिसंगत भी नहीं हैं।'' बच्चन को हिंदी कविता को शब्दकोशों से निकालकर घर- आंगन तक ले आने और महापुरुषों के स्थान पर आम आदमी को कविता के केन्द्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय है। अकिंचनता में असाधारणता की उपलब्धि बच्चन के काव्य का वैशिष्ट्य है। यथाः 'यह महान दृश्य है/चल रहा मनुष्य है/अश्रु-स्वेद-रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ!' परंतु जिन लोकधुनों पर आधारित गीतों का सुधांशु जी ने उल्लेख किया है, उनके द्वारा बच्चन की रचनाओं का मूल्यांकन समीचीन नहीं है। बावजूद सुधांशु जी द्वारा आधुनिक काल के पांक्तेय कवियों का मूल्यांकन निस्संशय उल्लेखनीय माना जाएगा।

सुधांशु जी की अन्य साहित्यिक कृतियां हैं—रस रंग (कहानी संग्रह, 1928), गुलाब की कलियां (कहानी संग्रह, 1928) भ्रातृ प्रेम (सामाजिक उपन्यास, 1926-27) वियोग (गद्य काव्य, 1931), साहित्यिक निबंध (1964), संपर्क भाषा हिंदी

(1965), हिंदी के दस प्रबंध महाकाव्य (1967) तथा व्यक्तित्व की झांकियां (1970)। 'साहित्यिक निबंध' सुधांशु जी के दस निबंधों का संकलन है जिनके शीर्षक हैं—1. साहित्य में व्यक्तित्व, 2. साहित्य की संक्रांति और संभावना, 3. राष्ट्रीय कविता, 4. जीवन और साहित्य, 5. साहित्य विमर्श, 6. साहित्य शास्त्र और समालोचना, 7. राष्ट्रभाषा, साहित्य और कला, 8. राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रीय एकता, 9. द्रौपदी का बहुपतित्व, और 10. सीता का शील संदर्भ। इनमें प्रथम पांच तो साहित्य के सिद्धांत पर आधारित निबंध हैं जबकि शेष निबंधों में हिंदी भाषा और साहित्य की साधारण लेकिन आवश्यक समस्याओं पर विवेचन-विश्लेषण है।

'साहित्य में व्यक्तित्व' शीर्षक निबंध में उनका मत है कि, ''.....बाह्य जगत में मनुष्य सचेत होकर बहुत कुछ दिखावट के साथ कोई काम करता है किंतु साहित्य-रचना के समय उसका ध्यान एकांत रूप से अपने वर्ण्य विषय पर लगा ही रहता है। उसकी अंतर्वृति धीरे-धीरे उसकी रचना के पद में गौण रूप से सन्निहित हो जाती है।'' 'साहित्य की संक्रांति और संभावना' शीर्षक निबंध में सुधांशु जी का कथन है कि साहित्य में जीवन शुद्ध रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। वहां जीवन को एक विचार के रूप में रखा जाता है। 'संक्रांति' के संबंध में उन्होंने लिखा है, ''संक्रांति बहुधा किसी के करने से नहीं हुआ करती, वह तो जीवन की एक ऐसी विशेषता है जो स्वत: अपने अस्तित्व का परिचय देती है।'' 'जीवन और साहित्य' निबंध में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि साहित्य की समस्याएं जीवन की समस्याओं से भिन्न नहीं हैं। 'साहित्य-विमर्श' शीर्षक निबंध 'जीवन और साहित्य' लेख का ही परिवर्द्धित रूप है। लेखक का स्पष्ट मत है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य में नैतिक जीवन को जो प्रतिष्ठा दी गई है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

'राष्ट्रीय कविता' शीर्षक निबंध में लेखक ने हिंदी के प्रमुख राष्ट्रीय कविताओं के कवियों—यथा: भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, पं॰ माधव शुक्ल, पं॰ बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', जनार्दन झा 'द्विज' श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, पं॰ मन्नन जी द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त, पं॰ गोकुलचंद्र शर्मा 'परंतप', पं॰ ठाकुर प्रसाद शर्मा, पं॰ रामदेनी तिवारी 'द्विजदेनी' एवं प्रिंसिपल मनोरंजन का उनकी रचनाओं के साथ उल्लेख किया है। लेखक ने प्रथम कोटि में वैसी राष्ट्रीय कविता को रखा है जो राष्ट्र की महिमा-गरिमा दिखाकर जनता की भावना को उद्वेलित करती हैं। दूसरी कोटि की रचनाओं में राज्य की आर्थिक दुर्दशा एवं करूणापूर्ण स्थिति का चित्रण कर जनता के हृदय को द्रवित करने का प्रयास किया जाता है। तृतीय श्रेणी की रचनाएं वीरत्वपूर्ण हुंकारों-ललकारों से जनता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके अनुसार हिंदी में अंगणित राष्ट्रीय कविताएं निकलीं; कुछ सामयिक पत्रों में छपीं, कुछ पंपलेटों में। उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि, ''यों तो हिंदी के प्राय: सभी वर्तमान कवियों ने कुछ न कुछ राष्ट्रीय कविताएं की हैं, किंतु गोकुलचंद्र शर्मा, पं॰ रामदेनी तिवारी, प्रि॰ मनोरंजन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। असहयोग काल में पं॰ रामदेनी तिवारी जी की 'गंगा रे जमुनवा की धार' और प्रि॰ मनोरंजन की 'फिरंगिया' का बिहार में बड़ा बोलबाला था।''

महाभारत तथा रामकथा से संबंधित अन्य कृतियों एवं मिथकों के आधार पर लिखे गए दो निबंधों—'द्रौपदी का बहुपतित्व' और 'सीता का शील-संदर्भ' में सुधांशु जी ने गवेष्णापूर्ण नई दृष्टि का परिचय दिया

है। महाभारत के विशेषज्ञ मराठी विद्वान रायबहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य, एस॰ सी॰ सरकार (सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसल हिस्ट्री ऑफ इंडिया), पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज आदि के विचारों एवं स्मृति ग्रंथों, सूत्र ग्रंथों एवं महाभारत के विविध प्रसंगों को उद्धृत कर सुधांशु जो ने प्रमाणित कर दिया है कि द्रौपदी का बहुपतित्व की कथा प्रक्षिप्त है। लेखक के अनुसार संभवत: 'मातृ-महत्व दिखाने के लिए ही ऐसी कल्पना की गई होगी।' अत: विद्वान निबंधकार का स्पष्ट अभिमत है कि 'खोज और तर्क के आधार पर विचार करने से द्रौपदी का बहुपतित्व सर्वथा निराधार प्रमाणित हो जाता है।'

'सीता का शील-संदर्भ' शीर्षक निबंध में लेखक ने वाल्मीकीय रामायण, रामचरितमानस और उत्तररामचरित के अनेक स्थलों को उद्धृत कर यह प्रमाणित किया है कि सती सीता पार्थिव होकर अपार्थिव हो गई। उनकी दृष्टि में सीतादेवी का चरित्र समस्त नारी जाति के अभियान की वस्तु है। उन्होंने लिखा है, ''जनकनंदिनी सीता को हम देवी की तरह पूजते हैं, उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं, यह इसलिए नहीं कि वह एक देवी थी, बल्कि इसलिए कि वह एक मानवी थी और अपने अनुपम चरित्र-बल से उन्होंने मानवता की पूर्ण अभिव्यंजना की है।''

'संपर्क भाषा हिंदी' सुधांशु जी की एक लघुकाय कृति है जिसमें हिंदी की अस्मिता का साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुकोणीय अध्ययन किया गया है। महात्मा गांधी ने जब मद्रास में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना की और उत्तर भारत के हिंदी सेवी हिंदी प्रचार के निमित्त दक्षिण की यात्रा पर गए, तब से राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में दिए गए भाषणों, लेखों और पत्रों के संकलन की यह कृति राष्ट्रभाषा के व्यक्तित्व को समझने के लिए उपयोगी संदर्भ ग्रंथ है। पुस्तक के अंत में सुधांशु जी द्वारा प्रधानमंत्री शास्त्री जी, 'सरस्वती'-संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी एवं मान्यवर श्री श्रीप्रकाश जी को लिखे गए महत्वपूर्ण पत्र संकलित हैं, जिनमें हिंदी के प्रति सुधांशु जी की हार्दिक पीड़ा की अभिव्यक्ति है। पुस्तक में परिशिष्ट रूप से हिंदी दिवस पर एक वक्तव्य है, जिसमें हिंदी से जुड़े महात्मा गांधी के चार ऐतिहासिक आदेशों को संदर्भित किया गया है। ये चार आदेश हैं – यदि मैं तानाशाह होता तो: 1. आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता; 2. सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने के लिए मजबूर कर देता; 3. जो आना-कानी करते, उनको बर्खास्त कर देता; और 4. मैं पाठ्य-पुस्तकों के तैयार किये जाने का इंतजार नहीं करता। निसंदेह गांध ी जी के इन आदेशों के आभ्यंतरिक तथ्यों को समझने की जरूरत आज भी यथावत बनी हुई है।

सुधांशु जी का आलोचक रूप तो सबको ज्ञात है लेकिन उनका रचनाकार रूप दृश्य से प्राय: ओझल ही रहा। उनके गद्य-काव्य 'वियोग' में उनके रचनाकार रूप का बोध होता है। इसमें उन्होंने अपने अन्तर्मन में बसनेवाली स्वर्गीया पत्नी की स्मृति में अपने हृदय के हाहाकार को स्वर दिया है। अपने रचनात्मक रूप में यह गद्य-काव्य गीति की सारी सुकुमारताओं से ओतप्रोत है। सात शीर्षकों में निबद्ध वियोग के दु:ख को प्रेमी बिल्कुल मार्मिक स्वर में गाता है जिसका करुण संगीत हमारी चेतना को झकझोर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यथित व्यक्ति की पुकार पाठक की चेतना में जग उठी है। सुधांशु जी अपने हृदय की समस्त उद्भावनाओं को 'स्वर्गीया पत्नी की स्मृति में' उत्सर्ग कर देते हैं। छायावादी कवियों ने भी अपनी सारी पीड़ा प्रगीतों में ही अभिव्यक्त की। 'कामायनी' भी प्रगीतात्मक महाकाव्य है। प्राय: सभी गद्य गीतकारों ने यह मानकर गद्य गीतों की

रचना की कि गद्य गीत भावुक भाषा में लिखा गया एक साहित्यिक विधान है।

सुधांशु जी के 'रस रंग' शीर्षक कहानी संग्रह में काव्य के सभी रूपों–रसों को आधार बनाकर लिखी गई कहानियां हैं। इसमें संग्रहीत कहानियां हैं – 'मिलन', 'बुढ़िया की मृत्यु', 'पंडित जी का विद्यार्थी', 'ज्योति–निर्माण', 'विमाता', 'मर्यादा', 'दण्ड', 'प्यास' आदि। इन कहानियों में सभी रसों को रूपायित किया गया है। प्रत्येक रस की परिपुष्टि हेतु घटनाओं की उपेक्षा कर भाव को प्रधानता दी गई है। अत: इन कहानियों में कथा की स्वाभाविक रोचकता की जगह कथाकार के उद्देश्य एवं सुविचारित भावों को प्रतिष्ठा मिली है। कहानी स्वाभाविक प्रवाह में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि लेखक के उद्देश्य के अनुरूप रस की सृष्टि करती हुई आगे बढ़ती है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है। लेखक का वक्तव्य है कि हिंदी–संसार के गद्य साहित्य में तब तक ऐसी कोई नव रसमीय–पुस्तक नहीं थीं।' अत: इस कहानी संग्रह का मूल्यांकन हिंदी कथा–साहित्य के इतिहास में तत्कालीन समय की रुचि के रूप में किया जाना चाहिए।

'व्यक्तित्व की झांकियां' सुधांशु जी के संस्मरणात्मक तथा चरित्रात्मक लेखों का संग्रह है जिसमें ग्यारह व्यक्तियों पर बारह लेख हैं। पं॰ नेहरू पर दो लेख हैं। अन्य नेता हैं – डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, पटेल, डॉ॰ जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शस्त्री, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन और डॉ॰ संपूर्णानंद। चार लेख साहित्यकारों पर हैं – बाबू बालमुकुन्द गुप्त, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा जनार्दन प्रसाद झा 'द्विज'। प्राय: संस्करण के बहाने लेखक अपने को स्थापित करते हैं और जिन पर संस्मरण लिखा जा रहा हो, यदि वह जीवित नहीं हो तो फिर क्या बात है। लेकिन सुधांशु जी ने बड़ी तटस्थता से अपनी बात कही है। उन्होंने अपने लेख में न तो किसी को अनावश्यक रूप से महत्व प्रदान किया है और न ही किसी को छोटा दिखाकर स्वयं को बड़ा साबित करने का प्रयास किया है।

संस्मरण में आत्मीयता और भावुकता का अपना महत्व होता है। इस कृति में डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ॰ जाकिर हुसैन, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और द्विज जी पर लिखे गये संस्मरण आत्मीयता से ओत–प्रोत हैं। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद सीधे और सरल स्वभाव के थे। डॉ॰ सुधांशु उनके साथ बिताये क्षणों को याद करते हुए उपर्युक्त तथ्य की संपुष्टि करते हैं। लाल बहादुर शस्त्री, पुरूषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय एवं द्विज के संस्करणों में लेखक ने उनकी वेशभूषा, भाव–भंगिमा, रहन–सहन आदि का जो चित्रण किया है, उससे वे आंखों के समक्ष मूर्तिमान हो जाते हैं। बेनीपुरी जी के बारे में वे लिखते हैं – ''उनकी हंसी, उनका अट्टाहास, उनके कहकहे, उनकी भाव–भंगिमा, उनके चुटकुले आदि ऐसे होते थे जिनसे सबका ध्यान सहज ही वे अपनी ओर आकर्षित कर लेते। लिखने में जैसे उछल कूद कर चलने वाली फुदकने वाली उनकी शैली थी, बोलने की शैली भी उनकी वैसी ही थी। जिंदा दिल आदमी थे।''

शिवपूजन सहाय का जीवन संघर्षमय था। वे जीवन भर आर्थिक विपन्नता के शिकार रहे पर कभी हार नहीं मानी। आदर्शों से समझौता नहीं किया। सन् 1947 ई॰ में सुशांधु जी के प्रयास से बिहार सरकार ने उन्हें पांच सौ रुपया मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया लेकिन – ''शिवजी मुफ्त में पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझे (सुधांशु जी को) सूचित किया कि वे कमाकर ही खाना चाहते हैं, मुफ्त में पेंशन लेना नहीं चाहते।''

कवियों ने गांव को कथित स्वर्ग से बढ़कर माना है

लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। वे सुनी सुनाई बातों को दुहराते हैं। शिवजी वाले संस्मरण में भारतीय गांव का असली चित्र दिखाई देता है। शिवपूजन सहाय जी ने एक पत्र में सुधांशु जी को आप बीती बताते हुए लिखा है – ''कवियों के लिए किसान बड़े भोले-भाले हैं दूध के धोये हुए हैं, पर मुझे जो यहां अनुभव हुआ उसको क्या बताऊं! लोग खेत की फसल चरा लेते हैं, लगे पौधों को काट देते हैं। बात-बात में झगड़ा-फसाद। जिसके मुंह में बोल नहीं वह गांव में नहीं रह सकता है। मैंने जो साहित्यिकों की बहुत सी चिट्ठियां संजोई थीं, अखबारों की कतरनें जमा की थीं, सबको बदमाशों ने कुऐं में डाल दिया। अपनी मुसीबत क्या बताऊं, किसान भोले भाले हैं।''

हिंदी के प्रथम संस्मरण लेखक बाबू बालमुकुंद गुप्त हैं। उन्होंने 1907 ई॰ में प्रताप नारायण मिश्र पर संस्मरण लिखा था। इस कृति में गुप्त जी पर भी एक चरित्रात्मक लेख है। नेहरू जी पर लिखे पहले लेख में उनके कलात्मक पक्ष को और दूसरे में उनके राजनीतिक पक्ष को उजागर किया गया है। 'श्री जवाहर लाल नेहरू: एक कलाकार शीर्षक लेख की शुरूआत लेखक ने विश्व प्रसिद्ध लेखिका पर्ल बक के नेहरू संबंधी विचार से की है। लेखक के अनुसार साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, नेशनल बुंक ट्रस्ट जैसी अद्वितीय सस्थाओं की स्थापना के पीछे नेहरू जी का विजन था। इस लेख में सुधांशु जी ने इन संस्थाओं की स्थापना की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया है। अभिप्राय यह कि इन लेखों से इतिहास की कई बातें, तत्कालीन युग-बोध, मूल्य आदि का पता चलता है।

सुधांशु जी के लिए पत्रकारिता लोकजागरण का एक समर्थ माध्यम रही। वे छात्र जीवन में ही 'कुमार' और 'अशोक' नामक पत्रिकाओं का संपादन कर चुके थे। 1936 में उन्होंने द्विज जी के साथ मिलकर 'साहित्य' (हिंदी साहित्य सम्मेलन की शोध पत्रिका) का संपादन किया। उनके द्वारा संपादित 'साहित्य' के तीनों अंक अपनी प्रभूत सामग्री और प्रखर संपादकीय विजन के कारण दस्तावेजी अंक बन गये। 1939 ई॰ में उन्होंने पूर्णिया से 'राष्ट्र संदेश' पत्र का शुभारंभ किया। यह पत्र सुधांशु जी के राष्ट्रचिंतन की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बन गया। उन्होंने 'बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पत्रिका' के संपादन-मंडल के सदस्य के रूप में शोध केंद्रित हिंदी पत्रिकारिता का मानक प्रस्तुत करने में सक्रिय सहयोग किया परंतु उनकी प्रतिभा की सर्वांश प्रस्तुति 'अवंन्तिका' पत्रिका में देखने को मिलती है। 'अवनितका' का प्रकाशन वर्ष है—नवंबर 1952 ई॰ से दिसंबर 1956 तक। अजन्ता प्रेस लि॰ पटना से प्रकाशित यह विविध विषयों से समन्वित सचित्र मासिक पत्रिका थी। इसमें आठ पेज के संपादकीय के अतिरिक्त आलोचनात्मक साहित्य एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विषयों के आलेख होते थे। 'भारतीय वाड्मय' में भारतीय भाषा साहित्य से संबंधित आलेख एवं टिप्पणी होते थे। 'विचार संचय' में प्रसिद्ध विद्वानों तथा 'सार संकलन' में देशी-विदेशी पत्रिकाओं, पत्रकारों के विचार संकलित होते थे। 'विश्व वार्ता' में राष्ट्रीय अंर्तराष्ट्रीय गतिविधियों और 'पुस्तकालोचन' में नई पुस्तकों की समीक्षा होती थी।

हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंददुलारे बाजपेयी, नगेन्द्र बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, नलिन विलोचन शर्मा, दिनकर, रेणु, शांतिप्रिय द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, मन्मथनाथ गुप्त, विश्वंभर मानव आदि विद्वान अवंतिका में नियमित लिखते थे। इसके प्रवेशांक (नवंबर 1952) में ही निराला, महादेवी वर्मा, शिवमंगल सिंह 'सुमन',

केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' 'दिनकर' और रामगोपाल शर्मा 'रूद्र' की कविताएं छपीं। इस तरह प्रताप, आज, सैनिक, कर्मवीर, माधुरी, सुधा, सरस्वती, चांद, हंस, अभ्युदय, स्वेदश, मर्यादा जैसी पत्रिकाओं की कड़ी में 'अवंतिका' भी थी अपने समय की समाजार्थिक, सांस्कृतिक चेतना की दैनन्दिनी थी। अपने चार वर्षीय अवधि में 'अवंतिका' ने हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता को एक नई ऊचाई दी। नि:संदेह विचारात्मक साहित्यिक प्रगति हेतु 'अवंतिका' द्वारा किये गये कार्यों को ऐतिहासिक माना जाना चाहिए।

परंतु सर्वात्मना हिंदीव्रती सुधांशु जी हिंदी के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए भी राजनैतिक जीवन की व्यवस्तता के कारण बहुत कुछ उल्लेखनीय काम नहीं कर सके। जिस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ 'काव्ययोग और रस तत्व' का लिखना उन्होंने आरंभ किया था, वह पूरा नहीं हो सका। समय का ऐसा आकलन रहा कि स्वाध्याय और गहरे चिंतन का अवसर ही नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यवश 17 अपैल 1974 को राष्ट्रभाषा के इस अनन्य सेवक का अकस्मात निधन हो जाने से साहित्येतिहास का एक विशिष्ट अध्याय अधूरा ही रह गया। उनके द्वारा किये गये महत्वूपर्ण कार्यों में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद् इतिहास' (आलोचना-निबंध, सन् 1920 से 1940) तथा 'अवंतिका' एवं 'साहित्य' के संपादन और दो मानक ग्रंथों ('काव्य में अभिव्यजनावाद' तथा 'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत') के सृजन को परिगणित किया जा सकता है। पूर्णिया में विशाल भूखंड पर 'कलाभवन' का निर्माण भी उनके कला-संस्कृति प्रेम का द्योतक है। विगत पांच दशकों से यह पूर्णिया की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। पूर्णिया में अपने निवास स्थान 'अवन्तिका' में उन्होंने बहुत उन्नत पुस्तकालय का निर्माण भी किया था जहां दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध थीं। समय के अकाल में ही उन्होंने पूर्णिया कालेज के एक प्रो॰ कुमार जितेंद्र सिंह के पी॰ एच॰ डी॰ शोध का विधिवत निर्देशन भी किया था। रामधारी सिंह 'दिनकर' के अनुसार 'सुधांशु' जी ने 1926 से 1929 तक आल्हाखंड पर भी बहुत शोध कार्य किया था। इस संबंध में उनके और नहीं, तो आठ दस लेख 'सुधा' और 'माधुरी' में छपे होंगे। वे आल्हाखंड के मूल रूप का संपादन भी कर रहे थे, किंतु कई कारणों से यह काम पूरा नहीं हो सका।''

वस्तुत: हिंदी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा उनके अंतर्हृदय की राष्ट्रीय भावना के अनुप्रणित थी। हिंदी भाषा के प्रति उनकी गहरी चिंता को एक प्रसंग से समझा जा सकता है। 'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत' पुस्तक की पांडुलिपि जब वे धारा-प्रवाह बोलते हुए आशुलेखक भगवान चंद्र विनोद से लिखवा रहे थे तो उन्हीं दिनों प्रताप साहित्यालंकार एवं अन्य लोगों ने उनसे एक दिन प्रश्न किया कि 'राष्ट्र की भावनात्मक एकता में हिंदी का योगदान क्या और कितना है? उनका जबाव था-''यों तो सुप्रसिद्ध भाषा तत्वज्ञ डॉ॰ सुनिति चटट्ोपाध्याय के अनुसार अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता की मुख्य प्रतीक हमारी हिंदी भाषा है और हमारे पुराने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एवं सुधारकों ने हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्रीय एकता का संदेश सुनाया है तथापि बंगाल के धार्मिक नेता केशवचंद्र, समाज सुधारक राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महान लेखक बंकिम चंद्र तथा गुजरात के महर्षि दयानंद, महराष्ट्र के लोकमान्य तिलक, पंजाब के लाला लाजपत राय तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सरीखे अहिंदी भाषा-भाषियों ने भारतीय जन-मानस में यह विश्वास जगया था कि हिंदी ही बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय की भाषा हो

सकती है। मगर आज की राजनीति करने वाले लोगों ने हिंदी को कहां पहुंचा दिया है। जो हिंदी दक्षिण भारतीय सगुण भक्तों के कंठ से पदों और भजनों के रूप में राम और कृष्ण के लीला-गान में उत्तर भारत में फैली, आज उस हिंदी की दुर्दशा लार्ड मेकोले के मानस पुत्रों ने कैसी बना दी है। विश्व की तीसरी भाषा हिंदी, भारत के दो तिहाई लोगों के बोल चाल की भाषा हिंदी, गोरखपंथी नाथ योगियों, बौद्ध सिद्धों, निर्गुनियां संत कवियों की भावाभिव्यक्ति की भाषा हिंदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कवियों की भाषा हिंदी और बाबू भारतेंदु हरिशचंद्र से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद, जैनेंद्र, राहुल, रघुवीर, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखकों, आलोचकों, समीक्षकों की भाषा हिंदी आज अपनी गरिमा से किस कदर गिरा दी गयी है—यह सोचकर ही हृदय आहत-आक्रांत हो जाता है।''

—संपर्क: प्लाट नं॰ 398 (यू॰ जी॰) सेक्टर-4, वैशाली-20101 (गाजियाबाद)

हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत हैं, जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में आसीन हो सकती हैं।

–मैथिलीशरण गुप्त

भारतीय रेल में राजभाषा गतिविधियां

— के॰पी॰ सत्यानंदन

भारतीय रेल हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें लगभग 14 लाख व्यक्ति काम करते हैं, लगभग 04 करोड़ यात्री, रोजगारी और अन्य ग्राहक प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं और प्राय: 10 लाख टन माल की ढुलाई होती है। रेलवे चौबीसों घंटे एवं बारहों मास जनता एवं राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। इसका नारा है—ग्राहकों की सेवा मुस्कान के साथ, जन-संपर्क का इससे बड़ा अन्य कोई संगठन नहीं है। इस कारण जन-सेवा की उसकी जिम्मेदारियां भी अधिक हैं और उसे जन-भावना का सबसे अधिक ध्यान रखना होता है। उसे आरंभ से इसका बोध रहा है कि जन-संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी का प्रयोग आवश्यक है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेल राष्ट्र की मुख्य धमनी है। रेलों पर जन-भावना के अनुकूल हिंदी के प्रयोग-प्रसार का कार्य दृढ़ गति से चल रहा है। इसमें सभी क्षेत्रों और वर्गों के रेल कर्मचारियों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। सभी प्रांतों की अलग-अलग भाषाएं हैं। बहु भाषा-भाषियों को सफर के दौरान एकसूत्र में पिरोने के लिए किसी संपर्क भाषा की जरुरत पड़ी। यह जरूरत देश के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी ने पूरी की। इस प्रकार राजभाषा एवं रेलवे का अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं। अत: रेलवे का संवैधानिक दायित्व है कि वह हिंदी का प्रयोग-प्रसार बढ़ाए ताकि बहु भाषा-भाषी जनता को इसका लाभ मिले।

रेलवे पर हिंदी की गतिविधियां

रेलों ने हिंदी का काम बढ़ाने के लिए बहुत सारे विषयों में पहल की है। चाहे पुरस्कार की नई योजनाएं शुरू करने की बात हो या रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विभागीय कक्षाएं चलाने की हो, अथवा कार्यालयों में हिंदी के काम का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की या सहायक साहित्य सुलभ करने की, हर दिशा में उन संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश की गई है जिनसे हिंदी को सद्भाव और प्रेम के वातावरण में आगे बढ़ाने में मदद मिले। विशाल रेल प्रणाली की तमाम गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के साथ-साथ संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के मामलों में भारतीय रेल हिंदी के प्रयोग-प्रसार में सदैव अग्रणी रही है। प्रारंभ में केवल अंग्रेजी में उपलब्ध फार्म, नियमावली, कोड, स्टेशन संचालन नियम का अनुवाद करवाया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रलेखों का द्विभाषीकरण अनिवार्य किया गया। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाने लगा तथा केवल हिंदी के हस्ताक्षर वाले पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिया जाने लगा। अनुवाद में सहायता के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को शब्दकोश, सहायक साहित्य आदि मुहैया कराए गए। इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई।

भारतीय रेल के सभी कार्यालयों में हर वर्ष सितंबर माह में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दौरान हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी, टिप्पण प्रारूपण, निबंध प्रतियोगिताएं एवं काव्य पाठ, नाटक मंचन, प्रश्न मंच आदि का आयोजन किया जाता है। अखिल रेल स्तर पर भी प्रतियोगिताएं की जाती हैं। सभी

कंप्यूटरों को द्विभाषी करवाया गया है। कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि हिंदी के प्रयोग-प्रसार एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। सामान्यत: राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कार्यालय के प्रमुख ही होते हैं। चाहे उनका पद संयुक्त सचिव स्तर के ऊपर का हो। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, जिनका स्तर भारत सरकार के प्रमुख सचिव के बराबर है, के द्वारा रेलवे बोर्ड में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उक्त बैठक में 7 सचिव स्तर के अधिकारी एवं 30 अपर सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। इस समिति में निदेशक राजभाषा को छोड़कर शेष सभी संयुक्त सचिव स्तर या उसके ऊपर के अधिकारी हैं। वर्तमान में लगभग 30 से अधिक नराकास के अध्यक्ष रेलवे के महाप्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक है। रेल मंत्रालय में रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में रेलवे हिंदी सलाहकार समिति गठित है जिसमें 6 सांसद और 43 गैर सरकारी सदस्य सहित 60 से अधिक सदस्य हैं जोकि अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा सबसे बड़ी समिति है। सरकारी कार्य से दौरे पर जाने वाले रेल अधिकारी अपने मूल निरीक्षण के अलावा हिंदी की प्रगति का भी जायजा लेते हैं ताकि हिंदी की प्रगति में और निखार आ सके। अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के मामले में भी रेल मंत्रालय अग्रणी है। क्षेत्रीय रेलों में नियमित तौर पर हिंदी डिक्टेशन कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक अपने हस्ताक्षर से अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को प्रत्येक महीने में हिंदी प्रगति की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रेलों के मुद्रणालयों में प्रकाशन के लिए प्राप्त अंग्रेजी की सामग्री के साथ हिंदी की सामग्री देना अनिवार्य है। इस प्रकार मुद्रणालय प्रकाशन के मामले में जांच-बिंदु का कार्य करते हैं। वर्तमान में भारतीय रेलों में 1000 से अधिक हिंदी पुस्तकालय हैं और इनमें से अधिकांश पुस्तकालयों का नामकरण हिंदी साहित्य कारों के नाम पर किया गया है। इन पुस्तकालयों में समय-समय पर प्रमुख हिंदी साहित्याकारों की जयंतियां भी मनाई जाती हैं। पुस्तकालयों में हिंदी की स्तरीय पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाओं की खरीदी के लिए पर्याप्त निधि भी उपलब्ध कराई जाती है। यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि रेलवे में राजभाषा हिंदी की गतिविधियों के लिए अलग से बजट व्यवस्था का प्रावधान भी है।

रेलवे टिकट, आरक्षण स्लिप और चार्ट, समय सारणियां, कैलेंडर, खानपान की दर एवं व्यंजन सूची आदि द्विभाषी तैयार की गई हैं। स्टेशनों के सूचनापट्ट, बैज, गाड़ियों के नाम आदि द्विभाषी/त्रिभाषी होते हैं। स्टेशनों में उद्घोषणाएं हिंदी में भी अनिवार्य रूप से की जाती हैं। डिजिटल बोर्डों में भी हिंदी सुनिश्चित की जाती है। गाड़ियों के नाम हिंदी में रखे जाते हैं। विभिन्न अवसरों पर जारी किए जाने वाले संदेश, सामान्य अवसर पर दिए जाने वाले भाषण एवं संबोधन एवं उद्बोधन यथासंभव हिंदी में होते हैं।

रेलकर्मियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। रेल मंत्री राजभाषा स्वर्ण पदक, जोकि भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के उच्चाधिकारियों और इसी प्रकार रेलमंत्री राजभाषा रजत पदक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रदान किए जाते हैं। उच्चाधिकारियों को राजभाषा कार्य के लिए सम्मानित करने की इस प्रकार की योजना शायद ही अन्य मंत्रालयों में लागू हो। इसके अलावा अपना अधिकांश सरकारी कामकाज हिंदी में करने पर सभी रेल कार्यालयों के लिए व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना भी लागू की गई है। इसी प्रकार अन्य पुरस्कार योजनाओं में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्राफी

योजना, रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी में कथा/उपन्यास लेखन के लिए प्रेमचंद और काव्य लेखन के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना, रेलवे के कार्य-संचालन पर हिंदी में तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना आदि कुछ प्रमुख पुरस्कार योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय रेल एवं मंडल कार्यालय से हिंदी की गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। कई रेलों द्वारा हिंदी की ई-पत्रिकाएं निकाली जाती हैं।

हमारी हार्दिक इच्छा है कि राजभाषा के इस मार्ग पर हम सदैव गतिशील कदमों से आगे बढ़ते रहें व भविष्य में इसकी गति निरंतर बढ़ाते रहे। यही हमारा ध्येय है कि हिंदी सही मायने में उस गद्दी पर विराजमान हो जिसकी वह अधिकारिणी है। हिंदी अपने सहज, उदार एवं समावेशी गुणों के कारण निरंतर लोकप्रिय होती जा रही है। इसी प्रकार भारतीय रेल भी हिंदी के प्रयोग-प्रसार में निरंतर प्रयासरत है। रेल मंत्रालय द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों को देखते हुए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विगत में कई बार पुरस्कार प्रदान किया गया है।

निदेशक राजभाषा, रेलवे बोर्ड

हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

–डॉ राजेन्द्र प्रसाद

समाज और साहित्यिक उपयोगिता

—सीता राम पाण्डेय

भारतीय साहित्य, व्योम की तरह विस्तृत और गंगा के समान गौरवपूर्ण एवं पवित्र है, जिसकी आत्मा में लोक-कल्याण की भव्य-भावनाएं हिलोरें मारती रहती हैं। साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है-'हि-सहितम-साहित्यम्' अर्थात् जो मानव-जाति के लिए हितकर, सुखकर और श्रेयष्कर हो, उसे हम साहित्य की संज्ञा से विभूषित करते हैं।

मस्तिष्क को सक्रिय रखने तथा उसके विकास और वृद्धि में सहायता पहुंचाने के लिए साहित्य रूपी भोजन से मनुष्य का मानसिक परिपोषण होता है, जैसे—भौतिक शरीर की उन्नति पंचभूतों के कार्य-रूप, प्रकाश, वायु, जलादि की उपयुक्ता पर निर्भर है। वैसे ही मनुष्य का बनना-बिगड़ना साहित्य पर अवलम्बित है। अत: सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास में साहित्य का प्रभूत योगदान है।

किसी देश की संस्कृति और सभ्यता जानने के लिए वहां के साहित्य का सम्पूर्ण रूप से अध्ययन आवश्यक है। साहित्य, देश, जाति, व्यक्ति के विकास का बीज है। उसमें मानव-कल्याणार्थ धार्मिक, विचारों, सामाजिक-संगठन, ऐतिहासिक घटना तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब परिदृश्य है।

साहित्य से अधिक कल्याण और किसी कला से नहीं। यही एक मात्र सहज आधार है जिसमें व्यक्ति त्रिकालिक ज्ञान हासिल कर सकता है। भारतीय साहित्य में समाज पर प्रभाव डालने की अद्‌भुत क्षमता है। उसमें ऐसी शक्ति समाहित है कि वह सीधे देश की जनता में जागृत का मंत्र फूंक दे। इस तरह हम देखते है कि मानवीय मूल्यों से मंडित साहित्य में बादशाह की बादशाहत को पलट देने की अपरिमित शक्ति सगुंफित हैं।

शास्त्रानुसार—साहित्य-संगीत-कलाविहीन: साक्षात् पशु पुच्छ, विषाण हीन:''

अर्थात् साहित्य-संगीत कला से विहीन व्यक्ति, सींग और पूंछ से हीन साक्षात पशु के समान होता है।

यह तो सर्वविदित बात है कि मनुष्य पहले वन्य-जीवन व्यतीत करता था। कन्द-मूल-फल से उसकी क्षुधा निवृत्ति होती थी और निर्झर के नीर से उसकी प्यास शान्त होती थी। पर्वत की कंदराओं एवं पेड़ों की छाया में वह रात्रि व्यतीत करता था। वर्षा, शीत और गर्मी से वह अपने को बचाने के लिए इनका ही आश्रय लेता था।

प्रकृति और परिस्थिति से संघर्ष करता हुआ मानव जंगली-जीवन से सभ्यता का अनुगामी हुआ। उदर के झुधा-निवृत्ति के साधन में भी परिवर्तन और परिष्कार हुए। अब मनुष्य मस्तिष्क और हृदय की भूख से व्याकुल होने लगा।

विचार और भावना के विविध रूपों की अनुभूति, व्यंजन और विनिमय की गंगोत्री से साहित्य-सरिता का उद्‌भव हुआ। जिसमें अवगाहन कर धरती का मानव सुरलोक का देवता बनने का दावा करने लगा। मानव को असभ्यता और अंधकार से सभ्यता और प्रकाश के पावन क्षेत्र में लाने का श्रेय साहित्य को ही है।

समग्र मानव-समाज को सुसंस्कृत करने का एक-मात्र साधन साहित्य ही है। साहित्य भावना को व्यापक और विस्तृत बनाता है। वह विचारों की विभिन्नता दिखलाकर विचार करने की प्रेरणा प्रदान करता है और तद्नसुार आचरण करने की शक्ति को संचारित करता है।

आदिकाल से आधुनिक काल तक मानव ने ज्ञान के दुर्गम क्षेत्र में व्याप्त आलोक की जितनी उपलब्धि की है, उसी को साहित्य की संज्ञा से विभूषित किया गया है। तात्पर्य है कि मानव-समाज के युग-युग से संचित ज्ञान-भंडार को ही साहित्य कहा जाता है।

इस प्रकार साहित्य सुन्दर विचारों और सद्भावनाओं को उद्भुत कर, समाज को संतुलन, संगठन और शक्ति प्रदान करता है। यह सामाजिक कुरीतियों और पाखण्डों का पर्दाफाश करके सत् आचरण और उच्च विचारों का स्फुरण करता है। समाज के शुभ और अशुभ, श्वेत और श्याम पक्षों का सम्यक उद्घाटन करके समाज को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाता है। यथार्थ स्थिति के आधार पर आदर्श एवं अनुकरणीय परिस्थिति का सुन्दर स्वरूप प्रस्तुत करके प्रगति का लक्ष्य-बिन्दु का विधान करता है।

साहित्य समाज का दर्पण है। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में मनुष्य को अपने शरीर का प्रतिबिंब सही रूप से प्रतिबिम्बित होता है। यदि हमारे मुख मंडल पर कोई विशेष सौन्दर्य की विशिष्ट कान्ति है, तो वह स्पष्ट रूप से दर्पण में दिखलाई पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार सामाजिक सद्गुण और दुर्गण तथा उसकी शक्ति साहित्य रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित होती है। इसी प्रकार शरीर की विकृति भी दर्पण में दिखाई पड़ती है। साहित्य रूपी दर्पण में समाज के दुर्गुण और विकृति भी अंकित हो जाते हैं।

साहित्य के विभिन्न रूप-भेद के कारण ही विभिन्न कालों में समाज की परिवर्तित परिस्थिति परिदृश्य है।

हिन्दी साहित्य की ओर हम दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि एक हजार वर्ष पूर्व का हिन्दी साहित्य, वीर काव्यों से भरा-पड़ा है। कहीं सम्राट पृथ्वीराज की अमर-गाथा का गीत है, तो कहीं हम्मीर और विसलदेव की वीरता का विशद् ओजपूर्ण वर्णन है। वह वीर-रस का प्रबल-प्रवाह समाज के शौर्य-वीर्य की गतिविधि का ही प्रतिबिम्ब है, जो साहित्य रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित हो रहा है और लोक-जीवन के लिए प्रेरणा-स्रोत है।

फिर हिंदी साहित्य में हम भक्ति रस का अजस्र प्रवाह पाते हैं।

एक ओर सूर सर्वशक्ति सम्पन्न ईश्वर के चरणों की बन्दना करते हैं। तो दूसरी ओर तुलसी समग्र संसार को ''सिया-राममय'' समझकर श्रद्धान्वत होते हैं। इस प्रकार हम अपने साहित्य में भक्ति-भावना का प्रवल-प्रवाह पाते है। क्योंकि निस्सहाय हिन्दू-समाज के हृदय में अब संघर्ष के लिए साहस और शक्ति नहीं थी, तब वह भगवान के चरण-शरण में अपना त्राण ढूंढ़ रहा था।

समाज की यह भावना ही साहित्य रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित हुई है। अत: हम देखते हैं कि साहित्य, समाज की परिवर्तित परिस्थिति उसकी विचार-प्रणाली और भाव-दशा को सही रूप में अपने पारदर्शी हृदय में संजोकर रखता है।

साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं, वह पथ-प्रदर्शक भी है। जब समाज की चेतना कुण्ठित हो जाती है और उसकी विवेक-शक्ति मुख मोड़ लेती है, तब ऐसे आड़े समय में साहित्य ही पथ प्रदर्शक है, जो अवरुद्ध प्रगति-पथ को आलोकित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब समाज अपने अभियान के क्रम

में पथ-भ्रष्ट हो जाता है तो साहित्य का पावन-प्रकाश खोए हुए मार्ग का पता बताता है।

नव वधू की रूप-माधुरी के सुधा-पान में आत्म-विस्मृत महाराजा जयसिंह को साहित्य की छोटी-सी दो पंक्तियों ने आत्म-जागरण का संदेश दिया। मोह से अभिभूत कुरुक्षेत्र विजेता अर्जुन के रणांगन के मध्य में विवेकहीनता ने विस्मृत कर दिया, तब गीता के साहित्य ने, मार्ग-विस्मृत अर्जुन को उचित पथ का ज्ञान कराकर मानवता की विजय-पताका फहरा दिया।

देश-भक्त राणा प्रताप जब संतान की भूख की चोट से व्यथित हो गये और अपनी गौरवमयी प्रतिज्ञा का परित्याग करने हेतु कटिबद्ध हो गये, तो साहित्य ने आगे बढ़, अपना आलोक विकीर्ण कर, उनका पथ-प्रदर्शन किया।

इन सभी तथ्यों पर दृष्टिपात करने से हम निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 'साहित्य समाज और व्यक्ति' में चोली और दामन का संबंध है। अत: वह अभिन्न और समरूप हैं।

जिस तरह जल के बिना नदी का अस्तित्व संभव नहीं है, सूर्य के बिना किरणों का कहीं स्थान नहीं, चन्द्रमा के बिना चाँदनी नहीं छिटक सकती? उसी तरह समाज के बिना साहित्य नहीं रह सकता और साहित्य के बिना समाज नहीं रह सकता। समाज एक चक्र है तो साहित्य उसकी धूरी। जिस तरह पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है उसी तरह साहित्य, समाज रूपी कक्ष पर चक्कर काटती है।

साहित्य दो प्रकार हैं—उपयोगी साहित्य और ललित साहित्य। वे सभी उपयोगी साहित्य के अन्दर आते हैं, जिनका हमारे अन्तर्देश से रंचमात्र भी संबंधी नहीं है, जो संसार के भिन्न-भिन्न तत्वों और तथ्यों का निरपेक्ष संकलन मात्र है।

ललित साहित्य के अन्दर वह साहित्य आता है, जो हमारे हृदय में आलोकित होनेवाले भाव-धाराओं और भावना-तरंगों का रागात्मक रूप उपस्थित करता है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है और जीवन के अन्य रूप उसकी पृष्ठभूमि में परिवर्द्धित होती है।

उपयोगी साहित्य की श्रेणी में इतिहास शास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और विज्ञान की सभी शाखाएं आती है। राजनीतिशास्त्र, इतिहास आदि की उपयोगिता तो सर्व-विदित है। उपयोगी साहित्य की उपयोगिता तो साहित्य संज्ञा के पहले लगे उपयोगिता-विशेषण से ही व्यंजित होती है। उसी प्रकार ललित साहित्य की कोटि में काव्य, उपन्यास, कथा, कहानी, नाटक आदि की गणना की जाती है।

वस्तुत: काव्य, उपन्यास आदि ललित साहित्य की सीमा की सामग्रियों के विषय में साधारण धारणा यही है कि ये सब केवल मनोरंजन और आत्मानन्द की वस्तुएं हैं। इसमें जगत की ठोस धरती की वास्तविक विषय समस्याओं का न समावेश ही है और न हीं उनके समाधान का कोई मार्ग ही प्रदर्शित किया गया है। मानव के जीवन-संघर्ष के लिए इसके पास कोई समाधान और मार्ग-दर्शक प्रकाश का साधन नहीं है। लेकिन, यह भ्रान्ति पूर्ण धारणा है और इस धारणा में कोई ठोस तथ्य नहीं है।

ललित साहित्य में लोक-जीवन की ठोस धरती की विषमताओं का प्रभावकारी, वास्तविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्र है उसके समाधान और विकास परिष्कार की प्रचुर सामग्री संचित रहती है। काव्य और उपन्यास आदि में हमारे अन्तर की भावभूमि पर जीवन की वास्तविकता अपनी समस्याओं और समाधानों के साथ गांठ बांधे प्रतिष्ठित परिलक्षित होती है। वहां मानव का मानस-हृदय की सहानुभूति की

सरस-धारा में अवगाहन करता परिष्कृत और विकसित होता है।

युग-युग की विभिन्नताएं साहित्य के दर्पण में प्रतिबिम्बित होती है और अतीत और भविष्य-वर्तमान के पार्श्व-द्वय में विराजमान होकर व्यक्ति एवं समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर प्रगति में पूर्णता लाने की ओर प्रेरित करती है।

साहित्य-सर्जन का प्रेरक तत्व क्या है, इस विषय पर विभिन्न मनीषियों के विभिन्न मत हैं। जीवन की गति के क्रम को शब्दों में बांधकर शाश्वत रूप देने के प्रयास को ही साहित्य-सृष्टि का प्रेरक कारण माना जाता है।

''ग्रीक पंडित अरस्तू का मत है कि ''मानव की अनुकरण वृत्ति ही साहित्य का उद्‌गम स्थल है।'' क्रोंचे की दृष्टि में ''आत्माभिव्यंजन ही साहित्य-सृष्टि का मूल स्रोत है।'' कुछ विद्वानों का विचार है कि ''सौन्दर्य की अनुभूमि और आनन्द का अतिरेक की व्यंजना ही साहित्य प्रणयन का मूल कारण है।'' एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि ''मानव-जीवन की अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास ही साहित्य-सर्जन का आधार बिन्दु है। ''फ्रायड के सिद्धान्त के अनुसार—''साहित्य प्रणयन के कारण शामित-वासनाओं की मानसिक तुष्टि ही है।''

साहित्य के उद्‌गम, विकास और प्रसार का कारण या रूप जो भी हो, किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि यह मानव-जाति की अनुपम शक्ति और जीवन-दाता है, यह स्वर्गीय सुधा-कलश है, जो जीवन के समग्र रूप को सदा हरा भरा रखता है। जीवन-लता को सूखने का अवसर आते ही अपने हृदय की अमिय-धार उड़ेल कर अमरत्व की ओर अग्रसर करता है। साहित्य स्वर्गीय विभूति है, जिसमें सारी धरती के अधिवासियों के कल्याण की शक्ति निहित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित कर समाज के गठन और प्रगति का विधान रचता है।

जीवन-पथ पर भूला-भटका मानव साहित्य के पुनीत प्रकाश से सही मार्ग पा जाता है और उस राह पर तीव्र गति से गन्तव्य स्थल की ओर अग्रसर होता है। व्यक्तिगत जीवन में भी जब कभी विषम परिस्थितियों की उलझनें बढ़ती है तो साहित्य की सहायता मुक्ति का अभिनव मार्ग प्रस्तुत करती है।

साहित्य राष्ट्र की धरोहर है। कोई भी राष्ट्र इसकी उपेक्षा करके प्रगति नहीं कर सकता। किसी देश का साहित्य ही उसके समाज, उसकी सभ्यता एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां का लिखित दस्तावेज होता है। चूंकि साहित्य में सहित का भाव है। सबकुछ खोकर भी अपनी जाति की तस्वीर साहित्य में देख सकते हैं। बिना साहित्यिक साक्षात्कार के हम समुद्र, नदी, पर्वत, वन, उपवन, चन्द्र-सूर्योदि पदार्थों का आन्तरिक सौष्ठव नहीं देख सकते। फूल को जितना साहित्यकार समझता है, उतना शायद भौरां भी नहीं समझता होगा। साहित्य के बिना हम प्राकृतिक सुषमाओं के रस लेने में असमर्थ हो जाते हैं।

कमनीय कामिनी-कटाक्ष और सिमतियुक्त भू-भंगिमा, शिशु की मन्द-मुस्कान, माननि का मान, कृषक किशोरी का गान, रसलम्पट भ्रमरों का मधुपान शरत् पूर्णिमा का धवल-विमल हास-विलास, तरंगित जीवन का मदोच्छ्वास, सुरभि-सुमनों का विकास, साहित्य के बिना अपनी अर्थबत्ता को खो बैठते हैं। साहित्य की तेजस्विता हमारे निष्प्राण जीवन में बिजली की शक्ति-संचालित कर कल्याण करती है।

आज भी हम साहित्य में एक ओर राम के धनुष की टंकार सुनते हैं तो दूसरी ओर अर्जुन के गांण्डीव घोष भी। एक ओर भीम के प्रचण्ड भुजदण्डों का गर्जन सुनते हैं तो दूसरी ओर मुरली मनोहर का मधुर मुरलीवादन।

साहित्य के शब्दार्थमय शरीर में त्रिलोक और त्रिकाल की सारी स्थूल, सूक्ष्म, यथार्थ-कल्पित, विभूतियों के दर्शन होते हैं। जहां रवि नहीं जा सकता, वहां साहित्यकार की पैनी दृष्टि चली जाती है। साहित्य की सुरभि समाज के पारस्परिक द्वेष की दुर्गन्ध को दूर कर देती है।

साहित्य में वह अद्‌भुत शक्ति है जो अतीत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य बना सकता है। वह कांच को कंचन कर सकता है। अदृश्य को दृश्यमान करना उसकी सहज प्रवृत्ति है। साहित्य की तेजस्विता हमारी निष्प्राण नसों में बिजली भरती है। उसी का संदेश हमें स्वतंत्र और जाग्रत होने के लिए प्रेरित करता है। यदि साहित्य हमारे जीवन-व्यापार के साथ नहीं चलेगा तो अपने पूर्वजों से संबंध टूट जाएगा।

भारतीय समाज जब अंग्रेजों की दासता के पाश में पंगु और पुरुषत्वहीन होने लगा, तब भारतेन्दु एवं गुप्त के साहित्य ने उसे आत्म-जागरण का उमंग-संकुल संदेश दिया। जातीय जीवन के विकास क्रम के साथ यदि साहित्य की गति समान्तर नहीं रही, तो वह जाति जीवन-हीन होकर गुलाम बन जायेगी। यदि गुलाम भारतीयों को दासता के दिन में साहित्य ने साहस और सर्वस्व त्याग का दिव्य-मंत्र नहीं दिया होता तथा गांधी की अहिंसा का अमृत नहीं पिलाया होता, तो कभी भारत आज की आजादी को नहीं पा सका होता। अतः साहित्य में लोक-कल्याण की सीमा का विस्तार अपरिमेय है।

राम बाग, चौरी
पत्रालय - रमणा
मुजफ्फरपुर (बिहार)

जिस देश को अपनी भाषा और
साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है,
वह उन्नत नहीं हो सकता।

–डॉ राजेन्द्र प्रसाद

पूर्वोत्तर भारत का भाषाई परिदृश्य और हिंदी की स्थिति

— डॉ॰ बी॰के॰ सिंह *उर्फ़*
वीरेन्द्र परमार

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार और तिब्बत – पांच देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम इन आठ राज्यों का समूह पूर्वोत्तर भौगोलिक, पौराणिक, एतिहासिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.9 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में समाविष्ट है। कुल क्षेत्रफल का 52 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है। इस क्षेत्र में 400 समुदायों के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 220 भाषाएं बोली जाती है। संस्कृति, भाषा, परंपरा, रजन–सहन पूर्व–त्योहार आदि की दृष्टि से यह क्षेत्र इतना वैविध्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र को भारत की सांस्कृतिक प्रयोगशाला कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस क्षेत्र में आदिवासियों का घनत्व देश में सर्वाधिक है। सैकड़ों आदिवासी समूह और उनकी उपजातियां, असंख्य भाषाएं व बोलियां, भिन्न–भिन्न प्रकार के रहन–सहन, खान–पान और परिधान, अपने–अपने ईश्वरीय प्रतीक, आध्यात्मिकता की अलग–अलग संकल्पनाएं इत्यादि के कारण यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वन व वन्य प्राणी हैं। वनस्पतियों, पुष्पों तथा औषधीय पेड़–पौधों के आधिक्य के कारण यह क्षेत्र वनस्पति–विज्ञानियों एवं पुष्प–विज्ञानियों के लिए स्वर्ग कहलाता है। पर्वतमालाएं, हरित घाटियां और सदाबहार वन इस क्षेत्र के नैसर्गिक सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। जैव–विविधता, सांस्कृतिक कौमार्य, सामुहिकता–बोध, प्रकृति प्रेम, अपनी परंपरा के प्रति सम्मान भाव पूर्वोत्तर भारत की अद्वितीय विशेषताएं हैं। अनेक उच्छृंखल नदियों, जल–प्रतापों, झरनों और अन्य जल स्रोतों में अभिंसिंचित पूर्वोत्तर की भूमि लोक साहित्य की दृष्टि से भी अत्यंत उर्वर है।

असमिया साहित्य, संस्कृति, समाज व आध्यात्मिक जीवन में युगांतरकारी महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का अवदान अविस्मरणीय है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक मौन अहिसंक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके महान कार्यों ने इस क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक एकता की भावना को सुदृढ़ किया। उन्होंने रामायण और भगवद्गीता का असमिया भाषा में अनुवाद किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैष्णव धर्म के प्रसार के लिए आचार्य शंकर देव ने बरगीत नृत्य–नाटिका (अंकिया नाट), भाओना आदि की रचना की। उन्होंने गांवों में नामघर स्थापित कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों को भाइचारे, सामाजिक सद्भाव और एकता का संदेश दिया। असमिया असम की प्रमुख भाषा है। यहां बांग्ला और हिंदी भी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य की अन्य भाषाएं हैं – बोडो, कार्बी, मिसिंग, राभा, मीरी आदि।

त्रिपुरा नाम के संबध में विद्वानों में मत भिन्नता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक मिथक और आख्यान प्रचलित है। कहा जाता है कि राधाकिशोरपुर की देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर त्रिपुरा का नामकरण हुआ। एक अन्य मत है कि तीन नगरों की भूमि होने के कारण त्रिपुरा का नामकरण हुआ। एक अन्य मत है कि तीन नगरों की भूमि होने के कारण **त्रिपुरा** नाम ख्यात हुआ।

विद्वानों के वर्ग की मान्यता है कि मिथकीय सम्राट त्रिपुर का राज्य होने के कारण इसे त्रिपुरा का अभिधान दिया गया। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि दो जनजातीय शब्द तुई और प्रा के संयोग से यह नाम प्रकाश में आया जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि और जल का मिलन स्थल। त्रिपुरा एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। लगभग 18 आदिवासी समूह त्रिपुरा के समाज को वैविध्यपूर्ण बनाते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं – त्रिपुरी, रियड; नोआतिया, जमातिया, चकमा, हालाम, मग, कुकी, गारो, लुशाई इत्यादि। इस प्रदेश के पास उन्नत सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध परंपरा, लोक उत्सव और लोकरंगों का अद्धितीय भंडार है। बंगला और काकबराक इस प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैं।

नागा समाज अनेक आदिवासी समूहों एवं उपजातियों में विभक्त हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं – चाकेसाड; अंगामी, जेलियाड; आओ, सड़तम, यिमचुंगर, चाड; सेमा, लोथा, खेमुंगन, रेंगमा, कोन्यक इत्यादि। नागालैंड की संपूर्ण आबादी जनजातीय है। प्रत्येक समुदाय वेश–भूषा, भाषा–बोली, रीति–रिवाज और जीवन शैली की दृष्टि से पृथक हैं लेकिन इतनी भिन्नता के बावजूद नागा समाज में परस्पर भाईचारा और एकता की सुदृढ़ भावना है तथा वे एक–दूसरे की जीवन–शैली का सम्मान करते हैं। नागालैंड में लगभग 30 भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाएं एक–दूसरे से भिन्न हैं। एक गांव की भाषा पड़ोसी गांव के लिए अबूझ है। इन सभी भाषाओं की वाचिक परंपरा में असंख्य लोकगीत, लोककथाएं, मिथक, कहावतें आदि उपलब्ध हैं।

मणिपुर अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप वास्तव में मणि की भूमि है। इसे देवताओं की रंगशाला कहा जाता है। सदाबहार वन, पर्वत, झील, जलप्रपात आदि इसके नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। अत: इस प्रदेश को भारत का मणिमुकुट कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं है। यहां की लगभग दो–तिहाई भूमि वनाच्छादित है। प्रदेश के पास गौरवशाली अतीत, समृद्ध विरासत और स्वर्णिम संस्कृति है। मणिपुर की प्रमुख भाषा मैतेई है जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है। मैतेई भाषा की अपनी लिपि है–मीतेई–मएक। इसके अतिरिक्त राज्य में 29 बोलियां हैं जिनमें प्रमुख हैं–तड़खुल, भार पाइते, लुसाई, थडोऊ (कुकी) माओ आदि। इन सभी भाषाओं की वाचिक परंपरा में लोक साहित्य का विशाल भंडार उपलब्ध है।

मिजो आदिवासियों की भूमि **मिजोरम** एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। *मिजो* का शाब्दिक अर्थ पर्वतवासी है। यह शब्द *मि* और *जो* के संयोग से बना है। *मि* का अर्थ है *लोग* तथा *जो* का अर्थ है पर्वत। मिजोरम में मुख्यत: निम्नलिखित समुदायों के लोग निवास करते हैं–राल्ते, पाइते, दुनियल, पोई, सुक्ते, पंखुप, जहाव, फलाई, मोलबेम, ताउते, लखेर, दलाड; इत्यादि। *मिजो* इस प्रदेश की मुख्य भाषा है।

मेघालय एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। यहां, की अधिकांश भूमि पर्वत–घाटियों और वनों से आच्छादित है। यहां खासी, जयंतियां, गारो तीन प्रमुख भाषाएं हैं। अंग्रेजी राज्य की राज्यभाषा है। प्रदेश की वाचिक परंपरा में नृत्य, गीत, मिथक, कहावत आदि की समृद्ध विरासत है।

तिब्बत, नेपाल, भूटान की अंतर्राष्टीय सीमा पर अवस्थित **सिक्किम** एक लघु पर्वतीय प्रदेश है। यह सम्राटों, वीर योद्धाओं और कथा–कहानियों की भूमि के रूप में विख्यात है। पर्वतों से आच्छादित इस प्रदेश में वनस्पतियों एवं पुष्पों की असंख्य प्रजातियां, विद्यमान हैं। सिक्किम की पुरूष्पाच्छादित हवा सुगंध से सराबोर रहती है। जैव विविधता, पेड़–पौधों की असंख्य प्रजातियां एवं वन्य–जीवों के कारण इस प्रदेश को वनस्पति विज्ञानियों–पुष्पविज्ञानियों का स्वर्ग कहा

जाता है। राज्य में मुख्यत: लेपचा, भूटिया, नेपाली तथा लिंबू समुदाय के लोग रहते हैं। नेपाली, भूटिया, लेपचा तथा लिंबू यहां की प्रमुख भाषाएं हैं जिनमें से नेपाली को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश अपने नैसर्गिक सौंदर्य, बहुरंगी संस्कृति, वनाच्छादित पर्वतमालाओं, बहुजातीय समाज, नयनाभिराम वन्य-प्राणियों के कारण देश में विशिष्ट स्थान रखता है। अरुणाचल की सुरम्य भूमि पर भगवान भास्कर सर्वप्रथम अपनी रश्मि विकीर्ण करते हैं। इसलिए इसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। यहां पच्चीस प्रमुख आदिवासी समूह निवास करते हैं। इन आदिवासियों के रीति-रिवाज, संस्कृति, परंपरा, भाषा, पर्व-उत्सव में पर्याप्त भिन्नता है। इसकी भाषाओं में तो इतनी भिन्नता है कि एक समुदाय की भाषा दूसरे समुदायों के लिए असंप्रेषणीय है। डॉ॰ ग्रियर्सन ने अरूणाचल की भाषाओं को तिब्बती-बर्मी परिवार का उत्तरी असिमिया वर्ग माना है। अरुणाचल की प्रमुख जनजातियां हैं- आदी न्यिशि, आपातानी, मीजी, नोक्ते, वांचों, शेरदुक्पेन, तांग्सा, तागिन, हिल मीरी, मोंपा, सिंहफो, खाम्ती, मिश्मी, आका, खंबा, मिसिंग, देवरी इत्यादि। इन सभी जनजातियों की इसी नाम से अलग-अलग भाषाएं हैं, परंतु सभी लोग संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। यहां, शिक्षा की माध्यम भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया ही जाता है, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी हिंदी संपर्क भाषा के रूप में महती भूमिका का निर्वाह करती है।

पूर्वोत्तर भारत के भाषायी वैविध्य के बीच हिंदी संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो गई है। इस क्षेत्र में 220 भाषाएं हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। नागालैंड की आओ भाषा बोलनेवाला व्यक्ति उसी प्रदेश की अंगामी, चाकेसांग अथवा लोथा भाषा नहीं समझ सकता है। इसी प्रकार असम का असमिया भाषा-भाषी उसी राज्य में प्रचलित बोड़ो, राभा, कार्बी अथवा मिसिंग भाषा नहीं समझ-बोल सकता है। इसलिए हिंदी पूर्वोत्तर भारत की आवश्यकता बन चुकी है। अपनी सरलता, आंतरिक ऊर्जा और जनजुड़ाव के बल पर हिंदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। क्षेत्र के दूरस्थ अंचल तक हिंदी का पुणय आलोक विकीर्ण हो चुका है। क्षेत्र की विभिन्न भाषाओं-बोलियों के रूप, शब्द, शैली, वचन-भंगिमा को ग्रहण व आत्मसात करते हुए हिंदी के विकास का रथ आगे बढ़ रहा है। हिंदी की विकास-गंगा पूर्वोत्तर के सभी घाटों से गुजरती है एवं सभी घाटों के कंकड़-पत्थर, रेतकण, मिट्टी आदि को समेटते तथा अपनी प्रकृति की अनुरूप उन्हें आकार देते हुए आगे बढ़ रही है। यहां की हिंदी में असमिया का माधुर्य है, बंगला की छौंक है, नेपाली की कोमलता है, मिज़ो का सौरभ है, बोड़ो, खासी, जयंतियां, गारो का पुष्प-पराग है, आदी, आपातानी, मोंपा की सरलता है। इस क्षेत्र में हिंदी व्यापार, मनोरंजन, सूचना और जनसंचार की भाषा बन चुकी है। पूर्वोत्तर के सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन व अनुसंधान की व्यवस्था है। सैंकड़ों छात्र हिंदी में अध्ययन-अनुसंधान कर रहे हैं, यहां के सैकड़ों मूल निवासी हिंदी का प्राध्यापन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का भविष्य उज्जवल है।

उपनिदेशक (राजभाषा)
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण
मंत्रलय (भारत सरकार)
भूजल भवन, एन एच-4
फरीदाबाद-121 001

आलेख

बैंकिंग उत्पादों की मार्केटिंग में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की उपादेयता

— गुलाब चन्द्र यादव

भाषा किसी भी मानव समाज के लिए अत्यंत स्वाभाविक और सहज व्यवस्था है। जैसे देह और प्राण तथा अग्नि और प्रकाश का अन्योन्याश्रित संबंध है, वैसे ही भाषा और समाज का संबंध अटूट और अनिवार्य होता है। भाषाविहीन समाज और समाजविहीन भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कोई भी समाज भाषा के माध्यम से ही बनता, बढ़ता और विकसित होता है। भाषा न केवल समाज को जानने-समझने और व्यवहार करने का साधन है, बल्कि यह शिक्षा-साहित्य, धर्म-दर्शन, सूचना-संचार, शोध-विकास, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य-संस्कृति, कला-शिल्प, व्यापार-वाणिज्य और शासन-प्रशासन जैसे तमाम संदर्भों की जन्मदायिनी, संचालिका और पालन-पोषण करने वाली भी होती है। प्रत्येक जीवंत समाज की अपनी एक भाषा होती है जो उस समाज के साथ ही पनपती है, पल्लवित और पुष्पित होती है तथा व्यवहार करती है। डॉ॰ श्रुतिकांत पाण्डेय के शब्दों में, ''भाषा ध्वनियों का समूह और भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र न होकर किसी व्यक्ति या समाज का दर्पण, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की संरक्षक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति की निर्धारक और विचारधारा तथा आकांक्षाओं की परिचायक होती है।''

यह सर्वविदित है कि भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी और विविध संस्कृतियों वाला देश है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 224 भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें से सबसे उन्नत और सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त 22 भाषाएं संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल हैं। मोटे तौर पर आज भारत की आबादी 125 करोड़ के आसपास है जिनमें से लगभग 53 करोड़ हिंदीभाषी हैं। और लगभग 25-30 करोड़ की आबादी ऐसी भी है जो हिंदी को आसानी से बोल और समझ लेती है तथा दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में उसका इस्तेमाल भी करती है। इंग्लैंड के विद्वान डॉ॰ मैग्रेसर के अनुसार, ''हिंदी दुनिया की महान भाषाओं में से एक है। भारत को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है।'' भारत में हिंदी का प्रचार-प्रसार लगातार बढ़ रहा है। पहले राष्ट्रीय आंदोलन में संपर्क और संवाद की सहज भाषा के रूप में और आजादी के बाद हिंदी फिल्मों, रेडियो और दूरदर्शन ने इसे संपूर्ण रूप से अधिकृत संपर्क भाषा बना दिया है। हमारे देश के आईटी पेशेवरों की बदौलत हिंदी अब पश्चिमी देशों में भी तेजी से अपनी पैठ बना रही है।

भारत का बाजार:

भारत विश्व की दूसरी सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। आज भारत में 800 से ज्यादा टीवी चैनल हैं और 450 एफएम स्टेशन हैं। 40 हजार करोड़ रुपए का मीडिया निवेश है। वैश्वीकरण के इस दौर में व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं की तरह भाषाएं भी एक-दूसरे के निकट आ रही हैं और शब्दों का मेल-मिलाप बढ़ रहा है। भारत में

उपभोक्ता बाजार तेजी से बढ़ रहा है और यह महानगरों और शहरी आबादी से निकलकर छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण अंचलों में भी तेजी से अपने पांव पसार रहा हैं इसी के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता की दर भी तेजी से बढ़ रही है। बैंकिंग और बीमा उत्पादों की मार्केटिंग अब कॉर्पोरेट प्लानिंग और रणनीति का जरूरी हिस्सा बनती जा रही है। अन्य व्यवसायों की तरह बैंकिंग कारोबार में भी गलाकाट स्पर्धा दिखाई दे रही है। महानगरों और शहरों में व्यवसाय बढ़ाने की सीमित गुंजाईश को देखते हुए सभी बैंकों ने अब छोटे शहरों, कस्बों और गांवों की ओर अपना रुख कर लिया है जहां उन्हें अपनी मार्केटिंग अनिवार्य रूप से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में करनी पड़ रही है।

भारत के इस उभरते हुए बाजार की असीम संभावनाओं को भांपकर ही बहुदेशीय कंपनियां अपनी मार्केटिंग और विज्ञापन अभियान हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में चला रही हैं और इस पर करोड़ो रुपये व्यय कर रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 35 करोड़ आबादी का मध्यमवर्गीय उपभोक्ता बाजार मौजूद है जो दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी से बहुत अधिक बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में केवल 10-15 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी ठीक-ठाक ढंग से बोलते-समझते हैं। स्पष्ट है कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में ही अपना दैनंदिन कार्य-व्यापार निपटाता है। वह अपनी स्वदेशी भाषा में संवाद करता है, उसी में सुनहरे सपने देखता है और इन सपनों को पूरा करने की सारी सफल-असफल जद्दोजहद भी वह अपनी भाषा के सहारे ही अंजाम देता है। अत: इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजी के तमाम विश्वव्यापी ग्लैमर, तड़क-भड़क के बावजूद भारत में हिंदी और भारतीय भाषाओं की उपस्थिति मजबूती के साथ बनी हुई है।

भारत में बैंकिंग सेवाओं का बढ़ता दायरा:

भारत में 14 जुलाई 1969 को जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बैंक शाखाओं की संख्या केवल 1833 थी अर्थात् कुल शाखाओं में से केवल 22. ग्रामीण क्षेत्रों में थी। जनसंख्या के अनुपात में देखें तो उस समय यह संख्या प्रति 64,000 आबादी पर एक शाखा थी। 1978 में ग्रामीण शाखाओं की संख्या बढ़कर 10,856 हो गई और 2011 में यह और बढ़कर 33,683 तक जा पहुंची है। आज अनुमानत: बैंकों की 42,000 से अधिक शाखाएं अर्थात कुल की 40 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में गांवों की कुल संख्या 6 लाख से अधिक है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी सरकारी ओर निजी क्षेत्र के बैंक मिलकर बैंकिंग सेवाओं, सुविधाओं और उत्पादों को जन-जन तक पहुंचाने और समाज के निर्धन एवं वंचित वर्ग का समावेशी विकास के जरिए आर्थिक उत्थान करने के भगीरथ प्रयासों में लगे हैं। कुछ महीने पहले शुरू की गई 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' तथा अन्य कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इसी मिशन का हिस्सा हैं और जिस तरह से इन्हें अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है उससे आशा बंधती है कि इस देश की करोड़ों गरीब जनता के लिए पूरे नहीं तो कुछ अंशों में ही सही 'अच्छे दिन जरूर जाएंगे।'

बैंकों में हिंदी: अनिवार्यता या आवश्यकता

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने देश में जन-जन तक बैंकिंग योजनाएं, सेवाएं और उत्पाद पहुंचाने और करोड़ों देशवासियों की गाढ़ी कमाई की बचत को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में निवेश कर देश के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। बैंकिंग कारोबार के जरिए सरकारी बैंकों ने राजभाष हिंदी के कार्यान्वयन एवं प्रचार में भी

उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कुछ लोगों की यह मिथ्या धारणा है कि सरकारी बैंकों में हिंदी का प्रयोग सांविधिक अपेक्षाओं और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के कारण हो रहा है न कि कारोबार की अपनी जरूरतों के कारण। यह धारणा निराधार है क्योंकि बैंक अपने कारोबार और परिचालन में हिंदी का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे वे अपने व्यापक ग्राहक-वर्ग से आसानी से जुड़ते हैं। हिंदी के जरिए बैंकिंग का कारोबार बढ़ रहा है, ग्राहक आधार बढ़ रहा है और जमाराशियां और अग्रिम का परिणाम बढ़ रहा है और इस प्रकार से अंततः बैंक की लाभप्रदता भी बढ़ रही है।

इस कथन की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण आसानी से दिए जा सकते हैं। हमारे देश के निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने सबसे पहले हिंदी में एसएमएस सेवा शुरू की थी जिसके विज्ञापन देश के बड़े-बड़े अखबारों में दिए गए थे। उस विज्ञापन के जरिए लाखों ग्राहकों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया था कि अब उनकी अपनी भाषा में भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि एचडीएफसी बैंक ने यह कदम न तो हिन्दी के भाषाप्रेम से वशीभूत होकर उठाया था और न ही उस पर राजभाषा अधिनियम या नियम लागू कर दिए गए थे बल्कि इसके पीछे एक सुविचारित रणनीति थी और बाकायदा एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसका स्पष्ट निष्कर्ष था कि भारत में हिंदी का प्रयोग किए बिना बैंकिंग व्यवसाय बढ़ाने की गुंजाईश कम ही है। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र के कई अन्य बैंकों ने अपने टैक्नोलोजी आधारित उत्पादों को देश के दूर-दराज के गांवों में पहुंचाने के लिए 'ई-चौपाल' जैसी संकल्पना हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू की है जिसके बड़े उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। ये उदाहरण साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि मार्केटिंग और संचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बैंकों की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने में निस्संदेह मददगार साबित हो रहा है। बैंकिंग उत्पादों की उपयोगिता और उससे जुड़े लाभों की जानकारी ग्राहकों को उनकी भाषा में देकर मार्केटिंग की जा रही है ताकि ग्राहक बैंकिंग की अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली के डर से मुक्त होकर आपकी बात को समझ सके और अपनी जिज्ञासाएं, शंकाएं और समस्याएं आपके सामने रखकर संतोषजनक समाधान पा सके।

बैंकिंग उत्पादों की मार्केटिंग में भाषाओं की भूमिका:

बैंकिंग अत्यंत व्यापक स्तर पर जन समूह से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। इस जनसमूह को बैंक का ग्राहक माना जाता है। किसी भी अन्य व्यवसाय या सेवा क्षेत्र की तरह इस व्यवसाय में भी उसी भाषा का या भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए जिस भाषा में ग्राहक खुद को सहज और आश्वस्त महसूस करता हो। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और उसे बैंक से जोड़े रखने के लिए भाषा का सहारा लेना अनिवार्य होता है। यदि हम ग्राहक से उसकी क्षेत्रीय भाषा में या सरल हिंदी में बात करेंगे तो वह आत्मीयता महसूस करेगा और अपनी आवश्यकताओं के बारे में आपसे खुलकर चर्चा करेगा। इससे आप बैंकिंग उत्पादों की प्रति बिक्री (cross selling) भी कर सकते हैं और इसके जरिये बैंक के कारोबार को बढ़ा सकते हैं। बैंक का कारोबार बढ़ाने से निश्चित ही आय में वृद्धि होगी और अंततः यह लाभार्जन में भी योगदान देगी।

जैसा कि पूर्व में संकेत किया गया है कि हमारे देश में (और अन्य देशों में भी) बैंकिंग जनोन्मुखी स्वरूप को अपना चुकी है। आज के दौर में बैंकिंग ''क्लास बैंकिंग'' के सीमित दायरे से बाहर निकलकर ''मास बैंकिंग'' (जन-साधारण से जुड़ी बैंकिंग) का समावेशी चोला पहन चुकी है। सरकार ने भी अब

अपनी कल्याणकारी एवं अन्य लोकोपयोगी योजनाओं को देश के विकास की कतार में खड़े नागरिक को ध्यान में रखकर बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया है। अत: आज के इस दौर में बैंकिंग परिचालन के अधिकांश क्षेत्रों में और उत्पादों की मार्केटिंग में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किए बिना सफल बैंकिंग करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है।

बैंकिंग के विशिष्ट क्षेत्र और हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की उपयोगिता:

भारत में बैंकिंग परिचालन के कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनसे जुड़ी योजनाओं एवं उत्पादों की मार्केटिंग में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग सामान्यत: अनिवार्य है:

जैसे कृषि, कृषितर कल्याणकारी योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म एवं लघु उघोग, मोबाइल बैंकिंग, विप्रेषण सुविधाएं तथा राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि हैं।

हमारे देश की बैंकिंग में भी नित नई-नई संकल्पनाएं आकार ले रही हैं। आज के दौर में 'पेमेंट बैंक' नाम से कारोबार हो रहा है उसके जरिए निजी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही हैं। वे इन इलाकों में अपने कार्यकलाप हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के जरिए कर रही हैं। बैंकों, विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 'कारोबार प्रतिनिधि' (business correspondent) और 'कारोबार सुलभकर्ता' (business facilitation) मॉडल के जरिए अत्यंत किफ़ायती लागत और शुल्क पर जन-जन तक बैंकिंग की जरूरी सुविधाएं पहुंचाने और जनता की छोटी-छोटी बचतों के जरिए संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह तय है कि इन नई-नई संकल्पनाओं और ऊपर वर्णित तमाम योजनाओं/परिचालनों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से बैंकों की लाभप्रदता में अवश्य वृद्धि होगी।

इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2015 में 'मुद्रा बैंक' का शुभारंभ किया था। 'मुद्रा' एक संक्षेपाक्षर है जिसका पूर्ण रूप है– Micro Unit Development Refinance Agency यानी ''सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित अभिकरण''। इस एजेंसी के माध्यम से आसान शर्तों पर लघु एवं छोटे उद्यमियों को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) से लेकर 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) तक के छोटे ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 5.5 करोड़ से अधिक संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हैं जो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। किन्तु यह बड़े ही अफसोस की बात है कि आज भी इनमें से बहुसंख्यक उद्यमी/उद्योग बैंकिंग तंत्र से बाहर हैं। इन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए अब भी स्थानीय सेठ-साहूकार की शरण लेनी पड़ती है जो अत्यंत ऊंची ब्याज दरों पर उधार देकर इन्हें निचोड़ते हैं। किन्तु ये सेठ-साहूकार अपनी भाषा में संवाद कर, लिखा-पढ़ी की मामूली औपचारिकताओं के बाद तुरंत कर्ज दे देते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े किन्तु आर्थिक हैसियत से बहुत छोटे इस वर्ग को बैंकिंग तंत्र से जोड़ना है तो हमें उनकी भाषा में ही बात करनी होगी। सही मायनों में इस वर्ग को प्रोत्साहन देने से देश के सकल देशी उत्पादन (GDP) में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नए आयाम मिल सकते हैं।

बैंक की लाभप्रदता और हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग:

हर कारोबार की तरह बैंकिंग कारोबार भी मुनाफे के लिए किया जाता है किन्तु लाभप्रदता के संदर्भ में अधिकांश बैंकरों का दृष्टकोण अक्सर ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। उनकी सोच होती है कि जब देश की अधिकांश क्रय-शक्ति उच्च एवं मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल 35 करोड़ की आबादी तक ही सीमित है तो गरीब तबके तक मार्केटिंग के जरिए अपने उत्पादों और योजनाओं को पहुंचाने/बेचने की जद्दोजहद क्यों की जाए? उन्हें लगता है कि गरीबों से खाते खुलवाने से बैंकों को कुछ मिलने वाला नहीं है। किन्तु 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' जैसी योजनाओं ने इस धारणा को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया है। 'जीरो बैलेंस' की सुविधा के बावजूद इस योजना के अंतर्गत खुले करोड़ों खातों में अरबों रुपये की राशि जमा हुई है। यह सफलता हमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही मिली है और इसमें अंग्रेजी का योगदान न के बराबर है। अपनी भाषाओं की सहजता ही करोड़ों गरीबों को बैंकों के प्रांगण में ले आई है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारे देश का निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग आज भी अमीरों से ज्यादा ईमानदार है। उसे प्रदान किए गए ऋण कुछ अपवादों को छोड़कर अनर्जक (NPA) नहीं होते। गरीब इंसान जब कर्ज नहीं चुका पाता है तो वह आत्महत्या भले ही कर ले पर धोखा नहीं देता। दूसरी ओर, अरबों के ऋण को एनपीए बना देने वालों के माथे पर शिकन भी नहीं आती। अत: इस बात में संदेह नहीं है कि गरीब तबके के मजदूरों, किसानों, स्वरोजगार में लगे कारीगरों, छोटी-मोटी नौकरियों या धंधे-कारोबार में लगे इन करोड़ों गरीबों की छोटी-छोटी बचतें ही हमारे बचत बैंक बैलेंस को बढ़ाती है और हमें कम लागत पर राशियां मिलती हैं। अंततोगत्वा इससे बैंकों की लाभप्रदता हर हाल में बढ़ती है।

बैंकिंग उत्पादों की मार्केटिंग: हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाएं

उपर्युक्त विवेचन और उदाहरणों के आधार पर हम पाते हैं कि बैंकिंग उत्पादों की मार्केटिंग में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग आज एक ऐसी अनिवार्यता बन गई है जिसकी अनदेखी कोई भी बैंक नहीं कर सकता, चाहे वह सरकारी क्षेत्र का बैंक हो या निजी या विदेशी बैंक हो। इनकी उपेक्षा करने का मतलब होगा अपने ग्राहक आधार को संकुचित रखना, अपनी लागत को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा में पिछड़कर अपने हितधारकों के लाभ को कम करना। जैसा कि पूर्व में संकेत किया गया है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में देश में भीतर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी वस्तुओं, सूचनाओं व तकनीकों का प्रयोग लोगों और भाषाओं की आवाजाही के साथ आदान-प्रदान में लगातार बढ़ रहा है। देश के हर प्रांत के लोग रोजगार, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और सेवाओं में तैनाती के चलते किसी दूसरे प्रांत में रह रहे हैं या बस गए हैं। हमारे देश के ये लाखों-करोड़ों लोग क्षेत्रीय भाषाओं को अपना रहे हैं और साथ ही हिंदी भाषा का व्यवहार कर उसका भी प्रचार-प्रसार हिंदीतर लोगों और क्षेत्रों में कर रहे हैं। हमारी भाषाएं एक-दूसरे से निकटता स्थापित कर रही हैं। हमारे देश में बैंकिंग उत्पादों की मार्केटिंग में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं एक-दूसरे की प्रतिद्वंदी या विरोधी न होकर अनुपूरक और सहयोगी हैं और यही उनकी समन्वित आंतरिक शक्ति का आधार है।

इस संदर्भ में एक और तथ्य गौर करने लायक है और वह है हिंदीत्तर भाषी प्रदेशों में स्थित बैंकों की शाखाओं में हिंदीभाषी अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती। सन् 2005 के बाद एक ओर जहां बैंकों की शाखाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, वहीं बैंकों में बड़ी संख्या

बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव (राजभाषा) डॉ॰ बिपिन बिहारी व अन्य अतिथिगण

बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा हिंदी कार्यशाला प्रशिक्षण सामग्री की पुस्तिका 'राजभाषा सहायिका' का विमोचन करते हुये संयुक्त सचिव, राजभाषा डॉ॰ बिपिन बिहारी, निदेशक श्री हरिन्द्र कुमार तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारीगण।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, (बैंक) जोधपुर में महिला दिवस पर आयोजित
महिला कवि सम्मेलन का एक दृश्य

संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राजभाषा सामान्य ज्ञान की
कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तिरूवनंतपुरम द्वारा आयोजित कार्यशाला में सम्बोधन देते हुए
निदेशक श्री जोर्ज जी॰ तरकन

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना में आयोजित कार्यशाला में
उपस्थित सदस्यगण

भारतीय विमानपत्तन, उदयपुर में आयोजित हिंदी कार्यशाला में
उपस्थित अधिकारीगण

सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल में राजभाषा के अधिकारियों के लिए आयोजित
प्रबंधकीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण

में नई भर्तियों (विशेषरूप से अधिकारी संवर्ग में) भी हुई हैं। इनमें अधिकांश अधिकारी हिंदीभाषी होने के कारण हिंदी में दक्ष हैं जिन्हें अपने मूल प्रांत की बजाए अन्य हिंदीत्तर प्रदेश में तैनाती मिलती है। इन शाखाओं के निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि यदि शाखा में एक-दो भी हिंदीभाषी स्टाफ हैं तो सभी स्टाफ सदस्य (भले ही अनमें स्थानीय भाषी अधिक हों) आपस में हिंदी में ही बातचीत करते हैं। हिंदीभाषी अधिकारी ग्राहक से भी हिंदी में बात करते हैं। जब कोई ग्राहक हिंदी समझने-बोलने में बिलकुल असमर्थता जताता है तो ही दूसरे स्टॉफ, अर्थात-क्षेत्रीय भाषा बोलने/जानने वाले स्टॉफ, हिंदी समझने-बोलने में बिलकुल असमर्थता जताता है तो ही दूसरे स्टॉफ, अर्थात-क्षेत्रीय भाषा बोलने/जानने वाले स्टॉफ, की सहायता ली जाती है। धीरे-धीरे हिंदीभाषी स्टॉफ सदस्य भी क्षेत्रीय भाषा का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

हमारे देश में साक्षरता की दर तेजी से बढ़ रही है। केवल एक-दो प्रदेशों को छोड़कर लगभग सभी प्रदेशों में त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी भाषा भी पढ़ाई जा रही है। हिंदी फिल्मों और उसके गीत-संगीत, टीवी सीरियल्स और हिंदी के समाचार चैनलों के जरिए हिंदी देश के कोने-कोने में लोकप्रियता अर्जित कर रही है तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर रही है। सच तो यह है कि क्षेत्रीय भाषाएं अपनी उदारता और सहोदर भावना से हिंदी का स्वागत कर रही हैं और हिंदी भी स्थानीय रंगत, सुगंध एवं भावाभिव्यक्तियों को आत्मसात कर सामासिक संस्कृति के निर्माण की संकल्पना को साकार कर रही है। यह हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं, दोनों के लिए 'तुम भी जीते, हम भी जीते' यानी 'win-win' वाली स्थिति है। इनमें किसी भी किस्म के टकराव या विरोध की आशंका बिलकुल निराधार है। मार्केटिंग के क्षेत्र में अंग्रेजी मीडिया का प्रभुत्व लंबे समय तक रहा है, इसलिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की उपस्थिति पर लोगों का ध्यान कम गया है और इन भाषाओं की क्षमताओं पर संदेह प्रकट किया जाता रहा है किन्तु अब परिस्थितियाँ पूर्णतया बदल चुकी हैं। केवल बैकिंग ही नहीं, अपितु हर प्रकार के उत्पाद एवं सेवाओं की मार्केटिंग में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की उपयोगिता आज एक अपरिहार्य अनिवार्यता बन चुकी है, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमें बैंकिंग जगत के कारोबार में इनका अधिकाधिक प्रयोग स्वीकारना ही होगा अन्यथा हम बहुत पीछे छूट जाएंगे।

उपमहाप्रबंधक (राजभाषा)
आईडीबीआई बैंक लि०, दक्षिण II अंचल
कार्यालय, 58, मिशन रोड बेंगलुरु-560 027
मो० 08494935084

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है।

–महात्मा गाँधी

मुद्रा योजना–एमएसएमई के विकास के लिए कितनी कारगर

— मजुंला बधवा

आजादी के 68 साल बीत जाने के बावजूद, हमारे देश में छोटे–छोटे व्यवसायों में लगे लाखों–करोड़ों लोगों की पहुंच औपचारिक वित्तीय संस्थाओं व बैंकों तक नहीं बन पाई है, भले ही देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान अच्छा–खासा है। बीमा, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं आज भी उन्हें मुहैया नहीं हैं कि वे छोटे–मोटे धंधे लगाकर सम्मान से अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल सके। नतीजन, आज भी ज्यादातर लोग अपनी ऋण जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर हैं। ऊंची ब्याज दरों तथा गैर–वाजिब शर्तों पर कर्ज लेकर लगाए गए व्यवसाय में जब इस कदर घाटा उठाने की नौबत आ जाती है कि ब्याज निकलना तो मुश्किल, मूलधन भी डूबने लगता है तो हमारे समाज का निचला तबका धीरे धीरे ऋण के ऐसे दुष्चक्र में फँस जाता है, जिससे बाहर निकलने का जरिया बहुत मुश्किल और अकसर नामुमकिन हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह कर्ज चलता रहता है।

एनएसएसओ के 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 57.7 मिलियन छोटी व्यावसायिक इकाइयॉ हैं और इनमें से अधिसंख्य, जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस क्षेत्र में कार्यरत हैं यानी दुकानदार, फल–सब्जी विक्रेता, ट्रक–टैक्सी चालक, खाने–पीने के समान और मरम्मत की दुकानें, दस्तकार, शिल्पकार, छोटे–मोटे कल–पुर्जे बनाने वाले और फेरी वाले सब इनके दायरे में आते हैं। लगभग 11 लाख करोड़ की राशि इनमें निविष्ट हैं और अंदाजन ये 12 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं जबकि बड़े उद्योगों में केवल 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार हासिल है। विडम्बना यह है कि बड़े उद्योगों को तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं जबकि इन 5 करोड़ 75 लाख स्व–रोजगार में लगे लोगों की ओर अकसर किसी का ध्यान ही नहीं जाता जिसका परिणाम यह है कि औसतन हर छोटे व्यवसायी को मिलने वाला मामूली कर्जा मात्र 17000 रुपये तक ही रह जाता है। इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी रूकावट यही है इन्हें सही समय पर पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता न मिल पाना। इन्हीं तथ्यों और आंकड़ों के मद्दे–नजर, केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री अरूण जेतली ने 2015–16 के बजट में 20000 करोड़ रुपये की समूह राशि का आबंटन करके माइक्रो यूनिट डेवल्पमेंट रिफाइनांस एजेसी (MUDRA) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, इस प्रयोजन हेतु 3000 करोड़ रुपये की समूह राशि का क्रेडिट गारंटी प्रावधान भी किया गया।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है स्व–रोजगारियों और स्व–व्यवसायियों यानी 'निधि–विहीनों को निधियाँ उपलब्ध कराना, 08 अप्रैल 2015 को इस योजना का श्रीगणेश करते हुए माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को उन्नत व समृद्ध बनाने का एकमात्र तरीका है छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उन्होंने भरोसा जताया कि छोटे, मझौले तथा सूक्ष्म उद्योग–धंधों को इस योजना से बेहद लाभ पहुंचेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी, जो फिलहाल 38 फीसदी तक है, इसके मुकाबले काफी बढ़ जाएगी। गरीबों की सबसे बढ़ी पूंजी उनका ईमान है और यदि

मुद्रा-पूंजी के साथ ईमान का मेल हो जाए तो यह छोटे उद्यमियों की सफलता की कुंजी होगा। एक साल के अंदर ही देश के सभी बैंक इस योजना के तहत जरूरतमंदों को ऋण देने में एक दूसरे में स्पर्धा करने लगेंगे।

मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को 5000/- से 10 लाख रुपये के कर्ज दिए जा सकते हैं। सभी अनुसूचित सार्वजनिक व निजी बैंक जो पिछले 3 साल से लाभ में चल रहे हैं, जिनकी नेटवर्थ न्यूनतम 100 करोड़ रुपये है, अनर्जक आस्तियां 3 प्रतिशत तक, और पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी सीआरआर न्यूनतम 9 प्रतिशत है। इस योजना के तहत ऋण दे सकते हैं जिनमें 3 प्रमुख उत्पाद हैं:—

शिशु: 50000/- रुपये तक का ऋण

किशोर: 50000/- से अधिक तथा 5 लाख रुपये तक

तरूण: 5 लाख से ऊपर तथा 10 लाख तक

शिशु ऋण की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं—

* कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
* कोई ऋण प्रसंस्करण शुल्क नहीं
* ब्याज दर 1% मासिक
* कार्यशील पूंजी ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों का काम करेगा।
* चुकाने की अवधि अधिकतम 5 वर्ष

भविष्य में पोर्टफोलियों क्रेडिट गारंटी शुरू करने, ऋण की अधिकतम मात्रा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। ऋण प्रदाता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस योजना के तहत 7 फीसदी ब्याज पर पुनर्वित्त मिलेगा। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं (एमएफआई) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भी इस योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेकर आगे उधारकर्ताओं को दे सकती हैं। प्रधानमंत्री जन-ध ान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ओवरड्राफट की सुविधा दी गई थी, उसका लाभ मुद्रा योजना के लाभार्थी भी उठा सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने हेतु एमएफआई के पंजीकरण, एक्रेडिटेशन तथा उनके द्वारा ऋण-वितरण और उन ऋणों की वसूली संबंधी दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। फिलहाल, यह भारतीय लधु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की सहायक संस्था के रूप में केवल पुनर्वित्त उपलब्ध कराने का काम कर रही है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने हेतु बैंकों के लिए जो लक्ष्य पूर्वनिर्धारित हैं, वे पूरे न करने पर बची राशि मुद्रा बैंक को मिलेगी ताकि वे कम लागत पर प्राप्त ये राशियां निम्न ब्याजदरों पर एमएसएमई क्षेत्र को उधार दे सकें। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के 27, निजी क्षेत्र के 17 बैंक, 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 25 सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं।

नवीनतम आंकड़ों पर नजर डालें तो, अब तक कुल 26719421 ऋण इस योजना के अंतर्गत मंजूर किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर बैंकिंग उद्योग 101249 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर चुका है जिसमें से 97226 करोड़ की राशि जरूतरमंदों को संवितरित की जा चुकी है।

ऐसे में, प्रश्न उठता है: क्या वास्तव में मुद्रा बैंक के आ जाने से हमारे देश में कोई बड़ा बदलाव आएगा? बेशक जरूर, हमारे देश के मौजूदा हालात किसी से छिपे हैं क्या? अधिसंख्य भारतीय गरीब हैं, देहाती इलाकों में बसे हैं, जीवन की मूलभत सुविधाओं से भी वंचित दिन भर मेहनत-मशक्कत करके भी अपने और अपने परिवार के लिए दो जून रोटी नहीं कमा पाते।

ज्यादातर छोटे-छोटे धंधे जैसे खुदरा दुकान, रेहड़ी या फेरी लगाने वाले पुरूष और स्त्रियां प्रशिक्षण तो दूर की बात, बुनियादी तौर पर शिक्षित भी नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि हमारा देश इस विशाल अशिक्षित, अकुशल जनसंख्या के हुनर पहचान कर उन्हें वांछित कौशल, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दे तो यकीनन यह वर्ग हमारे देश के चहुँमुखी आर्थिक व सामाजिक विकास में भागीदारी करके भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने का दम-खम रखता है।

पुरानी कहावत है, भूखे को मछली खिला दो तो एक दिन उसका पेट भर जाएगा पर उसे मछली पकड़ना सिखा दो वह कभी भूखा नहीं मरेगा''। इसी उक्ति को साकार करने की कोशिश है मुद्रा बैंक,निर्धनों को सब्सिडी देने से बहुत बेहतर है उन्हें किफायती कर्ज देना ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इज्जत की रोजी-रोटी कमा सकें और देश के उत्पादक अंग बन, समूचे देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकें।

सहायक महाप्रबंधक-राजभाषा
नाबार्ड, तमिलनाडु क्षे॰का॰, चेन्नै
मोबाइल 9444364816

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।

–सुमित्रानंदन पंत

भारत का प्रगति सूत्र–कौशल विकास

— सुशील कुमार सूद

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। जिसमें से 67.2 करोड़ व्यक्ति 15 से 59 वर्ष की आयु के हैं। लेकिन यदि 2015 वर्ष का अनुमान देखा जाये तो लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है जिसमें अधिकतर युवा हैं यदि अन्य प्रकार से विचार करें तो लगभग 30 करोड़ युवा भारतीय हैं जो भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। यदि युवा शक्ति की ऊर्जा का सदुपयोग होगा तो यह भारत की विशिष्ट मानव सम्पदा के रूप में भारत के आर्थिक विकास में मददगार होगी। विश्व के ऐसे कई देश जैसे चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान इत्यादि जहां युवा शक्ति का अभाव देखा जा रहा है तथा एक अनुमान में अगले 20 वर्षों में जहां युवा शक्ति का और अभाव होने की सम्भावना है। वहां कुशल श्रम की कमी होगी तथा साथ ही आउटसोर्सिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण विदेश में भारतीयों के लिये रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

योजना आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार अगले 20 वर्षों में भारत में श्रम शक्ति में 32 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है। जबकि अन्य विश्व के औद्योगिक देशों में इसमें 4% की कमी एवं चीन में 5% तक की कमी होने की सम्भावना है। अत: भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की सम्भावनाओं के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास में उच्च स्तर प्राप्त करना और आजीविका के गुणवतापूर्ण साधनों की उपलब्धता व्यवस्थित करना आवश्यक होगा।

यदि भारत की युवा पूंजी को वांछित कौशल प्रशिक्षण से तैयार नहीं किया गया तो यह युवा शक्ति देश के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकती है और बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले सकती है। भारत के कौशल विकास कार्यक्रम के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान करके अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की अधिकता होने के कारण नये उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन आवश्यक है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (NSSO) के 66वें राउन्ड के अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2004–05 की तुलना में 2009–10 में शिक्षण संस्थानों में 15–24 वर्ष के युवाओं की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 6 करोड़ हो गयी है। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के शिक्षारत रहने से, कार्यरत जनसंख्या में युवाओं की वृद्धि पूर्व के वर्षों की तुलना में कम हुई है। इस कारण उस समय तो बेरोजगारी की दर कम रही परन्तु अब वही युवा बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिये रोजगार सृजन और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये स्वरोजगार एवं कौशल विकास एक बेहतर विकल्प है सरकार इस दिशा में 'मेक इन इन्डिया' स्टार्ट अप इन्डिया' स्टैन्ड अप इन्डिया' जैसे प्रोजेक्टों पर कार्यशील है।

वर्तमान में लगभग 32 लाख लोगों को प्रतिवर्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध है। जिसके लिये भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय/विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद देश की जनसंख्या में जुड़ने वाले युवाओं के लगभग 20 प्रतिशत व्यक्तियों को ही

प्रशिक्षण दिया जा सका है। शेष 80 प्रतिशत तक पहुंच ही नहीं है। जहां संख्यात्मक रूप में कम युवा प्रशिक्षण में जा रहे हैं वहीं संस्थानों की गुणवत्ता में भी कमी पाई जा रही है। देश में 1200 से अधिक पॉलीटेक्निक संस्थान, 10-12 हजार औद्योगिक संस्थान, अन्य निजी एवं सरकारी केन्द्र, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर से जुड़े संस्थान होने के बावजूद कुशल प्रशिक्षित श्रम की कमी है। यदि प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर सटीक नज़र नहीं रखी गयी तो संख्या में वृद्धि आधारभूत ढांचे में वृद्धि करने पर भी कुछ अधिक बदलाव नहीं होगा। गुणवत्ता में वृद्धि के लिये आन्-जॉब ट्रेनिंग अनिवार्य करना होगा साथ ही इस पर भी ध्यान देना होगा कि आन-जॉब ट्रेनिंग मात्र औपचारिकता न बने।

इतने बड़े लक्ष्य को संख्यात्मक दृष्टि से प्राप्त करने के लिये कुशल प्रशिक्षकों की बड़े स्तर पर आवश्यकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार 2022 तक देश में लगभग 7 लाख प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति कार्यस्थल तक पहुंचे और उसका कौशल उत्पादकता के रूप में परिणिति हो, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान कौशल तन्त्र को भावी चुनौती के लिये क्रियाशील होना ताकि आवश्यकता और पूर्ति में तालमेल बन सके।

भारत में तकनीकि संस्थान भी पर्याप्त नहीं हैं। प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ युवा रोजगार की तलाश में वर्कफोर्स में जुड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये नये आई॰आई॰टी॰, पॉलीटैकनिक संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें भौगोलिक असमानता को भी ध्यान में रखना होगा। निजी क्षेत्र की सहभागिता भी लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो सकती है।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग के अनुसार असंगठित क्षेत्र का, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृहत भाग है। जिसकी कुल कार्यरत जनसंख्या में 90% व्यक्ति एवं कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 50% उत्पाद भागीदारी है। साथ ही देश के 45-50% विदेशी व्यापार में सहभागिता भी इसी क्षेत्र से आती है। आर्थिक रूप से पिछड़े, वंचित इसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। संगठित क्षेत्र की सीमित क्षमता के कारण बेरोजगार व्यक्तियों के लिये कौशल विकास नीति में विशेष प्रावधान होने चाहिये जिससे इन्हे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के माध्यम से इस वर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकों को निर्देश दिये हैं कि कृषि ऋण में सीमान्त किसानों को 2016 तक 7% तथा 2017 तक 8% भाग ऋण वितरण में मिलना चाहिये। इसी प्रकार सूक्ष्म व लघु उद्योग इकाईयों के वर्ग में सूक्ष्म उद्योग का भाग 7% वर्ष 2016 तक तथा 7.5% वर्ष 2017 तक ऋण वितरण में होना अनिवार्य बनाया गया है ताकि कौशल विकास को बल मिल सके।

असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार से कम कुशल, निम्न आय वाले व्यक्तियों का समावेश होता है असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आंशिक या छिपी हुई बेरोजगारी से ग्रसित होता है। उसके पास स्थाई आजीविका के साधनों का अभाव होता है। वह अपर्याप्त आय, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, शोषण का शिकार होना, खराब परिस्थितियां, अनिश्चित कार्यस्थल आदि अनेक प्रकार की समस्याओं से प्रभावित होता है।

असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को पारिवारिक, सामुदायिक या अन्य औपचारिक माध्यमों से कौशल प्रशिक्षण मिलता है। ऐसे कई श्रमिक होते हैं जो कुशल हैं लेकिन प्रमाणिकता नहीं। नयी कौशल विकास नीति में इस प्रकार की कुशलता की पहचान, प्रमाणीकरण देने का प्रावधान किया गया है। असंगठित क्षेत्र के लिये भी ई॰एस॰आई॰, पी॰एफ॰ सहित अन्य सुविधाओं

के विस्तारीकरण की भी आवश्यकता है जिससे कुशल श्रम की प्रमाणिकता व पहचान बन सके। उद्यमों में कौशल की कमी व सस्ते वित्तीय सहायता अभाव के चलते असफलता होने से नकारात्मकता विकसित जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हो रही है। ऋण सम्बन्धी योजनाओं की सुलभ जानकारी, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु, कम ब्याज व सही समय ऋण उपलब्धता, उच्च संस्थानों से प्रशिक्षित युवा को, संस्थान से ही उद्यम लगाने हेतु सभी प्रकार की सुविधा की उपलब्धता, इस क्षेत्र को विकास की राह दिखा सकती है।

अधिकांश युवा उत्पादन व सेवा क्षेत्र, कृषि में रोजगार प्राप्त करने हेतु वांछित कौशल, ज्ञान आदि अर्जित नहीं कर पाते इसी कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा सामान्य वर्गों में डिग्री यथा कला, वाणिज्य और विज्ञान में रूचि लेता है। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदत्त/ज्ञान एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के मध्य बढ़ती खाई के कारण भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता हुई है। भारत के 6 शहरों में एम॰बी॰ए॰ डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों पर किये गये एक अध्ययन में केवल 23% ही रोजगार के योग्य पाए गये शेष सभी अयोग्य थे। इसी प्रकार इन्जीनियरिंग स्नातकों पर किये गये एक अध्ययन में 3% से 41% व्यक्ति रोजगार के योग्य पाए गये (एम॰टी॰ 2011)। माध्यमिक शिक्षा का स्तर वैश्विक मानकों पर उचित नहीं है। एशियन विकास बैंक के अनुसार केवल बुनियादी शिक्षा बढ़ती प्रतिस्पर्धा में पर्याप्त नहीं है बेहतर युवा शक्ति के निर्माण हेतु माध्यमिक स्तर से सुधार भी आवश्यक है।

समाज की सोच में बदलाव की भी ज़रूरत है। समाज में कुशल श्रम से सम्बन्धित कार्यों जैसे बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, वाहन मिस्त्री, प्लम्बर आदि को कम शैक्षणिक उपलब्धि वाले व्यक्तियों का कार्य माना जाता है। सभी प्रकार की शिक्षा चाहे वह आधारभूत हो या उच्च शिक्षा या व्यवसायिक शिक्षा अपने देश की भाषा में उपलब्ध होने से अधिक समझ से, देश के विकास में अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। जैसा कि विश्व के कुछ देशों जैसे चीन, जापान, कोरिया, फ्रांस इत्यादि ने कर दिखाया है।

कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता के लिये यह अनिवार्य है कि उपलब्ध प्रशिक्षण, विकल्पों सम्बन्धी जानकारी सुलभ रूप से संस्थानों में उपलब्ध हो तथा इसका प्रसार हो। रोजगार केन्द्रों का जुड़ाव शिक्षण संस्थानों से हो। ये समय-समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति, उपलब्धता, पन्जीयन, प्रक्रिया, क्षमता आदि सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाए। रोजगार केन्द्र एक निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र के रूप में विद्यार्थियों को अपनी क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम या कोर्स का चुनाव करने में उपयोगी हो सकते हैं। इसके लिये उच्च संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालीन ली जा सकती हैं। सघन प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने की प्राथमिकता दी जानी चाहिये। प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षकों, संस्थानों को भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिये प्लेसमेंट बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन के मापदण्ड निर्धारित कर सकते हैं। संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन रजिस्टर में आंकड़े दर्ज करने तक ही सीमित न रखें। इसके लिये संस्था का समयबद्ध मूल्यांकन, प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। वित्तीय स्वीकृति संस्थानों का निर्धारित अवधि पर सतत मूल्यांकन होना चाहिये। गुणवत्तापूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढ़ाने वाले प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। फीडबैक व्यवस्था लागू होनी चाहिये। कौशल विकास कार्यक्रमों का चुनाव वर्तमान समय की मांग तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुसार हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिज़ाइन पर नीति निर्धारकों का गहन चिन्तन आवश्यक है।

उद्यमिता के क्षेत्र में 1999 से वैश्विक स्तर पर

प्रारम्भ 'ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर' के 2014 में हुए 16 वें अध्ययन में 73 देशों की अर्थ व्यवस्थाओं, विश्व की 72.4% जनसंख्या एवं 90% जी॰डी॰पी॰ को शामिल किया गया। 2014 में हुए अध्ययन ने पूरे विश्व से कुल 206000 व्यक्तियों एवं 3936 विशेषज्ञों की राय ली गयी। यह उद्यम के क्षेत्र में पूरे विश्व से सबस बड़ा अध्ययन है। यह उद्यम के प्रति व्यक्तियों की अभिवृत्ति उद्यम की स्थापना के विभिन्न चरणों में सक्रियता, आत्मविश्वास आदि का मापन करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में उद्यमिता सक्रियता में अन्तर, जनसंख्या में उद्यमी बनने के गुणों की जानकारी का प्रयास करता है। कौशल द्वारा उपलब्ध अवसरों की पहचान, उपयोग एवं वातावरणीय कारकों का परिणाम के रूप में परिभाषित करता है।

भारत को कारक आधारित अर्थव्यवस्था माना गया है जहां आर्थिक विकास मूलभूत आवश्यकताओं जैसे संस्थानों का विकास, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा आर्थिक स्थायित्व आदि पर आधारित होता है प्रत्यक्षीकृत अवसर अर्थात किसी उद्यम को शुरू करने के लिये उपलब्ध अवसरों की पहचान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों में भी कमी आई है। नव उद्यमिकता दर 15 वर्षों में घटकर सबसे कम 4.1% हो गयी। नव व्यापार स्वामित्व दर भी 2013 में 4.9% हो गयी।

निष्कर्ष यह है कि भारत में नये उद्यमों की स्थापना बहुत कम हो रही है जो स्थापित हो रहे हैं लम्बे समय तक नहीं चल पा रहे हैं। उद्यमिता सुधार हेतु रोजगारोन्मुख क्षेत्र जैसे कृषि, खाद्य, प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, सेवा क्षेत्र होटल, पर्यटन, मेडिकल सेवाएं, सूचना तकनीकी आदि में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

भारत में युवाओं को नौकरी के अवसर तलाश करने के स्थान पर उद्यमिता द्वारा नौकरी प्रदाता उद्यमी के रूप में स्वयं स्थापित करने हेतु अभिप्रेरित, प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। यह विचार विद्यालय से ही देने की आवश्यकता है। उद्यमिता के 3 महत्वपूर्ण तत्वों: नव विचार, जोखिम लेने की प्रवृत्ति तथा उपयुक्त अवसरों की पहचान करने की क्षमता का विकास करने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है। नये-नये प्रयोगों पर कार्य होना चाहिये। आई॰आई॰एम॰ व आई॰आई॰टी॰ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में युवा अच्छे वेतन वाली नौकरियों को नकार उद्यमिता के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं। उदाहरण के लिये रेल में तकनीकी का उपयोग कर गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचने के समय का पता लगाकर अच्छी गुणवत्ता वाला गरम भोजन उपलब्ध कराने हेतु उद्यम की स्थापना की। ग्राहक अपनी पसन्द का आनलाईन आर्डर दे सकता है। महानगरों में चिकित्सकों की आनलाईन उपलब्धता करवाना, दवाई की डिस्काउंट पर आनलाईन हेतु मोबाइल ऐप्स, ऐप से टैक्सी सेवा, बस रिजर्वेशन इत्यादि उद्यमों के सफल उदाहरण भारत में हो रहें हैं।

27 वर्ष के अपूर्व मेहता ने आमेजन का काम छोड़ किराना डिलिवरी 'इनस्टाकार्ट' शुरू किया जिसमें अभी 200 कर्मचारी हैं। इस कम्पनी में 2 साल में ही 2 अरब डालर का निवेश हुआ। यह कम्पनी अमेरिका के 10 शहरों में कार्यरत है तथा इसका नाम फोब्स की सूची में 40वें स्थान पर है। नये-नये विचार या नवाचार में भारतीयों ने अपने कौशल को प्रदर्शित किया है।

कौशल विकास कार्यक्रम में इतने बड़े स्तर पर व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने के लिये नवाचार आधारित उद्यमों को स्थापित कराना, स्वरोजगार को प्रेरित करना भारत की आवश्यकता है। कौशल विकास ही एक माध्यम है जिससे भारत का युवा अपनी पहचान

वैश्विक स्तर पर बना पाएगा तथा भारत में वैश्विक स्तर की उद्यमिता को स्थापित कर पाएगा।

सन्दर्भः

1. अमोरोस, जे॰ई॰ एवं बोस्मा 2012
2. ग्लोबलआंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर रिपोर्ट 2013, 2014
3. ए॰एम॰ 2011 (नेशनल एम्प्लोयबिलिटी रिपोर्ट 2011)
4. एम॰टी॰ 2011 (एम॰बी॰ए॰ टैलेन्ट पूलरिपोर्ट की फाइन्डिंग बंगलूरू)
5. योजना आयोग 12th पंचवर्षीय योजना
6. NSSO SECTOR SKILL REPORT 2010
7. जनगणना आंकड़े 2011

मुख्य प्रबंधक
यूनियन बैंक आफ इन्डिया
स्टाफ ट्रेनिंग सेन्टर, गुड़गांव

हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत हैं, जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में आसीन हो सकती हैं।

–मैथिलीशरण गुप्त

कृषि हेतु जल के सतत् प्रबंधन की आवश्यकता

— ओम प्रकाश वर्मा

प्रकृति प्रदत्त दुर्लभ साधनों के कुशल उपयोग करके विकास प्रक्रिया को सतत् गति देने के परिपेक्ष्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जल प्रबंध एक अपरिहार्य दशा बन चुकी है। विशेषकर भारत जैसी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में जहां वर्षा अनियन्त्रित, असामयिक व अनिश्चित हो। वर्षा की इस प्रकृति के कारण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता से कारगर ढंग से निपटने के लिए उचित जल प्रबंध पर वृद्धिशील बल प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल को अधिकाधिक बढ़ाया जा सके। मौसम, मृदागठन, स्थलाकृति, खाद की मात्रा व अन्य विविध ा सस्य क्रियाओं के अनुरूप जल के प्रयोग की परिवर्तित पद्धति को जल प्रबंध कहते हैं।

किसानों को अब भी इन विषयों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। जहां थोड़ी-बहुत जानकारी उपलब्ध है वह भी सरल भाषा में किसानों तक नहीं पहुंच पाती। इन समस्याओं को भी हमें जल प्रबंधन में लेने की आवश्यकता है।

भारत की जल-सम्पदा की बात की जाए तो भारत में जल के पहलुओं पर प्राचीन साहित्य में विस्तृत उल्लेख मिलता है। वेदों में भी कुओं, नहरों, बांधों एवं तालाबों के वर्णन के साथ-साथ सिंचाई में इन साधनों के महत्व तथा राजा व प्रजा के कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत में अनेक स्थानों पर सदियों पुराने कुएं इनका प्रमाण हैं।

प्रकृति ने इस देश को विपुल जल-सम्पदा सौंपी है। सिंचाई के लिए आवश्यक जल प्राप्त करने के हमारे पास प्रमुखत: दो साधन हैं:- 1. सतही जल एवं 2. भूगर्भीय जल कृषि हेतु जल के सतत् प्रबंधन की आवश्यकता को जल सामंजस्य, फसल सामंजस्य तथा मृदा सामंजस्य की गत्यात्मक प्रक्रिया के सुमेलन के रूप में लिया जाना चाहिए। यहां पर: 1. जल सामंजस्य का अभिप्राय: विभिन्न समय बिन्दुओं पर जल उपलब्धता से है। 2. फसल सामंजस्य का अर्थ फसलों को बोने-जोतने, उगने, फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने पर दाना बनने आदि विभिन्न निर्णायक अवस्थाओं में जल की आवश्यकता से है और मृदा सामंजस्य से तात्पर्य इसकी आर्द्रताधारण क्षमता तथा इसके कुम्हलाने से है।

जल ले जाने एवं विवरण कुशलता बढ़ाने हेतु चार प्रमुख बातों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी

1. पृष्ठीय नालियों में अप्रवेश्य पदार्थ का अस्तर करना।
2. नालियों में अपरदन रोकने हेतु संरचनाओं, विन्यासों का प्रयोग।
3. भूमिगत पाइप लाइनों द्वारा जल ले जाना।
4. जल के वितरण में जल ह्रास की रोकथाम।

सामान्यत: जल हानि पर नहर अथवा नाली की लम्बाई, जिस भूमि से नहर निकलती है उस भूमि का गठन तथा मौसम जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अत: प्रति इकाई उपभोग जल से उपज बढ़ाने, इकाई सिंचित भूमि की उपज को बढ़ाने तथा उपयुक्त भूमि व जल प्रबंध तकनीकों द्वारा सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के मूल उद्देश्य के अनुरूप सामंजस्य तकनीक के व्यवस्थित प्रसार को अपनाना होगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या जल अथवा भूमि ज्यादा दुर्लभ वस्तु है, हमें प्रति इकाई जल से उपज बढ़ाने तथा प्रति इकाई सिंचित भूमि की उपज बढ़ाने पर बल देना होगा। उत्तरी गंगा के मैदानों में बर्फीली नदियों तथा प्रचुर मानसून के बावजूद भी जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि जल की अपेक्षा एक दुर्लभ साधन है। अत: हमारा ध्यान बहुफसल कार्यक्रम व निकास द्वारा उपलब्ध भूमि की प्रति एकड़, उपज बढ़ाने पर होगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जल, भूमि की अपेक्षा दुर्लभ होने के कारण, वहां पर ज्यादा जल की आवश्यकताओं वाली फसलों को शुष्क फसलों में परिवर्तित करके जल की प्रति इकाई उत्पादकता को बढ़ाना बेहतर होगा। इसके लिए फसलों का स्थानीयकरण, नहरों का रेखांकन सिंचाई की रोस्टर पद्धति तथा रात्रि में सिंचाई करने जैसे उपाय व्यवहारिक होंगे। सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने के तीसरे उद्देश्य में निम्न 6 तरीकों को अपनाया जा सकता है:-

1. जल नुकसान को घटाना 2. फसल प्रारूप बदलना 3. छोटी अवधि वाली फसलों की बुवाई 4. जल की राशनिंक 5. बहुफसल कार्यक्रम तथा 6. नियमित जल आपूर्ति की दशा में ग्रीष्मकालीन सिंचाई इत्यादि।

लेकिन चाहे पानी अथवा भूमि दुर्लभ साधन रहा हो, उपरोक्त व्यवस्था अभी भी काबू से बाहर रही है। इसलिए सिंचित क्षेत्रों में फसलों की सघनता को बढ़ाकर अथवा असिंचित कमाण्ड क्षेत्रों को सिंचाई के अंतर्गत लाकर सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। नर्मदा कछार में निर्माणाधीन विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से नहरों का निर्माण कर असिंचित कमाण्ड क्षेत्रों को सिंचाई के अंतर्गत लाया जा रहा है।

सिंचाई से मृदा की प्रतिक्रिया बहुत जटिल है और सिंचाई को लाभदायी बनाने हेतु इस संबंध की अवहेलना नहीं की जा सकती। मृदा की सिंचाई उपयुक्तता, प्रभावी मृदा आवरण, सतही की बनावट, उप-मृदा का विकास, मृदा की संरचना कटाव बाधाएं, लवण तत्व, द्रविक सुचालकता तथा स्थलाकृति पर निर्भर करती है। मिट्टी की आर्द्रता धारण करने की क्षमता, फसलों के प्रकार तथा पौधा अन्त:क्रिया उत्पादन को निर्धारित करती है। कमजोर मृदा व्याप्ति से सतह मृदा पर जलाक्रांत, लवणता, खरपतवार, आक्सीजन तथा पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भूमि गठन, आकार, श्रेणीकरण और इसके लिए उपयुक्त सिंचाई आदि मृदा की विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। कृषि हेतु जल के सतत् प्रबंधन करने में हमें मुख्यत: चार समस्याएं देखने का मिल रही हैं:-

1. पानी ले जाने, वितरण व खेत के प्रयोग करने के नियंत्रित एवं कारगर उपाय खोजना व अपनाना जिससे जल की वाष्पन, वहाव व रिसाव के रूप में हानि न हो;
2. मौसम, मृदा सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि के अनुरूप उपयुक्त फसल, फसल चक्र व योजना बनाना;
3. मृदा गठन, स्थलाकृति व अन्य भौतिक गुणों के आधार पर विभिन्न मृदाओं की सिंचाई के लिए उपयोगिता निर्धारित करके उचित मृदा जल-प्रबंध के तरीके अपनाना; तथा
4. सिंचाई विभाग तथा कृषि विभाग में सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव।

इसके अतिरिक्त योजनाबद्ध विकास के दौरान रेलवे लाइन, नहर, नगरों में आवास निर्माण तीव्र गति से हुआ जिससे जल निकास के लिए पर्याप्त नाली एवं पुलियों के निर्माण पर बल नहीं दिया गया। इससे

प्राकृतिक बहाव में रुकावट पैदा होने से जल या नए रास्ते से होकर गुजरता है, या नीचे स्थानों पर रुक जाता है। जलाक्रांत नीचे स्थानों पर जल रुकने की दशा का ही नाम है। अभी देखा जा रहा है नहरों का जाल बिछ गया है, ये नहरें जब लवण वाली भूमि से गुजरती हैं तो लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं जिससे क्षारीयता की समस्या पैदा हुई। जनसंख्या के दबाव के कारण जल भी जब कृषि क्षेत्रों से होकर बहने लगा तो एक अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हो गई।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाये, मेरे विचार से भू–गर्भीय जल का भी संयुक्त प्रयोग किया जाये तो वांछित परिणाम सामने आयेंगे।

चूंकि भारत की कृषि जलवायु दशाओं की वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में तथा अनियमित तथा बेमेल वर्षा व जलाशयों हेतु भण्डारण स्थान का अभाव, जलाक्रांति एवं भू–जोतों के बिखराव में भूगर्भीय जल का प्रयोग बहुत लाभदायक तथा अपरिहार्य है।

अत: सतही तथा भू–गर्भीय जल का संयुक्त प्रयोग कई अर्थों में सहायता करता है।

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।

–सुमित्रानंदन पंत

बढ़ते प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव

— डॉ॰ दीपक कोहली

पर्यावरण दो शब्दों ''परि'' और ''आवरण'' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुऐं, परिस्थितियां एवं शक्तियां विद्यमान हैं वे मानव क्रिया कलापों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं एवं उसके लिए एक दायरा सुनिश्चित करती हैं। इसी दायरे को हम ''पर्यावरण'' की संज्ञा देते हैं। यह दायरा व्यक्ति, परिवार, आवास, गांव, नगर, प्रदेश, देश, महाद्वीप अथवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का हो सकता है। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह अनेकानेक छोटे तंत्रों से लेकर अनेक विशाल विशिष्ट तंत्रों का जटिल सम्मिश्रण है।

पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द "Environer" से बना है जिसका अभिप्राय समस्त परिस्थितिकीय अथवा परिवृत्त से होता है। इसके अंतर्गत सभी स्थितियां, परिस्थितियां, दशायें तथा प्रभाव जो कि जैव अथवा जैवकीय समूह पर प्रभाव डाल रही हैं, सम्मिलित हैं।

मानव जब से जन्म लेता है और जब तक इस धरा पर सांस लेता है, पर्यावरण से जुड़ा रहता है। आंख खुलते ही उसका प्रथम साक्षात्कार पर्यावरण से ही होता है और मरणोपरान्त वह इसी पर्यावरण में विलीन हो जाता है। यह क्रम अतीतकाल से अब तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यह इस बात का साक्षी है कि हम और पर्यावरण एक दूसरे से चोली-दामन की तरह जुड़े हुए हैं। वर्तमान में बढ़ती हुई भौतिकतावादी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपनी सुख-सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राकृतिक संपदाओं का अविवेकपूर्ण दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण का ताना-बाना बिगड़ रहा है। प्रगति की इस अंधाधुंध दौड़ में हम भौतिक सम्पन्नता का दावा तो अवश्य कर सकते हैं परंतु स्वस्थ, प्राकृतिक पर्यावरण से सहज मिलने वाले जीवनदायी तत्व कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

यदि पर्यावरण स्वच्छ है तो उससे मानव तथा अन्य सभी जीव स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, लेकिन यदि पर्यावरण में किसी प्रकार की अस्वच्छता या प्रदूषण आ जाता है तो इससे जीवन प्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभावित होता है। पर्यावरण प्रदूषण आज हम सभी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यह किसी स्थान विशेष या देश विशेष की समस्या न होकर पूरे विश्व की ज्वलंत समस्या है। ''अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी'' के अनुसार प्रदूषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है:-

''प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है जिससे मनुष्य, अन्य जीवों, औद्योगिक प्रक्रियाओं या सांस्कृतिक तत्व तथा प्राकृतिक संसाधनों को कोई हानि हो या होने की संभावना हो। प्रदूषण में वृद्धि का कारण मनुष्य द्वारा वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद फेंक देने की प्रवृत्ति और मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण आवश्यकताओं में वृद्धि हैं।''

तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विगत सौ वर्षों में बढ़ती हुई आबादी

के दबाव में पर्यावरण को बड़े पैमाने पर दूषित होते देखा गया है। सन् 1981 में जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 68 करोड़ 50 लाख थी जो 1991 में बढ़कर 84 करोड़ 40 लाख हो गयी। यदि यही वृद्धि की स्थिति रही तो वर्ष 2050 तक हम लगभग 175 करोड़ हो जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। दिन-प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने में संलग्न है। इसके अतिरिक्त घनी आबादी वाली गंदी बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इनमें जगह-जगह फैली गंदगी और कूड़े के ढेर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।

प्रदूषण के विष से इस भूमंडल का कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है, चाहे वह जलीय क्षेत्र हो, स्थलीय हो या वायु क्षेत्र। जल या पानी जिसके अभाव में इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है, हमारे शरीर में वजन के अनुसार 60 प्रतिशत होता है। वर्तमान में जल के लगभग सभी स्रोत भयंकर रूप से प्रदूषित हैं। इसके प्रमुख कारकों में घरेलू व्यर्थ पदार्थ, वाहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशी पदार्थ, रेडियोधर्मी तत्व व पैट्रोलियम पदार्थ उल्लेखनीय हैं। जो पानी जीवन की रक्षा करता है वहीं प्रदूषित हो जाने पर बीमारियों तथा मृत्यु का कारण बनता है। विकसित औद्योगिक देश प्रदूषित जल संकट का घोर सामना कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए वैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं एवं अरबों डालर खर्च किए जा रहे हैं। विकासशील देशों में मरने वाले पांच बच्चों में से चार पानी की गंदगी के कारण उत्पन्न हुए रोगों से मरते हैं जैसे टायफायड, पेचिश, हैजा, पीलिया, पेट में कीड़े और यहां तक कि मलेरिया, जो कि गंदे ठहरे पानी में पाए जाने वाले मच्छरों के कारण होता है। प्रदूषित जल केवल मानव जाति को ही नहीं वरन् वनस्पतियों एवं अन्य वस्तुओं को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। लखनऊ की गोमती में लखीमपुर चीनी मिल तथा अन्य कारखानों के कारण पानी इतना विषाक्त हुआ है कि अक्सर मरी हुई मछलियां मछुआरों के जाल में आती हैं। कानपुर में लेदर इंडस्ट्रीज के औद्योगिक अपशिष्ट गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा आज यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा सहित देश की प्रमुख नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। औद्योगिक प्रदूषण के फलस्वरूप पारे तथा शीशे के यौगिक मछलियों के शरीर में उन सूक्ष्म पौधों के माध्यम से पहुंचते हैं, जिन्हें मछलियां बड़ी मात्रा में खाती हैं। ऐसी मछलियों के सेवन से मनुष्य के नेत्र और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कनाडा की कुछ झीलों की मछलियों में पारे की मात्रा इतनी अधिक पायी गयी कि वहां की सरकार ने इन झीलों की मछलियों के उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान में इस प्रकार की दूषित मछलियों के खाने से तंत्रिकीय रोग शुरू हो गए।

वायु सभी प्रकार के जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य बिना भोजन के हफ्तों जी सकता है, बिना पानी के कुछ दिन लेकिन बिना हवा के कुछ मिनट ही जी सकता है। वायु के वायुमंडल में 6 लाख अरब टन हवा है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 22000 बार सांस लेता है और प्रतिवर्ष 50 लाख लीटर हवा सांस लेकर फेंफड़े से बाहर निकाल देता है। आज जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वह दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। हवा में जब जहरीली गैसें तथा आवांछनीय तत्व इतनी अधिक मात्रा में मिल जाते हैं कि मनुष्य तथा अन्य जीव-जंतु विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं तो यह स्थिति वायु-प्रदूषण कहलाती है। प्रदूषित वायु में हानिकारक गैसों का अनुपात बढ़ जाता है। जिससे सिर्फ जैव मंडल ही नही अपितु इमारतों आदि को भी नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में

प्रथम है, ईंधनों का जलना। जिनके दहन से कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, अनेक हाइड्रोकार्बन जैसे बैंजीपाइरिन आदि उत्पन्न होते हैं। परिवहन माध्यमों द्वारा उत्सर्जित धुआं, कार्बन कणों, सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लैडकणों आदि के कारण भी वायु निरंतर प्रदूषित हो रही है। औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला धुआं, अन्य गैसें तथा कणमय पदार्थ भी वायु-प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण महानगरों में अधिक देखने को मिलता है। जहां अनगिनत छोटे-बड़े कारखाने अपनी चिमनियों के द्वारा वायुमण्डल में धुएं के बादल बनाते रहते हैं। इनके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा प्रक्रम एवं तापीय बिजली घरों द्वारा भी उत्सर्जित पदार्थ वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनते हैं।

आज अत्यंत प्रचलित शब्द यथा, 'ग्रीन हाउस प्रभाव', ''अम्लीय वर्षा'' एवं ''ओजोन परत छेद'' वायु प्रदूषण के प्रभाव से ही जनित है। वायु प्रदूषक विषैली गैसों से सांस की बीमारियां-ब्रॉकाइटिस, फेंफड़ों का कैंसर आदि बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, उल्टी होना, आंखों के सामने अंधेरा छाना अपितु कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्यों के साथ-साथ इन जहरीली गैसों का प्रभाव वनस्पतियों पर भी पड़ता है। पौधों की पत्तियों में विद्यमान ''स्टोमेटा'' को धूम्रकण अवरूद्ध कर देते हैं, फलत: पौधों की जीवन संबंधी प्रक्रियाएं रूक जाती हैं और पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

जीवित पदार्थों के अलावा ऐतिहासिक इमारतों पर भी इन विषैली गैसों ने अपनी काली छाया डाली है। मथुरा रिफाइनरी की एसिड लपटों के कारण आगरा के ताजमहल तथा मथुरा के मंदिरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। इसके अतिरिक्त इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर के कोयले की राख एवं दिल्ली रेलवे स्टेशन के इंजनों के धुएं ने लालकिले के पत्थरों पर भी अपना विपरीत प्रभाव डाला है। ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ता जा रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने ''संगमरमर का कैंसर'' कहा है।

जल तथा वायु प्रदूषण के पश्चात् अब ''भूमि प्रदूषण'' के संबंध में विवेचना करें। ''भूमि'' का प्राकृतिक संसाधनों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रदूषणों तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का विलय प्राय: भूमि में होता रहता है जिसके कारण मनुष्य जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। भूमि प्रदूषण के कारकों में जीवनाशक रसायन, कृत्रिम उर्वरक, नगरीय अपशिष्ट पदार्थ, जहरीले अकार्बनिक पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। जीवनाशक रसायनों में कीटनाशक, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक, रोडेन्ट्स नाशक तथा निमेटोड्स नाशक आते हैं। कृषि उत्पादन में सराहनीय वृद्धि तथा घातक रोगों से मुक्ति दिलाने में इन रसायनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दूसरी ओर इसके असंतुलित प्रयोग से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम उर्वरकों के अनियमित प्रयोग से कुछ तत्वों की अधिकता तथा विषैलापन हो जाता है। नगरों के सीवेज में विद्यमान फफूंदी, जीवाणु, विषाणु तथा भारी तत्वों का भूगर्भ जल तथा भूमि पर उगाए जाने वाले पौधों एवं फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। औद्योगिक कूड़े-कचरे में विद्यमान अकार्बनिक अवशेष पदार्थों के निकास प्रबंध की एक गंभीर समस्या है। ये अवशेष पदार्थ क्रोमियम, मरकरी, लैड आदि भारी तत्वों से युक्त होते हैं, जो कि विषैले होते हैं। भूमि प्रदूषण का एक अन्य स्रोत कूड़ा-करकट है। इसके अतिरिक्त कांच, प्लास्टिक, पालीथिन बैग्स, टिन आदि आते हैं। एक ही स्थान पर एकत्रित होने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका पूर्ण अपघटन सम्भव नहीं हो पाता है, फलस्वरूप इनसे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है।

जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण के साथ-साथ शोर की मात्रा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। शोर अर्थात् ''ध्वनि प्रदूषण'' को उस ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ध्वनि जो श्रोता को अरूचिकर लगे। शोर की तीव्रता की माप करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, उसे ''डेसिबल'' कहते हैं। यह इकाई लघुगणकीय है। सामान्यत: 55 से 60 डेसिबल का शोर मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। नोबेल पुरस्कार विजेता ''राबर्ट कॉक'' ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि, ''भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा, जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में क्रूर शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। यह आधुनिक युग का अभिशाप है और हमें इसके विषय में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।'' ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित व्यक्ति की नींद में कमी, कार्य में अरूचि, क्रोध एवं मानसिक तनाव, घबराहट, जी मिचलाना, सिरदर्द, बहरेपन की सीमा तक सुनने की शक्ति में गिरावट, रक्तचाप में वृद्धि आदि व्याधियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भस्थ शिशु पर भी कुप्रभाव पड़ता है एवं उसे विकलांगता जैसे संकट में डाल सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण ने आम आदमी की जिंदगी में जहर घोल के रख दिया है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए तथा पर्यावरण को अपघटित होने से बचाने हेतु पूरे देश में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 प्राख्यापित किए गए हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात् यह महसूस किया गया कि औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु एक व्यापक एवं प्रभावी अधिनियम लाया जाए। इसी उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लाया गया। केवल सरकार के नियम बना देने से यह संकट दूर होने वाला नहीं है, जब तक कि आम आदमी अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं सजग नहीं रहेगा।

हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्रदूषित पर्यावरण की समस्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी और अशिक्षा से संबंधित है। साथ ही साथ हमारी विलासी तथा स्वार्थी प्रवृत्ति भी इसके लिए उत्तरदायी है। अत:, इससे छुटकारा पाने के लिए पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आज समय आ गया है कि हमें अपने दृष्टिकोण में सृजनात्मक परिवर्तन लाकर एक ऐसे स्वस्थ एवं उन्नत समाज की रचना करनी है जहां प्रकृति और पर्यावरण से मिलकर हमारी औद्योगिक उपलब्धियां भावी पीढ़ियों के लिए वरदान बन सकें।

5/104, विपुल खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
(उत्तर प्रदेश)
मोबाइल- 9454410037
(ई मेल- deepakkolhi64@yahoo.in)

कार्यशाला

'ग' क्षेत्र

भाकृअनुप–राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता में संस्थान के हिंदी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री आर॰डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में 'हिंदी में टिप्पणी एवं मसौदा लेखन' विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम सत्र के अध्यक्ष श्री आर॰डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी प्रतिभागियों को हिंदी कार्यशाला का उद्देश्य बताया। अपने आप को मांजना अर्थात हिंदी में काम करते वक्त आने वाली समस्या का समाधान करना ही इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होता है। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला में हिंदी में काम करते समय आने वाली दिक्कत को दूर करें तथा अधिक–से–अधिक काम हिंदी में करें।

परिचयात्मक सत्र में श्री लक्खन कुमार सिंह ने आयोजन समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए उनका परिचय लिया। उन्होंने विषय संबंधी सत्र शुरू करने से पहले सभी प्रतिभागियों के टिप्पणी एवं मसौदा लेखन संबंधी ज्ञान की जानकारी ली। तत्पश्चात, कार्यालयीन टिप्पणी के प्रकारों को सविस्तार सोदाहरण समझाया तथा साथ ही मसौदा लेखन पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों की भाषा संबंधी अड़चनों से अवगत होते हुए उनकी व्याकरणिक कमियों को दूर करने के गुर सिखाए गए। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञ श्री लक्खन कुमार सिंह ने दैनिक व्यवहार में आने वाली छोटी–छोटी अंग्रेजी टिप्पणियों को हिंदी में लिखवाया ताकि प्रतिभागी टिप्पणी लिखने के दौरान उनका उपयोग कर सकें। सभी प्रतिभागियों ने पूरे सत्र में शातिपूर्ण ढंग से उत्साहपूर्वक एवं तल्लीन होकर ज्ञानार्जन किया। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ से राजभाषा नीति विषयक एवं व्याकरण में आने वाली दिक्कतों पर सवाल उठाए, विशेषज्ञ ने उनके उत्तर देकर समाधान किया।

प्रसार भारती, आकाशवाणी : जगदलपुर, छत्तीसगढ़

आकाशवाणी जगदलपुर में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय 'कार्यालयीन प्रयोग में व्यावहारिक हिंदी की स्वीकार्यता' रखा गया था। इस विषय पर डॉ॰ कौशल किशोर मिश्र, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार को प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

डॉ॰ कौशल किशोर मिश्र ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि जिस प्रकार हम जीवन से जुड़ी अनिवार्य बातों को उपासना के रूप में लेते हैं उसी प्रकार हिंदी के लिए यह कार्य करना है। हमें चाहिए कि हम हिंदी की उपासना करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन प्रयोग में कठिन शब्दों का प्रयोग न करें क्योंकि यदि उसे सामने वाला व्यक्ति समझ ही न पाये तो शब्दों का प्रयोग व्यर्थ और असंगत होगा। उन्होंने कहा कि संप्रेषण माध्यम क्या है इसको समझना जरूरी है। इस मामले में मैं यह भी सलाह देना चाहूंगा कि आधार पाठ्यक्रम के कोर्स की हिंदी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए

जिसमें पत्र लेखन और व्याकरण सीख सकते हैं और मानव हिंदी का प्रयोग करना जान सकते हैं। अच्छी हिंदी लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कार्यालयीन प्रयोग करते समय यदि तकनीकी शब्द आते हैं तो प्रयत्न करना चाहिए कि हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें और देवनागिरी लिपि का प्रयोग करें। हमें हिंदी में दक्षता के लिए संकल्प लेना होगा। यदि हम सार्वजनिक स्थानों पर मानक हिंदी का प्रयोग करें तो हमारे साथ अन्य लोगों की हिंदी में भी अवश्य ही सुधार होगा।

प्रसार भारती, गुवाहाटी

दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय था—प्रशासनिक शब्दावली और पत्राचार। संकाय सदस्य ने कहा कि सभी पत्रों के लिए अलग-अलग लेखन पद्धति होती हैं। पत्र के विभिन्न रूप जैसे—सामान्य पत्र, सरकारी पत्र, अर्धशासकीयपत्र, ज्ञापन, परिपत्र आदि के रूपों को प्रतिभागियों को सिखाया। उन्होंने हिंदी में टिप्पणी के लेखन पद्धति को अति सहज एवं सरल ढंग से सिखाया।

कर्मचारियों को राजभाषा में काम करने के लिए काफी उत्साह दिया, ताकि बिना झिझक के सभी आसानी से हिंदी में काम कर सकें।

आकाशवाणी, हैदराबाद

कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन कार्यालय प्रमुख श्रीमती एम॰ नरेन्द्र कुमारी, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया गया।

सर्वप्रथम कार्यालय की सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती गायत्री देवी ने व्याख्याता एवं सभी उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के आयोजन और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कार्यालय के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और इस क्रम में यह कार्यशाला वर्ष 2015-16 की छठीं कार्यशाला है।

कार्यालय प्रमुख श्रीमती एम॰ नरेन्द्र कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली अथवा समझी जाने वाली भाषा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इस कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाएं। सरकारी कामकाज़ में हिंदी के सरल, सहज तथा सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। फाइलों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां हिंदी में लिखने की कोशिश करें और राजभाषा द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

प्रसार भारती, विजयवाड़ा

गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राजभाषा हिंदी सिखाने और प्रेरणा देने के उद्देश्य से आकाशवाणी, विजयवाड़ा केंद्र में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में, सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री एम॰ सुब्बशेखर ने भाषा की महत्ता के बारे में और हिंदी के क्रमिक विकास के बारे में पूरी-पूरी जानकारी दी और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के बारे में पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने हिंदी को आसानी से सीखने के लिए तेलुगु वर्णमाला के साथ-साथ हिंदी वर्णमाला की तुलना करते हुए हिंदी का आसान रूप समझाया।

प्रसार भारती, चेन्नै

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और आकाशवाणी महानिदेशालय के निर्देशों का पालन करते हुए आकाशवाणी, चेन्नै केंद्र में नियमित रूप से साल में चार कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इस क्रम में जनवरी–मार्च 2016 तिमाही की कार्यशाला का आयोजन हुआ।

कार्यशाला का विषय रहा—'प्रशासनिक शब्दावली और हिंदी पत्राचार'। व्याख्याता ने राजभाषा में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए भारत की आजादी के बाद सरकारी कामकाज़ में राजभाषा हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला के प्रतिभागियों को विभिन्न पारिभाषिक शब्दों को सिखाते हुए उनकी विशिष्टता पर विस्तार से चर्चा की। हिंदी पत्राचार के विषय में, औपचारिक पत्र हिंदी में लिखने का अभ्यास देते हुए विभिन्न प्रकार के पत्राचार हिंदी में लिखने के तरीके से भी अभ्यस्त करवाया।

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग

राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार तथा सरकारी कामकाज़ में हिंदी में कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयकर विभाग, शिलांग में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आयकर विभाग, शिलांग क्षेत्र के कार्मिक शामिल हुए। श्री मनीष कुमार साह, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने कार्यशाला में राजभाषा नीति के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला के माध्यम से सभी कर्मचारियों को हिंदी सीखने और उसका उपयोग सरकारी कार्य में करने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं का भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए जिससे कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग में सार्थक सुधार हो सके।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तिरुवनंतपुरम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई–अड्डे के सम्मेलन कक्ष में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

उद्घाटन समारोह का संचालन श्री साजी॰ सी॰ अब्राहम, प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा किया गया तथा हिंदी कार्यशाला के आयोजन के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री जॉर्ज॰जी॰ तरकन, विमानपत्तन निदेशक तथा श्री डी॰ कृष्णपणिक्कर, सेवानिवृत्त, उप निदेशक (कार्यान्वयन) भूतपूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, गृह मंत्रालय उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि विमानपत्तन निदेशक एवं अन्य अतिथियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ हुआ मुख्य अतिथि ने अपने अध्यक्षीय भाषण के तहत सूचित किया कि यह बहुत खुशी की बात है कि नराकास (उपक्रम) के अंतर्गत वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई–अड्डे में कार्यरत सभी कार्मिकों के प्रयत्न से ही यह संभव हुआ है। उन्होंने कार्यशाला में नामांकित कार्मिकों को निर्देश दिया कि कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करके कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर पर हिंदी में हस्ताक्षर, हिंदी में टिप्पण व आलेखन तथा पत्राचार करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नाम गौरवान्वित करने की कोशिश करें एवं राजभाषा हिंदी को निरतंर अग्रणी स्थान प्रदान करने का प्रयास करें।

'ख' क्षेत्र

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद में संस्थान के संगोष्ठी कक्ष में राजभाषा हिंदी का प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के संबंध में चर्चा तथा पर्यावरण में व्याप्त अदृश्य प्रदूषण एवं उसके स्वास्थ्य संबंधी खतरे नामक विषयों पर एक दिवसीय वैज्ञानिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ संस्थान के वैज्ञानिक 'एफ' डा॰ एच॰जी॰ साधु के स्वागत भाषण द्वारा किया गया। तत्पश्चात् कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा॰ डी॰डी॰ ओझा ने बताया कि जिस संस्थान के प्रमुख स्वयं वैज्ञानिक पुस्तकों का लेखन हिंदी में करते हैं तो नि:संदेह संस्थान के कर्मचारीगण भी उनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में कार्य करने के लिए अवश्य ही प्रेरित होंगे। इस संस्थान के प्रभारी निदेशक ने फरवरी, 2015 में दो दिवसीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक हिंदी कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसमें संस्थान व देशभर के वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र हिंदी में प्रस्तुत किए।

अध्यक्षीय अभिभाषण में संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉ॰ सुनील कुमार ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागयियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से प्रथम सत्र में 'राजभाषा हिंदी का प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के संबंध में चर्चा' नामक विषय पर हिंदी में कार्य करने हेतु बहुत ही लाभदायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी जिससे प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना दैनिक कार्य हिंदी में आसानी से करने में सहायता मिलेगी।

'क' क्षेत्र

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उदयपुर

उदयपुर विमानक्षेत्र के कार्मिकों हेतु कार्यालीय कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उदयपुर एयरपोर्ट के विभिन्न अनुभागों के कार्मिकों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री संतोष कुमार, निदेशक विमानपत्तन, उदयपुर एयरपोर्ट, द्वारा दीप प्रज्वलित कर लिया गया। माननीय निदेशक महोदय द्वारा अपने उद्घाटन संबोधन में प्रतिभागी कार्मिकों से कार्यशाला का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया गया।

कार्यशाला के प्रथम दिन आमंत्रित व्याख्याता श्री विजय सिंह चौहान द्वारा प्रथम सत्र में प्रशासनिक पत्राचार में हिंदी का प्रयोग, कठिनाइयां एवं समाधान तथा द्वितीय सत्र में पारिभाषिक शब्दावली विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए प्रतिभागियों की व्यावहारिक कठिनाइयों का निवारण करते हुए कार्यशाला में तत्संबंधी अभ्यास कार्य कराया।

कार्यशाला के दूसरे दिन आमंत्रित व्याख्याता डॉ॰ जयप्रकाश शाकद्वीपीय, पूर्व राजभाषा अधिकारी, हिंदुस्तान जिंग लि॰ द्वारा प्रथम सत्र में राजभाषा नीति का परिचय एवं द्वितीय सत्र में प्रशासनिक एवं कार्मिक मामलों में हिंदी का प्रयोग, कठिनाइयां एवं समाधान विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया साथ ही प्रतिभागियों के अनुरोध पर धारा 3 (3) के अंतर्गत अपने वाले दस्तावेजों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की।

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना के तत्वावधान में हिंदी की कार्यशाला आयोजित की गई। उप अंचल

प्रमुख श्री जी॰के॰ सिन्हा व श्री ए॰के॰ गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य बीरेन्द्र कुमार यादव एवं अंचल प्रमुख श्री अरविंद कुमार कंठवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

अपने संबोधन में श्री वीरेन्द्र कुमार यादव ने अपने विशेष अनुभव को साझा करते हुए राजभाषा हिंदी में काम करने की महता बताई। उन्होंने कहा कि हिंदी की प्रगति का तुलसी दल तभी फूलेगा-फलेगा, जब हम इसे अपने जीवन का अंग बनाएंगे। बाद में उन्होंने सत्र के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न पहलूओं से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया।

संबोधन में अंचल प्रबंधक श्री अरविंद कुमार कंठवाल ने कहा कि बेहतर ग्राहक सेवा एवं व्यवसाय संवर्धन के लिए ग्राहकों के साथ उनके स्तर के अनुरूप तथा उनकी भाषा में संवाद करना आवश्यक है। इस दृष्टि से 'क' क्षेत्र में राजभाषा हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारी संवैधानिक बाध्यता तथा व्यावसायिक आवश्यकता है। हिंदी में कार्य करना आसान है। हमारे बैंक में हिंदी का प्रयोग हो भी रहा है, किंतु इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने प्रतिभागियों से राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने का आह्वान किया।

नराकास

'ग' क्षेत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने एवं हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में नराकास (बैंक), बेंगलूर के सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 'अंतर बैंक हिंदी' (यूनिकोड) टंकण प्रतियोगिता, का आयोजन किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलूरू क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक (बैंकिंग) श्री एन॰ गोपाल ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल कुमार केशरी, अधिकारी, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू उपस्थित थे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलचर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की 49वीं बैठक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिलचर ने नए अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) में प्रो॰ एन॰ वी॰ देशपाण्डे, नराकास सिलचर के अध्यक्ष तथा निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिलचर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

इस मौके पर प्रो॰ एन॰वी॰ देशपाण्डे, नराकास सिलचर के अध्यक्ष तथा निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिलचर, श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, सहायक कमाण्डेन्ट, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सिलचर, श्री प्रफुल कुमार कौल, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सिलचर, श्री एन सी भूटीया, विपणन प्रबंधक, सिलचर मंडल कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, श्री अतनु राय चौधरी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सिलचर सहित सभी अतिथियों का नराकास सिलचर के अध्यक्ष ने स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने पर बल दिया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई-अड्डे, तिरुवनंतपुरम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक विमानपत्तन निदेशक की अध्यक्षता में भा॰वि॰प्रा॰ के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रबंधक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि वर्ष 2014-15 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्य निष्पादन के लिए नराकास (उपक्रम) द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई-अड्डे को प्रथम स्थान हेतु चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यालय को संयुक्त हिंदी पखवाड़ा 2015 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये जाने पर वैजयंती ट्रॉफी के लिए चयनित किया गया है।

प्रसार भारती, दूरदर्शन केंद्र, ईटानगर

श्री आर॰पी॰ शर्मा, सहायक अभियंता एवं निदेशक (अभि॰) की अध्यक्षता में दूरदर्शन केंद्र, ईटानगर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

इस मौके पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने हिंदी पत्राचारों का प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखें।

प्रसार भारती, हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कार्यालय प्रमुख श्रीमती एम॰ नरेन्द्र कुमारी, उप महानिदेशक (अभियांत्रिक) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में नराकास की कार्यशाला संपन्न हुई।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग और आकाशवाणी महानिदेशालय के स्थायी आदेशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित करते हुए प्रतिवर्ष चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है और इसका अनुपालन करते हुए कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

नराकास (बैंक), बेंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने एवं हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के औद्योगिक वित्त शाखा के सभागार में नराकास (बैंक), बेंगलूर के सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ''चित्र आधारित हिंदी लघु-कथा प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया।

नराकास, कोथगूडेम, आंध्र प्रदेश

कोयला खान भविष्य निधि कोथगूडेम क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय आयुक्त के कक्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

समिति के अध्यक्ष श्री पी॰एल॰के॰ रेड्डी, क्षेत्रीय आयुक्त ने समिति की बैठक में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों का अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हार्दिक स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के हर संभव अनुपालन करते हुए कार्यसूची के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। श्री पी॰एल॰के॰ रेड्डी, क्षेत्रीय आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यालय में राजभाषा का अधिकतर कार्य हिंदी में किए जाने की सलाह दी। श्री पी॰एम॰के॰ प्रसाद ने कार्यालय में उपयोग द्विभाषीय (हिंदी-अंग्रेजी) नया पत्र-प्रारूप तैयार कर समिति के सामने प्रस्तुत किया

तथा उसे व्यवहार में लाने हेतु अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने समिति से विचार-विमर्श के उपरान्त समिति को सूचित किया कि यह पत्र-प्रारूप सभी अनुभागों के हर कम्प्यूटर पर लोड किया जाए ताकि कम से कम हम राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि सभी कार्यालयी कार्यों का निष्पादन ज्यादातर राजभाषा हिंदी में ही सम्पन्न करें ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

'ख' क्षेत्र

आयकर विभाग, कार्यालय, मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर

आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री आर॰आई॰एस॰ गिल, प्रधान आयकर आयुक्त-2, अमृतसर एवं राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी को और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे इंटरनेट, मोबाइल पर हिंदी से संबंधित एप्स के प्रयोग के बारे में कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधीनस्थ कार्यालय अपने-अपने स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें और कार्यशालाएं अवश्य आयोजित करें। प्रशासनिक कार्यों तथा कैश अनुभाग के कार्यों में राजभाषा का ही प्रयोग किया जाए। सभी कार्यालय अध्यक्ष हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि हिंदी तिमाही रिपोर्ट समय पर भिजवाई जाए।

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, पंचकुला

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र पंचकुला स्तर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक करनाल में मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्रीमती खटुआ जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदया ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा क्षेत्र भविष्य में भी राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसी प्रकार अग्रसर रहेगा। अभी भी कुछ प्रभारों ने वृद्धि दिखाई है, वे बधाई के पात्र हैं जो पीछे हैं वे उनका अनुसरण करें। हरियाणा क्षेत्र में रहकर हिंदी में काम न करना समस्याजनक हो सकता है। इस तरह की बैठक हम सब को मिलने एवं चर्चा करने का अवसर देती है। अत: लक्ष्य प्राप्ति में आपकी जो भी समस्या या सुझाव है उस पर यहां पर चर्चा करें और उसका समाधान तलाशें। फाइल कवर पर विषय और पत्र शीर्ष द्विभाषी ही होने चाहिए। निरीक्षण के समय अधिकारी जिन मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। मुझे आशा है कि आप इन लक्ष्यों की प्राप्ति में खरे उतरेंगे।

प्रसार भारती, रांची

आकाशवाणी रांची की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आकाशवाणी में सपन्न हुई।

केंद्राध्यक्ष एवं निदेशक (अभियंत्रण) श्री एम॰के॰ सिंह ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा हिंदी दिवस पर हिंदी पखवाड़ा के सफल आयोजन पर धन्यवाद दिया। राजभाषा पत्रिका के प्रकाशन हेतु सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक अनुमोदन किया तथा नराकास रांची की पत्रिका हेतु यथासंभव योगदान देने की भी बात कही। हिंदी अधिकारी ने शीघ्रातिशीघ्र योगदान के रूप में सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। केंद्राध्यक्ष ने राजभाषा पत्रिका प्रकाशन हेतु हर संभव सहयोग

देने का आश्वासन दिया। कुछ सदस्यों का सुझाव था कि ई-पत्रिका प्रकाशित करने की दिशा में भी कार्य हो सकता है।

प्रसार भारती, राजस्थान

स्थानीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक केंद्राध्यक्ष, श्री अतुल गुप्ता, निदेशक (अभियांत्रिकी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। केंद्राध्यक्ष श्री अतुल गुप्ता ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने पिछली तिमाही में कार्यालय में राजभाषा हिंदी की प्रगति एवं लिए गए निर्णयों की विवेचना की, और तिमाही बैठक की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की और समस्त स्टाफ सदस्यों से आग्रह किया कि वर्ष भर हिंदी में कार्य करने को अभियान के रूप में लिया जाए तथा हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे।

श्री अतुल गुप्ता ने बताया कि नियम 5 का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है। कार्यालय के कम्प्यूटर्स में यूनिकोड सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में केन्द्राध्यक्ष ने बताया कि पर्याप्त बजट उपलब्ध होने पर यह कार्य करवाया जाएगा।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उ॰प्र॰ क्षेत्र, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सदस्यों को दी गई।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से पुन: कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन सभी कार्यालयों में नियमों और लक्ष्यों के अनुसार हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि नियमों को लागू करवाने की जिम्मेवारी वरिष्ठ अधिकारियों की है। रिपोर्ट समय पर और सही प्रकार से भर कर भेजी जाएं यह बहुत आवश्यक है। कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक पत्र की पावती अवश्य दी जाए। इससे थोड़ा कार्य बढ़ेगा, लेकिन पत्र भेजने वाले के मन में कार्यालय के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।

'क' क्षेत्र

नराकास, जोधपुर

बैंक ऑफ बड़ौदा, जोधपुर के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोधपुर के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कवियत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी कवियत्रियों को सम्मानित किया गया। तथा कवियत्रियों द्वारा कविता पाठ भी किया गया।

नराकास, नोएडा

सीमा शुल्क आयुक्तालय, नोएडा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2015-16 की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही बैठक माननीय प्रधान आयुक्त, श्री देवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि वार्षिक हिंदी पत्रिका प्रकाशित की जाए जिसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी स्तरीय लेख, कविता, कहानी, विभागीय जानकारी से संबंधित लेख, चुटकुले आदि हिंदी शाखा को दें। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी पत्रिका हेतु लेख दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने वार्षिक हिंदी पत्रिका के शीर्षक के लिए सभी अधिकारियों को बंद लिफाफे में प्रति अधिकारी एक नाम एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हिंदी पत्रिका के प्रकाशन हेतु श्री महावीर, उपायुक्त महोदय को निर्देश दिया कि वे आयुक्तालय की विभागीय पत्रिका के प्रकाशन हेतु विशेष रूप से ध्यान दें जिससे की पत्रिका का प्रकाशन समय पर किया जा सके।

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 52वीं बैठक श्री ए॰के॰ मित्तल, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर की अध्यक्षता में मुख्यालय के नए प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

श्री सुरेन्द्र कुमार ने समिति के अध्यक्ष व महाप्रबंधक श्री ए॰के॰ मित्तल, विभागाध्यक्षों एवं मंडली आदि से आए सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि महाप्रबंधक महोदय के कुशल मार्गदर्शन और सभी सदस्यों के सहयोग से पूर्व मध्य रेल में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजभाषा का प्रचार-प्रसार सभी विभागों के पारस्परिक सहयोग से ही संभव हो सकता है। उन्होंने सूचित किया कि राजभाषा से संबंधित मदों पर चर्चा की जाए तथा विचार-विमर्श के जरिए राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में आने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए।

समिति के अध्यक्ष व महाप्रबंधक श्री ए॰के॰ मित्तल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री जगदीप राय ने नए मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यभार संभाला है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इनके कार्यकाल में राजभाषा का प्रचार-प्रसार और तेजी से बढ़ेगा। श्री ए॰के॰ मित्तल ने उदयपुर में आयोजित अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार सहित सांत्वना पुरस्कार तथा कथा लेखन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त होने पर पूर्व मध्य रेल के पुरस्कृत प्रतिभागियों को बधाई दी।

बैठक/संगोष्ठी

'ग' क्षेत्र

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय बैंगलूर

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय बैंगलूर मेट्रो के मार्गदर्शन में केनरा बैंक, समुद्रपारीय शाखा, एम जी रोड, बैंगलूर में ''ग्रामीण बैंकिंग: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विपणन'' तथा ''बैंकों में राजभाषा का कार्यान्वयन: व्यावहारिक पहलू'' विषयों पर हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री एस॰ सुन्दर, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, समुद्रपारीय शाखा ने की। इस अवसर पर श्री डी॰ माधवराज, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, खुदरा आस्ति केन्द्र, एम जी रोड, बैंगलूर तथा श्री ओमप्रकाश एन॰एस॰, वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, बैंगलूर मेट्रो उपस्थित थे।

श्री ओमप्रकाश एन॰एस॰, वरिष्ठ प्रबंधक ने ''बैंकों में राजभाषा का कार्यान्वयन व्यावहारिक पहलू'' विषय पर प्रकाश डालते हुए कार्यालय व शाखा स्तर पर राजभाषा के कार्यान्वयन के व्यवाहारिक पक्ष को रेखांकित किया और सारांशीकरण प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में केनरा बैंक, खुदरा आस्ति केन्द्र, एम जी रोड, बैंगलूर व केनरा बैंक, समुद्रपारीय शाखा, बैंगलूर के सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रतिसूचना सत्र में उक्त विषय पर खुलकर अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में विश्व हिंदी दिवस समारोह एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हासन की 42वीं बैठक संयुक्त रूप से आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ॰ एन॰के॰ श्रीवास्तव, प्रबंधक, एसआरडीएस, बैंगलूर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एस॰ परमेश्वरन, निदेशक, एमसीएफ ने की।

निदेशक, एमसीएफ श्री एस॰ परमेश्वरन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में नराकास हासन के सदस्य कार्यालयों से पधारे सभी अतिथियों को राजभाषा हिंदी

के कार्यान्वयन में अपना भरपूर योगदान देने के लिए अपील की तथा बताया कि कैसे हम सब एक साथ आगे आकर राजभाषा हिंदी को एक नई दिशा दे सकते हैं।

अपनी तकनीकी चर्चा के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ॰ श्रीवास्तव ने कहा कि ''प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा होने वाली हानि के जोखिम को कम करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ आगे आना आज के समय की मांग है।'' डॉ॰ श्रीवास्तव ने मुख्य नियंत्रण सुविधा में आयोजित विश्व हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर हिंदी में तकनीकी व्याख्यान के माध्यम से उपग्रहों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे आपदा के पहले चेतावनी, तैयारी एवं जोखिम या हानि को कम करने के तरीकों के बारे में विस्तृत चर्चा की।

प्रसार भारती, कटक

निदेशक अभियांत्रिकी श्री आनन्द चंद्र सुबुद्धि, की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक सम्पन्न हुई। अध्यक्ष महोदय के अनुदेश पर सभा की कार्रवाई शुरू की गयी।

अक्तूबर–दिसंबर, 2015 तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। हिंदी अनुवादक ने बताया कि 'ख' क्षेत्र को मूल पत्राचार की स्थिति निर्धारित लक्ष्य 55 प्रतिशत से अधिक है परन्तु 'क' और 'ग' क्षेत्र को मूल पत्राचार की स्थिति निर्धारित लक्ष्य से कम है। अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग अधिकारियों से आग्रह किया कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक–से–अधिक मूल पत्राचार हिंदी में करें।

प्रसार भारती, विजयवाड़ा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक आकाशवाणी, विजयवाड़ा केन्द्र में श्री खमरुद्दीन, महानिदेशक (इं) व कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी अनुभागाध्यक्षों को यह सूचित किया कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के कागजात जैसे परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश, नियम, करार, संविदा, टेंडर–नोटिस आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषा में जारी किया जाए। इस विषय पर सदस्य सचिव ने यह बताया कि उपर्युक्त पत्राचारों को जारी करते समय हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह द्विभाषा में हो।

अध्यक्ष जी ने सभी अनुभागाध्यक्षों को यह सुझाव दिया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप से हिंदी में ही भेजा जाए और हस्ताक्षर भी हिंदी में किया जाए।

'क' क्षेत्र

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय मेरठ

अंचल कार्यालय मेरठ में हिंदी प्रतिनिधि बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मेरठ अंचल कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री जगजीत सिंह द्वारा की गई। बैठक में अंचल के कार्यपालक श्री एम॰ के॰ श्रीनिवास एवं मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्री आर॰ के॰ टंडन भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, मेरठ अंचल 'क' क्षेत्र में स्थित है, अंचल के अधिकतर कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं तो ये हमारा नैतिक कर्त्तव्य है कि शत–प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाए। दूसरे हमारे व्यवसाय के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, ग्राहक और तकनीकी के माध्यम से प्रदत्त सेवाएं और इन दोनों के बीच की कड़ी है हिंदी भाषा। अत: समग्र रूप से हिंदी का प्रयोग, प्रचार और विस्तार करना होगा।

बैठक में राजभाषा अधिकारी द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई साथ ही हिंदी यूनीकोड व स्क्रिप्ट मैजिक का प्रशिक्षण भी दिया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वर्ष 2016-17 के राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित करने हेतु ''क'' क्षेत्र स्थित अंचल कार्यालयों एवं संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 27-28 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली स्थित अंचल कार्यालय में किया गया। इस बैठक का शुभारंभ गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ॰ बिपिन बिहारी एवं निदेशक (कार्यान्वयन एवं तकनीक) श्री हरिन्द्र कुमार ने किया। बैठक के प्रारंभ में बैंक के महाप्रबंधक एवं राजभाषा विभाग के प्रभारी श्री रवि कुमार अरोरा ने अतिथियों का स्वागत किया, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) डॉ॰ जवाहर कर्नाटक ने बैंक की वर्ष 2015-16 की उपलब्धियों को पॉवर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर अपने उदबोधन में संयुक्त सचिव महोदय ने बैंक ऑफ बड़ौदा में किए जा रहे राजभाषा कार्यों की सराहना की तथा भारत सरकार द्वारा किए जा रहे नए प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में उपस्थित श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (तकनीक) ने बैंक द्वारा 'क' क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से चयनित मॉडल शाखाओं में किए गए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव महोदय द्वारा बैंक में हिंदी कार्यशाला को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई 'राजभाषा सहायिक' पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। अंत में उप अंचल प्रमुख श्री यशपाल छाबड़ा ने आभार प्रदर्शन किया।

प्रसार भारती, भोपाल

केन्द्र में राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार बढ़ाने एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में आयोजित की गई।

बैठक में प्रस्तुत हिंदी मूल पत्राचार के प्रतिशत पर अध्यक्ष व सभी सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया तथा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपील की कि आप सभी अपने-अपने स्तर पर मूल हिंदी पत्राचार 'क' और 'ख' क्षेत्र में अधिक बढ़ाने के लिए और सघन प्रयास करें ताकि यह कार्यालय क से ख क्षेत्र के लिए निर्धारित मूल हिंदी पत्राचार के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सभी सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त किया कि वे इस दिशा में और अधिक प्रयास करेंगे।

सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, उत्तराखण्ड

राजभाषा अनुभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही 'आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों' की श्रृंखला में 50वीं संगोष्ठी का आयोजन 'स्वर्ण जयंती संगोष्ठी' के रूप में किया गया और इस अवसर पर श्री देवेंद्र मेवाड़ी, चर्चित विज्ञान लेखक तथा मुख्य अतिथि ने 'हिंदी में विज्ञान लेखन' व्याख्यान भी दिया। संगोष्ठी तथा स्वर्ण जयंती समारोह के संयोजक एवं राजभाषा अनुभाग के प्रभारी डॉ॰ दिनेश चंद्र चमोला ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया और कहा कि कोई भी देश उन्नति की पराकाष्ठा पर तभी आसीन हो सकता है जब वहां वैज्ञानिक समृद्धि हो। वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा खोजों को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है, हिंदी एवं भारतीय भाषाएं।

दूसरे सत्र में 'स्वर्ण जयंती व्याख्यान' देते हुए श्री देवेंद्र मेवाड़ी ने 'हिंदी में विज्ञान-लेखन' अथवा विज्ञान-लेखन का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

श्री मेवाड़ी के अनुसार शोध का, शोध-प्रयोगशाला से आम आदमी तक पहुंचना आवश्यक है। इस हेतु विज्ञान-लेखन आवश्यक है। मानव-सभ्यता के विकास के क्रम पर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने आस-पास की प्राकृतिक घटनाओं पर पैदा हुई मानव की जिज्ञासा को विज्ञान का जनक बताया।

प्रसार भारती, जयपुर

आकाशवाणी जयपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक केंद्राध्यक्ष श्री सुधीर राखेचा की अध यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। सहायक निदेशक (राजभाषा) को बैठक प्रारंभ करने की अनुमति दी। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा तथा इसकी समीक्षा की गई एवं अनुवर्ती कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया।

सदस्य सचिव ने बताया कि केन्द्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साध ाक ज्ञान है एवं सभी को प्रवीणता प्राप्त है। हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जब भी महानिदेशालय से प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे तब केन्द्र के कर्मचारियों को नामित किया जाएगा।

प्रशिक्षण

'ग' क्षेत्र

सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा गंगटोक में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं समीक्षा बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार बैंक में कार्यरत समस्त राजभाषा अधिकारियों के लिए सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल में हिंदी-अंग्रेजी मिली-जुली भाषा में दो दिवसीय प्रबंधकीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ॰ वेदप्रकाश दूबे ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ अधिकारियों में नेतृत्व, प्रभावी वक्तव्य, संगठनात्मक व समीक्षात्मक गुण विकसित कराने में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से मदद मिलती है। उन्होंने सिंडिकेट बैंक की इस विशेष पहल की प्रशंसा की। महाप्रबंधक श्री के॰ टी॰ रे॰ एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री रमेश भट् उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''प्रबंधकीय विचार, ब्लू ओशियन कार्यनीति, ग्राहक सेवा, सकारात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण एवं बैंक उत्पादों'' पर सत्र संचालित किए गए।

कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता

कोलकाता पत्तन न्यास में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुवाद प्रशिक्षण संस्थान, हाईड रोड, कोलकाता में आयोजित किया गया। जिसमें पर्याप्त संख्या में पत्तन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इसका विधिवत उद्घाटन श्री टी॰ के॰ हाजरा चौधरी, वरिष्ठ उप सचिव ने किया, उन्होंने अपने संबोधन में कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने हिंदी की संप्रेषणीयता पर प्रकाश डालते हुए उसे एक संपर्क भाषा के रूप में सबसे उपयुक्त बताया। अतिथि व्याख्याता के रूप में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक निदेशक श्री राकेश कुमार पाठक और डॉ॰ राम बिनोद सिंह उपस्थित थे।

पाठकों के पत्र

आप के द्वारा प्रेसित ''राजभाषा-भारती का अप्रैल-जून 2015 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में हिन्दी के बारे में काफी अच्छे लेख पढ़ने को मिले! महामहिम राज्यपाल गोवा डॉ॰ (श्रीमती) मृदुला सिन्हा ने भी आपके कार्यक्रम में भाग लिया, अच्छा लगा।

बी॰ एस॰ शांताबाई
प्रधान सचिव
कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति,
चामराजपेट, बेंगलूर-18

''राजभाषा भारती'' के 144 वें अंक की प्राप्ति हुई! पत्रिका में छपी रचनाएं ज्ञानवर्धक तथा रूचिकर है। लेख ''तेल ताड़ की खेती '','' डेंगू बुखार-एक जानकारी ''ज्ञानवर्धक एवम सूचनापरक लेख है! कलेवर की दृष्टि से पत्रिका सुंदर बन गई है! बैक कवर पर गृह मंत्री जी का हिन्दी दिवस संदेश सराहनीय हैं

श्रीमती गंभीर राठौड (व॰अनु॰)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।

''राजभाषा भारती'' का अप्रैल-जून 2015 अंक 143 प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं से पत्रिका बहुत ही सूचनापरक एवं ज्ञानवर्धक हो गई है। पत्रिका में हिन्दी की वैश्विक स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ-साथ अन्य कई मुद्दों जैसे नारी विमर्श, पर्यावरण चिंतन, स्वास्थ्य साहित्य पर सविस्तार चर्चा की गई हैं और किसी भी स्तरीय पत्रिका की तरह ही इसमें पूर्णता परिलक्षित रही है। पत्रिका में हिन्दी के वैश्विक पहलुओं पर अच्छे तरीके से प्रकाश डाले जाने हेतु संपादक मंडल एवं लेखकगणों को साधुवाद एवं पत्रिका के सफल एवं उत्कृष्ट संयोजन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

पत्रिका गुणवत्ता के शिखर को स्पर्श करे इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ।

रजनीश कुमार यादव
प्रबंधक राजभाषा
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
कोटा अंचल, कोटा - राजस्थान 324 007

राजभाषा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' के 144 व 145 वें अंकों की एक-एक प्रति प्राप्त हुई। इसमें प्रकाशित प्रत्येक लेख स्तरीय एवं संग्रहणीय है। दोनों अंकों में प्रकाशित लेख उच्च कोटि के हैं। विशेषकर श्रीमती वंदना सक्सेना द्वारा रचित ''विश्व पटल पर हिन्दी-विश्व भाषा के रूप में'', डॉ॰ सजीव गोयल द्वारा रचित ''डेंगू बुखार'' आदि लेख बेहद ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद, रोचक स्तरीय एवं आकर्षक हैं। राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियां भी अत्यंत सराहनीय है। इसके प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तयों को उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक बधाई।

(आर महेश्वरी अम्मा)
हिन्दी अधिकारी, अंतरिक्ष विभाग,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र,
तिरूवनंतपुरम-695 022

भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' के 2015 के दो अंक प्राप्त हुए। पत्रिका की पाठ्यसामग्री, कलेवर और रचनाएं अत्यंत सुबोध एवं ज्ञानर्वधक हैं। पत्रिका का मुद्रा एवं गेट-अप अत्यंत मनमोहक हैं। आगामी अंको के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं।

(दीपक कुमार उजगरे)
हिन्दी अधिकारी, अंतरिक्ष विभाग,
द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र,
वलियमला पोस्ट, तिरुवनंतपुरम-695 547

''राजभाषा भारती'' का 140 वां अंक (जुलाई-सितंबर, 2014) की प्राप्ति से मुझे अति सुखद अनुभूति हुई। राजभाषा भारती के इस अंक में हिन्दी से संबंधित सभी लेख अत्यंत ही रोचक और मन को आनंदित कर देने वाले है। इस अंक में प्रकाशित 'देवनागरी लिपि:गुण, दोष एवं वैज्ञानिकता' वास्तव में यह प्रमाणित करता है कि देवनागरी लिपि विश्व के अन्य लिपियों से कहीं अधिक समृद्ध एवं वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। आपके द्वारा प्रकाशित इस त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' को प्राप्त कर गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
निरीक्षक/हिन्दी अनुवादक,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
पूर्वी सेक्टर मुख्यालय,
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

''राजभाषा भारती'' के 140 एवं 145वें अंक की एक-एक प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका के यह अंक बेहद प्रेरणादायी है। सभी लेख एंव रचनाएं सराहनीय हैं। खासतौर पर 'हिन्दी: विश्व में प्रथम एवं लोकप्रिय भाषा', लिपि, उच्चारण, वर्तनी एवं मानकीकरण में सामंजस्य', 'राष्ट्रपिता का राष्ट्रभाषा के प्रति चिंतन' आदि लेख ज्ञानवर्धक रहे। स्वास्थ्य संबंधी लेख-डेंगू बुखार एवं उत्कृष्ट साज-सज्जा के लिए आपको एवं संपादक मण्डल को हमारी ओर से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई।

(मुरलीधर)
प्रबंधक (का॰ एवं औ॰सं॰)
भारतीय जीवन बीमा निगम
मंडल कार्यालय, (राजकोट)

''राजभाषा भारती'' के 143 एवं 144वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। हमेशा की तरह ये दोनों अंक भी रुचिकर रहे। अंक 143 में दी गई सभी रचनाएं जैसे हिंदी, उसका उद्भव और विकास, हिंदी का सामर्थ्य एवं सार्थकता आदि काफी आकर्षक हैं। अंक 144 में जो परिवर्तन किए गए वह हमें काफी पसंद आए, विशेषकर विषय सूची पृष्ठ और अधिक आकर्षक लगा।

(अतुल गुप्ता)
राजभाषा अधिकारी

''राजभाषा भारती'' के 143 एवं 144वें की प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका में राजभाषा हिंदी में साहित्यिक/सांस्कृतिक, भाषा संबंधी तथा हिंदी की आधुनिक यांत्रिक सुविधाओं संबंधी लेख सभी हिंदी कार्मिकों के लिए काफी ज्ञानप्रद व उपयोगी है।

(धनेश रा॰ परमार)
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक,
परमाणु उर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र,
बड़ौदा, डाकघर, फर्टिलाइज नगर,
जिला: बडोदरा-391 750

'राजभाषा भारती' (अप्रैल-जून 2015) का अंक प्राप्त हुआ। अंक में प्रकाशित आलेख व रचनाएं उपादेय एवं ज्ञानवर्धक हैं। राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पक्षों पर केन्द्रित अनुसंधानपरक आलेखों के द्वारा विद्वानों/लेखकों ने अपनी भाषानिष्ठा का परिचय दिया है। 'राजभाषा भारती' राजभाषा हिन्दी के उन्नयन व प्रसार में महती भूमिका का निर्वाह कर रही है। ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर केन्द्रित आलेख प्रकाशित कर इसे और भी जनोपयोगी-उपादेय बनाया जा सकता है।

(डॉ॰ बी॰के॰ सिंह)
उपनिदेशक (रा॰भा॰)
केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, 'भूजल भवन'
एनएच-4, फरीदाबाद-121 001

राजभाषा भारती अंक 143 (अप्रैल–जून 2015) प्राप्त हुआ। मुख्य पृष्ठ के पीछे माननीय गृहमंत्री महोदय द्वारा 'हिन्दी भारत माँ की बिन्दी' सीडी का लोकार्पण समारोह की झाँकी का दर्शन हुआ।

राष्ट्रभाषा हिंदी की देवनागरी लिपि सीखने में सरल है तथा शीध्र हद्‌य–ग्राही है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र से लगाकर आज तक साहित्यकार (भारत के कोने–कोने के) राष्ट्रभाषा हिंदी को गद्‌य–पद्‌य में समृद्ध कर रहे हैं। आखरी पृष्ठ पर गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का गीत 'एकला चौलो रे' प्रेरणा दायक है। वह सफल नहीं होता है। राजभाषा भारती की सामग्री पठनीय है।

(डॉ० रा०म० अमरेश)
अध्यक्ष, आदर्श साहित्य समिति खरगोन,
प्रभु कृपा, कुटीर 1, रामपेठ,
जिला खरगोन (म०प्र०) 451 001

जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।

–डॉ राजेन्द्र प्रसाद

GMGIPMRND—1090HA(S3)—22-06-2016.

पं॰ सं॰ 3246/77
आई एस एम एन

प्रपत्र–4 (देखिए नियम–8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम
समाचार पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम
''राजभाषा भारती'' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली
4. क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5. प्रकाशक का नाम व पता	डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
	एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
	दूरभाष: 011–23438137
6. संपादक (पदेन) का नाम व पता	डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल
	संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
	एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, डॉ॰ धनेश द्विवेदी घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह॰/–
प्रकाशक का हस्ताक्षर

कवर डिजाइन एवं टाइपसेटिंग —भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली

वर्ष 2016 की प्रथम तिमाही के दौरान पीजी पोर्टेल में लोक शिकायतों के निवारण के लिए डॉ जितेन्द्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जी से प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए डॉ बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव (रा.भा.)

एनएचपीसी लिमिटेड की बैठक एवं राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण के दौरान संबोधन देते हुए संयुक्त सचिव राजभाषा डॉ॰ बिपिन बिहारी

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली-110003
के लिए डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा
महाप्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक, द्वारा मुद्रित